खण्ड-154, अंक-4
सोमवार, 31 श्रावण, शक संवत् 1877
(22 अगस्त, 1955 ई0)

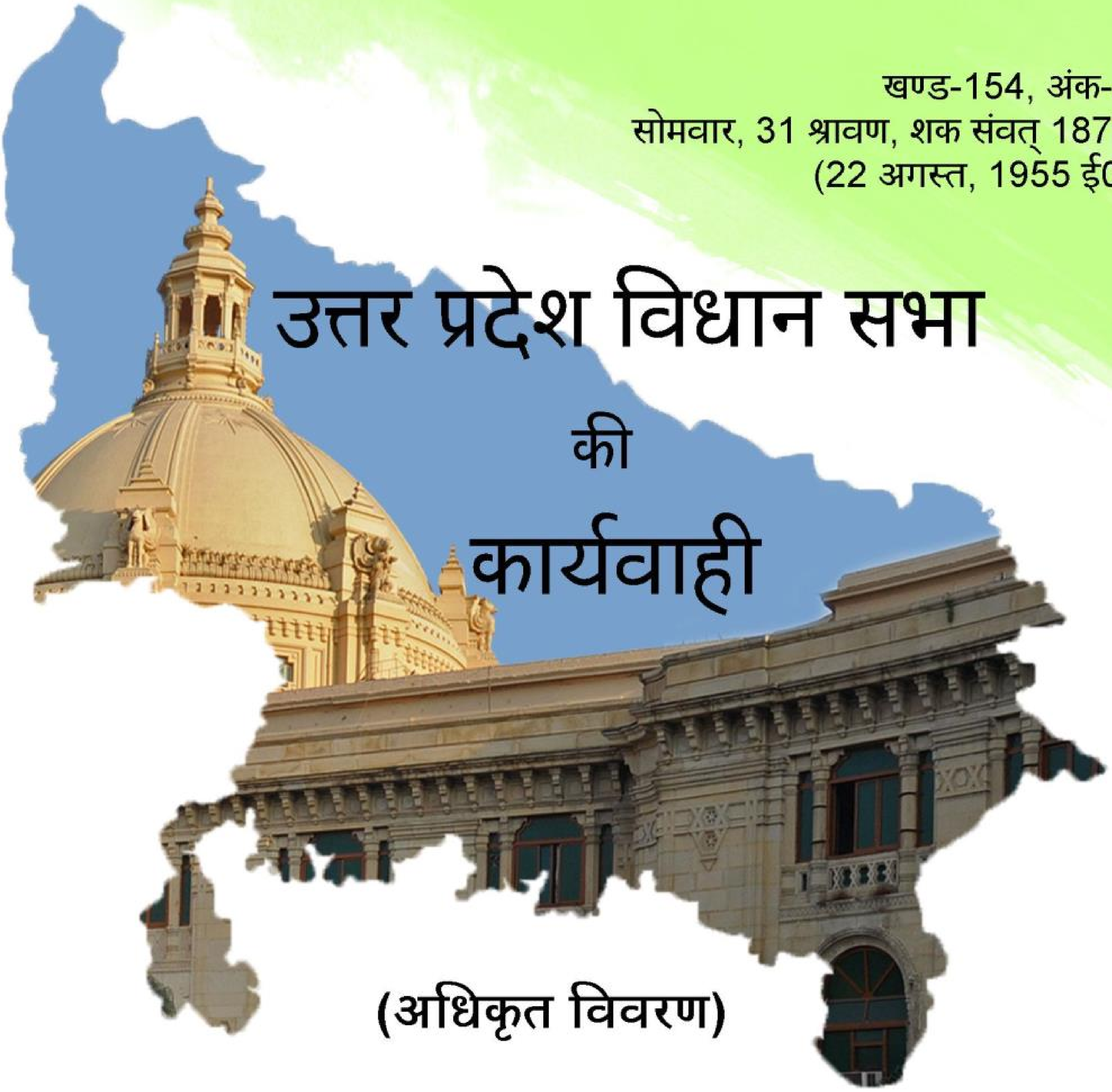

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 154 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २२ अगस्त, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३८२)

अक्षयवर सिंह, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
एजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले
उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिकासिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशवपांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरी राम, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर सिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायण दीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री

फतेहसिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवानदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारुक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री

रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासी लाल, श्री
वजविहारी मिश्र, श्री
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री

शुगनचन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दर दास, श्री दीवान
सुन्दर लाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवा राम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्र रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविंद पंत, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २२ अगस्त, १९५५

तारांकित प्रश्न

चुनार में मन्दिर को अर्पित भूमि का प्रतिकर

*१—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि चुनार, जिला मिर्जापुर में श्री मदन मोहन दास, स्पेशल मजिस्ट्रेट के पूर्वजों ने लगभग ८ बीघा भूमि ठाकुर जी पर चढ़ा दी थी जिससे ठाकुर जी का भोग आदि का खर्चा चलता था ?

माल उप-मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—जिला मिर्जापुर की तहसील चुनार के लेखपत्रों में ७ बीघा ७ बिस्वा भूमि श्रीमती पयागी सर्वश्री बिट्ठल दास, मदन मोहन दास तथा ललित मोहन दास के नाम भूमिधरी अंकित है। इस भूमि को श्री मदन मोहन दास के पूर्वजों द्वारा ठाकुर जी पर चढ़ाये जाने के सम्बन्ध में लेख-पत्रों में कोई विवरण नहीं है।

*२—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या वह सारी भूमि ठाकुर जी की तरफ से अधिवासियों के कब्जे में थी और अब नयी भूमि व्यवस्था के द्वारा अधिवासी उस भूमि के मालिक हो गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह प्रश्न ही नहीं उठता। यह भूमि अधिवासियों के कब्जे में अवश्य थी परन्तु ठाकुर जी की ओर से नहीं। यह अधिवासी अब सीरदार बन गये हैं।

*३—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—यदि हां, तो सरकार ठाकुर जी के भोग आदि के व्यय को पूरा करने की कौन सी व्यवस्था कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मदनमोहन दास के पूर्वजों ने ठाकुर जी को यह जमीन नहीं चढ़ायी, इसकी बाबत पत्रों में किसके द्वारा जांच करायी गयी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अधिकारी द्वारा ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—कौन-कौन से पत्र जांचे गये और किस अधिकारी के द्वारा, क्या यह माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—देखिये, यह सिर्फ एक टेनेंसी थी लोगों की और इसकी इनकम उनको चढ़ायी गयी थी। भूमि नहीं लगायी थी बल्कि जो इनकम आती थी वह मंदिर को लगायी थी। चूंकि इसके अन्दर ठाकुर जी का नाम नहीं था इसलिये उनके वारिसों का नाम उनके मरने के बाद चढ़ाया गया। इसके मानी यह हैं कि ठाकुर जी को भूमि नहीं लगायी गयी थी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जब इस भूमि की इनकम ठाकुर जी को लगायी गयी, तो फिर क्या जब वह इनकम अब प्राप्त नहीं हो रही है तो ठाकुर जी के चढ़ाव-पूजा के लिये उस इनकम को देने की कोई व्यवस्था सरकार कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कंपेंसेशन मिलेगा। अगर वह लोग चाहें तो पूरा दे सकते हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या ऐसी अवस्था में जहां ठाकुर जी को या धार्मिक संस्थाओं को जो इनकम चढ़ायी गयी है, उस पूरी इनकम को देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है या केवल कंपेंशन ही मिलेगा ।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—जहां ठाकुर जी स्वयं मध्यवर्ती थे वहां तो उन को एन्युटी मिलेगी हमेशा के लिये। लेकिन यहां ठाकुर जी के नाम में अगर जमीन भी होती तो भी यह मध्यवर्ती नहीं थे। और इसलिये इनको एन्युटी देने का सवाल नहीं उठता। लेकिन वैसे मंदिर या मस्जिद या धार्मिक संस्थायें जिनकी जमीन अधिवासियों या शिकमियों के कब्जे में थी वह सब सीरदार हो गये। जो कानून बना है उसके अनुसार उनको दस गुना सर्किल रेट का मिलता है। ऐसी धार्मिक संस्थाओं का भी कोई मुस्तकिल इंतजाम किया जाय यह सारा सवाल विचाराधीन है ।

अल्मोड़ा के शिल्पकारों को तराई में भूमि-वितरण

*४—श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला अल्मोड़ा से कुल कितने ऐसे भूमिहीन शिल्पकारों के प्रार्थना-पत्र सुपरिन्टेन्डेंट खास इस्टेट, तराई-भावर, नैनीताल के पास अब तक पहुंचे हैं जिन्होंने कृषि हेतु तराई में भूमि की प्रार्थना की है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सुपरिन्टेन्डेंट, तराई तथा भावर के कार्यालय में ऐसा कोई रजिस्टर नहीं है, जिसमें भूमि पाने के प्रार्थियों की जाति तथा निवास्थान आदि सम्बन्धी ब्यौरा रखा जाता हो। कारण यह है कि प्रार्थीगण अपने प्रार्थना-पत्रों में जाति आदि के विषय में विवरण नहीं देते। परन्तु जिन लोगों को भूमि दी जाती है, उनके विषय में उपर्युक्त ब्यौरा प्राप्त करके रख लिया जाता है ।

*५—श्री गोवर्धन तिवारी—उनमें से कितने शिल्पकारों को अब तक तराई में भूमि दी जा चुकी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--१९४७ से लेकर अब तक ४१ शिल्पकारों को १०७८ बीघा भूमि तराई में दी जा चुकी है ।

श्री गोवर्धन तिवारी--जिला अल्मोड़ा में शिल्पकारों की संख्या एक लाख से भी अधिक है और जिनमें सभी भूमिहीन हैं, उनकी संख्या को देखते हुए क्या सरकार तराई में उन्हें जमीन देने को सोचती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जो पहले जमीन थी वह तो करीब-करीब दी जा चुकी है । अब जो नये लोग ऐसे होंगे जो देने के काबिल होंगे और अगर वहां कोई नयी जमीन पड़ी होगी और उसके लिये कहा जायगा तो उस पर विचार किया जायगा ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या यह बात सही है कि सरकार ने हाल ही में कुमायूं के शिल्पकारों को तराई में २ हजार एकड़ जमीन देने का निश्चय किया है ?

श्री चरणसिंह--यह बात सही है । यह जो जवाब दिया गया है वह गवर्नमेंट स्टेट के सिलसिले में दिया गया है । वह जमीन अन-रिक्लेम्ड थी । बहुत रुपया चाहिये था उसके रिक्लेमेशन के लिये । तो हरिजन और शिल्पकारों के पास इतना रुपया नहीं था, इसलिये उनको वह १०७८ एकड़ जमीन मिलेगी । वैसे गढ़वाल भावर वगैरह और जंगलात में अधिकतर शिल्पकार हैं और गवर्नमेंट ने जो जमीन ली है उसका रकबा १३००० एकड़ बैठता है और कुल मिलाकर १६ हजार एकड़ आता है, जो जमीन गवर्नमेंट लेने वाली है उसको मिला कर ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो भूमिहीन शिल्पकार तराई में बसाये जायेंगे उनको जमीन के अलावा भी सरकार किसी तरह से आर्थिक मदद करेगी ताकि वह वहां अपना मकान बना सकें और खेतीबारी कर सकें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

तराई-भावर के भूमि-हीनों को आबाद करने के लिये भूमि की आवश्यकता

*६--**श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट** (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार को विदित है कि तराई भावर में पर्वतीय प्रदेश के भूमिहीनों को आबाद करने को कोई भूमि नहीं रह गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां । तराई भावर में अब कोई ऐसे बड़े जमीन के हिस्से खाली नहीं हैं जिनको कि इस प्रयोजन के लिये दिया जा सके ।

*७--**श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट**--यदि हां, तो क्या सरकार और जंगलों को काट कर इन भूमिहीनों को बसाने का प्रबंध करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सरकार की नीति अब अधिक जंगल काट कर खेती के लिये जमीन देने की नहीं है । परन्तु यदि कोई उचित प्रस्ताव सरकार के सामने रखा जायगा तो उस पर विचार किया जा सकता है ।

*८--**श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट**--यदि हां, तो कहां और कब तक भूमि मिलना सम्भव हो हो सकेगा ।

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या सरकार को विदित है कि पर्वतीय प्रदेश की जनसंख्या इतनी बढ़ गयी है कि लोगों के लिये भूमि पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो क्या सरकार इस के लिये कोई व्यवस्था कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जन संख्या सब जगह बढ़ गयी है और पर्वतीय प्रदेश में ज्यादा बढ़ गयी हो, ऐसा नहीं है ।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--मैंने पूछा था कि क्या सरकार इस के लिये कोई तराई भावर में भूमि की व्यवस्था बना रही है ।

श्री चतुर्भुज शर्मा--जवाब दिया जा चुका है । अगर कोई आवश्यकता होगी तो विचार किया जायगा ।

हस्तिनापुर क्षेत्र के बाढ़-ग्रस्तों का सहायतार्थ प्रार्थना-पत्र

*९--**श्री रामजीलाल सहायक** (जिला मेरठ)--क्या माल मंत्री कृपया बतायेंगे कि पिछले वर्ष जिला मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र में बाढ़ से किन-किन गांवों को क्षति पहुंची ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--पिछले वर्ष जिला मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र में १२ ग्रामों में बाढ़ आयी थी । इन गांवों के नाम संलग्न सूची में हैं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३७४ पर)

*१०--**श्री रामजीलाल सहायक**--क्या माल मंत्री कृपया बतायेंगे कि उस क्षेत्र के कुछ निवासियों ने लगान आदि माफी के सिलसिले में कोई प्रार्थना-पत्र सरकार के पास भेजा था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, इस सम्बन्ध में सरकार के पास एक प्रार्थना-पत्र आया था । जांच कराने पर ज्ञात हुआ कि उस क्षेत्र में बाढ़ से इतनी हानि नहीं हुई थी कि लगान में छूट दी जाती ।

श्री रामजीलाल सहायक--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस क्षेत्र में बाढ़ से कितनी हानि हुई है ?

श्री चरणसिंह--इतनी हानि नहीं हुई कि जिससे वह किसी इमदाद के या छूट के मुस्तहक हो जाते । ८ आने से कम हुई है ।

श्री रामजीलाल सहायक--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाढ़ से जो कुछ थोड़ी बहुत हानि हुई है, सरकार ने उस के लिये क्या सहायता दी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जब उतना नुकसान नहीं हुआ कि जो उनकी बर्दाश्त के बाहर हो, और ऐसा माना गया कि वह नुकसान उनकी बरदाश्त के काबिल था तो इसलिये उनको कोई सहायता नहीं दी गई ।

श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितनी हानि होनी चाहिये थी कि जिससे वह सरकार की सहायता पाने के काबिल हो जाते ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--८ आना या ८ आने से अधिक ।

आनेकी परगना, रुड़की में निष्क्रांत सम्पत्ति मानी गयी जमीन तथा उसके लगान की वसूली

*११--**श्री दीनदयालु शास्त्री** (जिला सहारनपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रुड़की परगने के आनेकी गांव में कितने एकड़ जमीन निष्क्रांत सम्पत्ति मानी गयी है और उसमें से कितनी जमीन शरणार्थियों को दी गई है ?

कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)--८०२·७ एकड़ जमींदारी तथा १६४.१ एकड़ में सभी खुदकाश्त निष्क्रान्त सम्पत्ति मानी गयी है। खुदकाश्त वाली जमीन में से ५१·४४ एकड़ जमीन शरणार्थियों को दी गयी है।

*१२--**श्री दीनदयालु शास्त्री**--क्या यह सच है कि सन् १३५५ से १३५९ तक उस जमीन का लगान काश्तकारों से सरकारी अमीनों ने या पुराने जमींदार के प्रतिनिधियों ने वसूल किया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जी हां।

*१३--**श्री दीनदयालु शास्त्री**--क्या यह सच है कि अब निष्कांत सम्पत्ति के कस्टोडियम काश्तकारों से पुनः पांच साल का लगान वसूल करने जा रहे हैं या कर चुके हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस दोहरे लगान से काश्तकारों को बचाने पर विचार करेगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार जांच करायेगी कि जिस जमींदार की सम्पत्ति निष्कांन्त मानी गयी है वह पाकिस्तान गया ही नहीं ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)--गये थे। जांच करने की कोई जरूरत नहीं। फिर लौट आये बाद में।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार बतलायेगी कि वह निष्क्रांन्ति सम्पत्ति का बड़ा भाग सन् १९४७ के पहले ही वहां के हरिजनों के कब्जे में था।

श्री हुकुमसिंह--नोटिस की आवश्यकता है।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार को ज्ञात है कि हरिजनों को उस जमीन से बेदखल करने के लिये कस्टोडियन ने नोटिस जारी किये हैं ?

श्री हुकुमसिंह--जांच कराने के बाद मैं ठीक तौर से जवाब दे सकूंगा।

आजमगढ़ जिले में जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के अन्तर्गत विचाराधीन मुकदमें

*१४--**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील के जुडिशियल मजिस्ट्रेटों एवं परगनाधीशों की अदालतों में कितने कितने मुकदमें कब से दफा २३२ जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के अनुसार खेतों की वापसी तथा अधिवासियों के विरुद्ध चल रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--३० जून, १९५५ तक आजमगढ़ जिले के प्रत्येक परगनाधीश तथा जुडिशल आफीसर के न्यायालय में १९५० ई० उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा २३२ के अन्तर्गत चल रहे मुकदमों की संख्या इस प्रकार है :

न्यायालय का नाम	चल रहे मुकदमों की संख्या
परगनाधीश, सदर	४७
परगनाधीश, मोहमदाबाद	६०
परगनाधीश, घोसी	१
परगनाधीश, लालगंज	८
परगनाधीश, सगरी	७३
परगनाधीश, फूलपुर	५
जुडिशल आफीसर, मोहमदाबाद	२०
जुडिशल आफीसर, घोसी	५०

कुल संख्या २६४ थी ३० जून, १९५५ तक, अब २३२ रह गई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---अध्यक्ष महोदय, इसमें जो मेरा सवाल है उस में एक अंश छोड़ दिया गया है कि कितने मुकदमें कब से ? तो कब से का जवाब इसमें नहीं है ।

श्री चरण सिंह---३० जून, १९५२ के बाद से ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बतायेगी कि इतने मुकदमें इतनी देरी से जो अदालतों में हैं उस का क्या कारण है अब तक न फ़ैसल करने का ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---एक तो उधर के जिलों में बाढ़ का खास कारण है । तीन महीने तो अफसरों को बाढ़ में ही लग जाते हैं । तो देर होने का एक खास कारण तो यह दिखलाता है । बाकी और जो कारण होते हैं पार्टीज़ का न आना , कानून में उनको कुछ गुंजाइश है कि उनके प्रार्थना-पत्र मन्जूर किये जायं, इसलिये हो जाती है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बतलायेगी कि कोई नियम इस प्रकार का है कि इस प्रकार के मुकदमें कितने दिनों तक अदालतों में बने रहें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां, नियम बने हैं । उनके अनुसार इतने दिनों में इतने मुकदमे हो जाने चाहिये ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या सरकार मुकदमों में देरी लगने वाली कठिनाइयों को देखते हुए ज्यादा जुडिशियल आफिसर्स उन जिलों में भेजने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---कोई ऐसा सवाल नहीं है कि जो बहुत मुकदमें हों, बहुत पुराने हों । इसलिये यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आज़मगढ़ जिले में धारा २३२ जमींदारी अबोलिशन ऐक्ट के मुकदमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के यहां भी देखे जाने लगे हैं ?

श्री चरणसिंह---जुडिशियल आफ़िसर्स को असिस्टेंट कलेक्टर्स की पावर्स भी हासिल होती हैं । तो जिनको यह पावर्स हासिल होंगी उनको भेज दिये गये होंगे ।

मऊ तहसील, जिला झांसी में बंधियों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता

*१५---**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी) (अनुपस्थित) क्या सरकार तहसील मऊ, जिला झांसी में गत वर्ष अधिक वर्षा होने के कारण जो खेतों की बन्धियाँ टूट गयी थीं और इस कारण खेतों में हो कर नाले पड़ गये हैं, उनके पुनःनिर्माण में सहायता देने का विचार रखती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---गत वर्ष अत्यधिक वर्षा के कारण मऊ तहसील जिला झांसी में १३ बंधियों के टूटने की सूचना मिली थी । इन बंधियों के टूटने से हानि बहुत कम हुई थी, अतः कोई सहायता आवश्यक नहीं समझी गयी ।

मऊ तहसील जिला झांसी में ट्रैक्टर की किस्त माफ करने की प्रार्थना

*१६---**श्री गज्जूराम** (अनुपस्थित)---क्या सरकार तहसील मऊ, जिला झांसी में सन् ५३-५४ के अन्तर्गत ट्रैक्टरों से जुती हुई भूमि में ओले-पाले से जो क्षति हुई है उस की पूर्ति के लिये एक साल की ट्रैक्टर की किस्त माफ करने का विचार रखती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---सरकार ने मऊरानीपुर तहसील (झांसी) के ग्रामों में जो कि फरवरी , १९५४ में ओला पड़ने के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं पहले ही से १९५१-५२ तथा १९५२-५३ के ट्रैक्टोराइज़ेशन चार्ज का जो कि १९५३-५४ में देय था स्थगित कर

दिया है। इन किस्तों को दो बराबर किस्तों में रबी १९५६ और रबी १९५७ में वसूल किया जायगा। १९५३-५४ में जो किस्त देय थी उसके माफ़ी पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया है।

श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि उक्त तहसील में दो तीन साल से लगातार ओले, बाढ़ और पाले से फसल बराबर नष्ट हो रही है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जी हां, यह सही है।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार उक्त कारणों पर विचार करते हुये ५३-५४ की ट्रैक्टर की किस्त माफ करने की कृपा करेगी?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जैसा कि अभी सवाल में बताया गया है उस को स्थगित कर दिया गया है तथा उसके सिलसिले में गवर्नमेंट आफ इंडिया को भी लिखा गया है कि वह उस को माफ कर दे। इसकी रकम ३ लाख ९९ हजार आती है, ५३-५४ की। ५४ की जो अगस्त में किस्त होती थी उसमें पानी और बाढ़ से फसल मारी गयी उसके लिये लिखा गया है। ओले वाले मामले की बाबत बाद को रुख मालूम होने पर लिखा जायगा।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ५३-५५ में जो ट्रैक्टर्स की जुताई का रेट रक्खा गया था उस में भी भाव को देखते हुये कमी की जायगी?

श्री हुकुमसिंह--उस को केन्द्रीय सरकार कम करने को तैयार नहीं है।

मऊ तहसील जिला झांसी में ओले-पाले, बाढ़ आदि से क्षति

*१७--श्री गज्जूराम (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील मऊ में कितने गांव ओले पाले व बाढ़ से क्षति ग्रस्त हुये?

श्री चतुर्भुज शर्मा--तहसील मऊ में १७३ गांव ओले-पाले से तथा ४५ गांव बाढ़ से क्षति ग्रस्त हुये थे।

उरई-जालौन व उरई-कालपी सड़कों पर सरकारी बसें चलाने का विचार

*१८--श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)--क्या सरकार जिला जालौन में उरई-जालौन व उरई-कालपी सड़कों पर सरकारी बसें चलाने का विचार रखती है? अगर हां, तो कब तक?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां। इन मांगों पर सरकारी बसें चलाने का विचार दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत है।

श्री बसन्तलाल--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला जालौन में इन सड़कों पर बसें चलाने के लिये जनता के प्रार्थना पत्र उस के पास आये हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा--कुछ प्रार्थना पत्र आये।

नदी गांव, जिला जालौन में लगान की ऊंची दरें

*१९--श्री चित्तरसिंह निरंजन (जिला जालौन)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन के अन्तर्गत कौंच तहसील के विलीन क्षेत्र नदी गांव के मवाजयात की लगान की दरें बमुकाबले शेष तहसील के मवाजयात की लगान की दरों से विशेष अधिक हैं? यदि हां, तो किस आधार पर?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां। नदी गांव क्षेत्र में लगान की दरें सन् १९४२ ई० के बन्दोबस्त में जब कि मंहगाई का समय था और लड़ाई चल रही थी निर्धारित की गई थी तहसील की शेष मौजों की लगान की दरें सन् १९०१ ई० के बन्दोबस्त में निर्धारित की गई हैं, जब कि सस्ता समय था।

*२०—श्री चित्तरसिंह निरंजन—उक्त दोनों भागों के circle rates क्या हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—दोनों भागों के सरकिल रेट्स (circle rates) की सूचियां प्रस्तुत हैं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३७५—३७६ पर)

श्री चित्तरसिंह निरंजन—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पिछले सन् ४२ के मुकाबले में आजकल की दरें कम हो गई हैं ?

श्री चरणसिंह—जी हां । सन् ४२ की कीमत के मुकाबिले में आज की कीमत कम है लेकिन सन् १९०१ के मुकाबले में कई गुनी है । अगर माननीय मित्र वहां एक छोटे से इलाके नदी गांव क्षेत्र में घटवाना चाहते हैं तो उन्हें यह विचार करना पड़ेगा कि सारे जिले की मालगुजारी शायद बढ़ जाय ।

*२१-२२—श्री रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर)—[३० अगस्त, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ३८-३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

इटावा जिले में चकबन्दी के मुआवजे की वापसी

*२३—श्री तुलाराम (जिला इटावा)—क्या सरकार इटावा जिले की सन् १९४५-४६ की चकबन्दी में दिया हुआ मुआवजे का रुपया किसानों को वापिस देने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक यह रुपया वापिस हो जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सरकार ने जिलाधीश इटावा को सन् १९४५-४६ की चकबन्दी का मुआवजा वापस देने की आज्ञा दे दी है और मुआवजे का कुछ रुपया जमा करने वालों को वापिस भी दिया जा चुका है । जिलाधीश को अब दोबारा आज्ञा दी जा रही है कि बाकी रुपया भी वह जल्द से जल्द वापिस करवा दे ।

श्री तुलाराम—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मुआवजे का कितना रुपया दिया जा चुका है तथा कितना रुपया देना शेष है ?

श्री चरणसिंह—कुल १,३०० रु० के लगभग है । डेढ़ सौ के करीब दिया जा चुका है, ११ सौ के करीब बाकी है । ७० किसानों का कुल मामला है । श्रीमन् आप की इजाजत से मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं, सप्लीमेंट्री उससे शायद कुछ कम हो जायं, पुराने चकबन्दी कानून के मातहत तीन गांवों में चकबन्दी की गई । जाब्ते का दखल भी दे दिया गया फार्मल पजेसन लेकिन आर्डर्स इस तरह से चले गये कि अमलदरामद कागजात में दखल नहीं हुआ और न वाकई दखल की तब्दीली हुई । लिहाजा जिन किसानों के देने के लिये यह ७० किसानों की तरफ से रुपया जमा किया गया था उन्होंने नहीं लिया, तो वह उनको वापस हो जाना चाहिए और वापस हो जायगा ।

श्री तुलाराम—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो रुपया वापस किया गया है वह कब किया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अब से पहले ही किया गया है । सन् ४८ और ५४ के बीच में ।

तरबगंज, जिला गोंडा में टेस्ट वर्क से बनी सड़कों की देख भाल

*२४—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा के तहसील तरबगंज में जो टेस्टवर्क से सड़क बनाई गई है उसके रख-रखाव व देखभाल को जिला बोर्ड या सार्वजनिक निर्माण विभाग दोनों में से कौन करेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--गत वर्ष तहसील तरबगंज जिला गोंडा में ६ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कों पर और १ सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क पर टेस्ट वर्क हुए थे। ये दोनों विभाग अपनी अपनी सड़कों का रख रखाव तथा उनकी देख रेख करेंगे।

श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो छः सड़कें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की हैं, वह कौन कौन सी हैं, उनके नाम क्या हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिये तो सूचना की जरूरत होगी।

*२५-२६--**श्री गंगाप्रसाद सिंह** (जिला बलिया)--[१७ अगस्त, १९५५ को प्रश्न संख्या ३३-३४ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

चकबन्दी आफिसर जौनपुर द्वारा चुने गये कर्मचारियों में हरिजन

*२७--**श्री बाबूनन्दन** (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तारीख २६ फरवरी, १९५५ को चकबन्दी आफिसर, जौनपुर ने किन-किन पदों के कर्मचारियों का चुनाव किया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--२६ फरवरी, १९५५ तथा अन्य तिथियों पर चकबन्दी अफसर ने अमीनों, लिपिकों, मोटर ड्राइवर, चपरासियों तथा डाक ढोने वालों और अन्य निम्नश्रेणी के कर्मचारियों का चुनाव किया था।

*२८--**श्री बाबूनन्दन**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुल कितने व्यक्ति उपर्युक्त पदों पर लिये गये और उसमें कितने हरिजन हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--कुल जितने व्यक्ति उपरोक्त पदों पर चुने गये तथा उसमें कितने हरिजन हैं उनका ब्यौरा संलग्न सूची में दिया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३७७ पर)

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि २१७ अमीनों में एक भी हरिजन अमीन क्यों नहीं चुना गया, जब कि उनकी दरख्वास्तें उपलब्ध थीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--अमीनों के लेने में ये आर्डर्स थे कि जितने पुराने पटवारी हैं जो अलहदा हो गये थे उनमें से अच्छे लोग छांट कर रखे जायं। बद किस्मती से उनमें हरिजन नहीं थे, मगर उनकी हालत हरिजनों जैसी हो गयी थी। यह उनके ऊपर रिआयत कर के आर्डर्स दिये गये थे और वही पुराने रक्खे गये थे, इसलिये उनमें से कोई हरिजन नहीं आया।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या यह बात जरूरी है कि अमीनों की नियुक्ति में कोई टेक्निकल एजूकेशन की भी जरूरत होती है ?

श्री चरणसिंह--दरअसल वे लेखपाल लोग ही हैं और लेखपालों की आवश्यकता थी, लेकिन कंसालिडेशन रूल्स में उनका नाम अमीन रखा गया। आमतौर पर एक तहसील में साढ़े तीन सौ पुराने पटवारी कह लो या लेखपाल कह लो, उनकी और ट्रेन्ड आदमियों की जरूरत है। तो सौ आदमी तो हर तहसील में लगे हुये हैं, ढाई सौ की जरूरत थी। हमने तय किया था कि जो पुराने पटवारी हैं उनको ले लिया जाय बजाय नये आदमियों के लेने के, और चूंकि उनमें हरिजन नहीं थे इसलिये नहीं आ पाये, और जो नये लेखपालों की भर्ती हुई है तो उसमें ५-६ फीसदी उनकी भर्ती हुई भी।

जिलाधीश देवरिया की अदालत में अपील के मुकदमे

*२९--**श्री रामेश्वरलाल** (जिला देवरिया)--क्या माल मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि देवरिया जिले के जिलाधीश के इजलास में सन् १९५४ सम्पूर्ण और १९५५ के फरवरी

माह तक कितनी अपील के मुकदमे दाखिल हुए ? उनमें कितनों के फैसले हो गये और कितने पड़े हुये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इस अवधि में १२५ माल की अपीलें तथा ३४ फौजदारी के मुकदमें दाखिल हुये और इन सभी पर निर्णय दे दिये गये हैं ।

श्री रामेश्वरलाल---क्या यह सही है कि १९५५ के फरवरी महीने तक कथित मुकदमों के फैसले हो गये थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--उत्तर में आप को बताया गया कि १२५ माल के और ४४ फौजदारी के मुकदमो की अपीलें दायर हुई और उन पर निर्णय हो गया ।

श्री रामेश्वरलाल---माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि इन मुकदमों के फैसले में कितनी अवधि लगी ?

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, मुकदमों को अलग-अलग बताने के लिये तो दिन भर चाहिये ।

श्री रामेश्वरलाल--क्या यह सही है कि ये जो मुकदमें बतलाये गये हैं उनके फैसलों में जरूरत से ज्यादा समय व्यय हुआ ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं, क्योंकि यह इससे ही जाहिर है कि जो फरवरी में मुकदमें दर्ज हैं उनके फैसले जून में हो गये हैं, क्योंकि जवाब जून में चला है । हर मुकदमे की तारीख नहीं मालूम है ।

जिला जालौन में ट्रैक्टरों द्वारा कांस उत्पाटन

*३०--**श्री बसन्तलाल**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५४-५५ में जिला जालौन में कांस उखाड़ने वाले कितने सरकारी ट्रैक्टर भेजे गये ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफ़री--जिला जालौन में कांस उखाड़ने के लिये भारत सरकार की केन्द्रीय ट्रैक्टर आर्गनाइजेशन की १८ ट्रैक्टरों की १ यूनिट भेजी गई ।

*३१--**श्री बसन्तलाल**---क्या सरकार को यह मालूम है कि परगना कालपी व परगना जालौन में किन-किन ग्रामों में कितनी जमीन से कांस उखाड़ा गया ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफ़री---केवल कालपी परगना में २५-३-५५ तक १२ ग्रामों में ५३४९ एकड़ भूमि से कांस निकाली गयी जिसका विवरण यह है:--

	एकड़
१--परीसा	६००
२--हंसा	८०२
३--फहरामपुर	६९
४--टहारपुर	५१
५--बवीना	१२१६
६--मरगायां	२४५
७--नाका	४५३
८--बमहारी खुर्द	१७८
९--कदौरा	४३२
१०--पंडौरा	१५१
११--बड़ा गांव	५३१
१२--मेन्डी	६२१
योग ..	५,३४९

जालौन परगना में अभी कार्य आरम्भ नहीं हुआ है ।

श्री बसन्तलाल—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि परगना जालौन में कांस उखाड़ने का कार्य अब तक आरम्भ नहीं हुआ है इसका क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह—कालपी का काम बड़ा सख्त था।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि ये जो ट्रैक्टर्स गवर्नमेंट आफ़ इंडिया सेन्ट्रल ट्रैक्टर्स आर्गेनाइजेशन से कांस निकालने के लिये आते हैं उनके लिये प्रादेशिक सरकार किस रेट पर गवर्नमेंट आफ इंडिया को पेमेंट करती है ?

श्री हुकुमसिंह—पहले तो ५५ रुपये था। अब ४० के लिये कहा गया है और उसके बारे में लिखा-पढ़ी हो रही है। अभी कतई तौर से कोई रेट तय नहीं हुआ है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या यह सही है कि कांस के निकालने का सारा ख़र्च किसानों को देना पड़ता है और उत्तर प्रदेश की सरकार एक पाई भी नहीं देती है ?

श्री हुकुमसिंह—सरकार पाई नहीं देती है, पैसा ख़र्च करती है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह सेन्ट्रल ट्रैक्टर्स आर्गेनाइजेशन से क्यों ट्रैक्टर्स मंगा रही है ? क्या प्रादेशिक सरकार के पास खुद के टैक्टर्स नहीं हैं ?

श्री हुकुमसिंह—इतने बड़े हमारे पास नहीं हैं जो इस कांस के निकालने के काम में आयें।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि उसने कुल कितना रुपया कांस की उखड़ाई में ख़र्च किया ?

श्री हुकुमसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जो कांस निकालने का ख़र्च सेंट्रल ट्रैक्टर्स आर्गेनाइजेशन को दिया जाता है उसमें कितना प्रतिशत यू० पी० सरकार बर्दाश्त करती है और कितना प्रतिशत किसानों से लिया जाता है ?

श्री हुकुमसिंह—इसके लिये भी नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री बसन्तलाल—क्या यह सही है कि कांस उखाड़ने का रेट अधिक होने के कारण ज्यादातर काश्तकार कांस उखड़वाने पर तैयार नहीं हो रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह—अभी तक तो राज़ी थे अब आयन्दा देखें।

कृषि फार्म बेलाताल, जिला हमीरपुर का आय-व्यय तथा अनुसन्धान कार्य

*३२—**श्री तेजप्रताप सिंह** (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि फार्म बेलाताल, जिला हमीरपुर पर पिछले तीन वर्षों में कितना प्रति वर्ष व्यय हुआ तथा कितनी उससे आय हुई ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—कृषि फार्म बेलाताल, जिला हमीरपुर पर पिछले तीन वर्षों का आय तथा व्यय का लेखा निम्नांकित है :—

वर्ष			व्यय	आय
			रु०	रु०
सन् १९५२–५३	..	..	१४,०६८	१०,५२१
सन् १९५३–५४	..	..	१४,८०८	६,२७३
सन् १९५४–५५	..	..	१४,०३९	२,५०६

*तारांकित प्रश्न ३२-३४ श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य ने पूछे।

*३३--श्री तेजप्रताप सिंह (अनुपस्थित)--क्या कृषि मंत्री संक्षेप में बताने की कृपा करेंगे कि इस फार्म में अब तक कौन-कौन से कृषि संबंधी प्रयोग और खोज के काम किये गये हैं और उनका क्या परिणाम हुआ है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--इस फार्म पर बुन्देलखंड की अवस्थाओं में तिल, अंडी तथा अलसी की विभिन्न जातियों का परीक्षण किया गया है । इनके अतिरिक्त ज्वार और चनें की जातियां भी परीक्षित की गई हैं । अब तक कोई भी जाति वहां की स्थानीय जातियों से निश्चित रूप से अच्छी नहीं प्रतीत हुई हैं ।

*३४--श्री तेजप्रताप सिंह (अनुपस्थित)--क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्होंने कोई ऐसी योजना हाल ही में बनाई है कि जिससे बुन्देलखंड में ज्वार और बाजरा आदि अन्नों पर प्रयोग और खोज करके इन बीजों को अधिक समुन्नत एवं उत्पादनशील बनाया जा सके ? यदि हां, तो वह योजना क्या है और वह कैसे, कब तक और कहां कार्यरूप में परिणत की जायेगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जी हां । प्रदेशीय कृषि विभाग ने ज्वार के उन्नतिशील बीज के उत्पादन एवं प्रयोग के लिये हाल ही में एक योजना बनायी है । इस योजना का कार्यक्षेत्र बुन्देलखंड ही है । इसके कार्यरूप में परिणत किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन तीनों वर्षों में लगातार खर्चा तो वही १४ हजार हुआ है लेकिन आय १०,६ और फिर २ हजार हुई है यानी बराबर घटती गयी है । इसका क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह--कारण यह है कि यह फार्म खोज करने के लिये है, फायदे के लिये नहीं ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्ष यानी जो पहले १० हजार रुपये की आय हुई, फिर ६ हजार रुपया की आय हुई और फिर २ हजार रुपये की आय हुई, तो खर्च तो वही रहा खोज पर, फिर आमदनी में कमी क्यों हुई ?

श्री हुकुमसिंह--यह तो बिलकुल साफ है, पैदावार कम हुई ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब यहां आय भी कम होती जाती है और जो परीक्षण किया जाता है वह भी सफल नहीं होता है तो क्या सरकार इस फार्म को बन्द कराने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह--अभी क्रास ब्रीडिंग करायेंगे तब देखेंगे कि सफल होता है या नहीं होता है ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--क्या माननीय मंत्री जी इस बात की इन्क्वायरी करायेंगे कि इस फार्म की पैदावार हर साल घटती क्यों जाती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--इसकी पैदावार हर साल जो इसमें घटती दिखलायी पड़ती है उसकी वजह यह है कि वहां जो बीज पैदा होता है वह मुख्तलिफ अफसरों और मुख्तलिफ जगहों को भेज दिया जाता है जिसकी वसूली में कभी-कभी देर हो जाती है । जो १० हजार रुपये की आय दिखलायी गयी है उसमें पिछली वसूली भी शामिल है, फिर ६ हजार रु० है, इसी वजह से आय में फर्क दिखलायी पड़ता है ।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिन अफसरों के यहां सामान भेजा जाता है उस की वसूली वह शीघ्रातिशीघ्र करेगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--इसकी जरूर कोशिश की जायगी और की जा भी रही है।

भूमि आपरीक्षण तथा भूमि अध्ययन योजना की प्रगति

*३५--**श्री रामहेत सिंह** (जिला मथुरा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिट्टी की जांच व इस कार्य की योजनाएं उत्तर प्रदेश में किस-किस जगह कार्यान्वित हो रही हैं तथा इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--इस प्रदेश में भूमि आपरीक्षण तथा भूमि अध्ययन की एक योजना चल रही है। इसके अन्तर्गत अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, कानपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, बनारस, मिर्जापुर, गाजीपुर, झांसी, जालौन, बरेली, उन्नाव, और गोरखपुर जिलों में कार्य समाप्त हो चुका है और इस समय आगरा, लखनऊ, बलिया, बांदा और लखीमपुर जिलों में कार्य हो रहा है।

२--इस योजना की अब तक की प्रगति का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३७८ पर)

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो यह मिट्टी में एक्सपेरीमेंट्स हो रहे हैं तो उसका फायदा हमारे यहां के किसानों को कब होगा ?

श्री हुकुमसिंह--जब आखिरी नतीजा बरामद हो जायेंगे तब किसानों को फायदा होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या इस संबंध में जांच किसी पर्वतीय जिले में भी हो रही है ?

श्री हुकुमसिंह--जिले के नाम इसमें दे दिये गये हैं, पहाड़ी जिला शायद अभी इसमें कोई नहीं है।

श्री रामहेत सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि परीक्षण किये हुये जिलों में जो अनुभव प्राप्त हुये हैं उसके आधार पर उसी प्रकार के किसान अपनी जमीन पर फसल उगायें उसमें सरकार की क्या नीति है ?

श्री हुकुमसिंह--अभी फाइनल रिजल्ट्स बरामद नहीं हुये हैं। अभी तो डिफरेंट स्टेजेज पर ऐक्सपैरीमेंट हो रहे हैं, जब फाइनल रिजल्ट्स बरामद हो जायेंगे, तब कुछ कहा जा सकता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह स्वायल के ऐक्सपैरीमेंट्स कितने वर्षों से हो रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह--ऐक्सपैरीमेंट्स तो हमेशा होते रहते हैं। यह साधारण बात नहीं है कि एक दिन में खत्म हो जाय। जब तक फाइनल रिजल्ट्स कतई तौर पर बरामद नहीं होंगे तब तक ऐक्सपेरीमेंट्स होते रहेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी पर्वतीय जिलों में भी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह—अवश्य करेंगे, कोई जिला आखीर तक छोड़ेंगे नहीं।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि फायनल रिजल्ट्स का अंतिम निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री हुकुमसिंह—अगर यही मालूम हो जाता तो मैं बतला देता।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसकी जांच बहराइच में पूरी हो गई है ?

श्री हुकुमसिंह—अभी शुरू नहीं हुई।

प्रदेश में मधुमक्खी-पालन की प्रगति

*३६—श्री रामहेत सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मधुमक्खी पालन का कार्य कहां-कहां पर हो रहा है तथा इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—मधु मक्खी पालन का कार्य अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल (पर्वतीय प्रदेश) तथा लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और उन्नाव (मैदानी प्रदेश) में किया जा रहा है।

इस कार्य की प्रगति के संबंध में एक विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३७९–३८० पर)

श्री रामहेत सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ में ७३३ पौंड ४ औंस शहद निकला और ५३-५४ में ४९० पौंड १० औंस ही निकला, इस कमी का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह—मैदानी इलाकों में बन्द कर दिया था इसी वजह से ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार प्रदेश में मधु मक्खी पालन को बढ़ाने के लिये किसी विशेष योजना पर विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मैंने रखा है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मधु मक्खी पालन में सरकार क्या-क्या सहायता जनता की कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह—उनको ऐक्सपर्ट्स ओपीनियन देते हैं, इसकी ज्योलीकोट में ट्रेनिंग देते हैं। कहीं-कहीं माली सहायता भी देते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ज्योलीकोट में जो शिक्षा दी जा रही है तो वहां पर सरकार क्या बीहाइव भी बेचती है ?

श्री हुकुमसिंह—इस वक्त मैं इसको ठीक नहीं कह सकता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विशेष योजना क्या रखी है ?

श्री हुकुमसिंह—इसमें दो लाख रुपये का खर्चा रखा है इसकी रूप-रेखा मैं नहीं बतला सकता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन मधुमक्खियों का उत्पादन जो मैदानी इलाके में रोक दिया गया है वह इसलिये रोक दिया गया है कि मधु कम उत्पन्न हुआ तो इसका क्या कारण था ?

श्री हुकुमसिंह--यहां पर वह ठीक चला नहीं।

श्री रामेश्वरलाल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि मधुमक्खी का पालन प्रांत में फैलाने के रास्ते में क्या-क्या अड़चनें हैं ?

श्री हुकुमसिंह--उसमें अभी सहयोग देने वाले लोगों की कमी है।

जिला देवरिया में सरकारी मोटर गाड़ियों का प्रयोग तथा उन पर व्यय

*३७--श्री गेंदासिंह--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि देवरिया जिले में सरकारी मोटर गाड़ियां कितनी और किसके पास हैं तथा १९५२-५३ और १९५३-५४ में इन मोटर गाड़ियों पर पेट्रोल मरम्मत तथा ड्राइवरों पर अलग-अलग कितने रुपये व्यय हुये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--देवरिया जिले में सरकरी गाड़ियों की संख्या और वे किस किसके पास हैं तथा ५२-५३ और ५३-५४ में उन गाड़ियों पर पेट्रोल, मरम्मत तथा ड्राइवरों पर अलग-अलग कितने रुपये व्यय हुये हैं, उसकी सूची मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३८१-३८५ पर)

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इन गाड़ियों का किस प्रकार से प्रयोग हो और पेट्रोल और मरम्मत पर कितना धन व्यय हुआ है इसकी जांच-पड़ताल की व्यवस्था सरकार ने की है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इन गाड़ियों के सिलसिले में रूल्स बने हुये हैं और उन रूल्स के मुताबिक ही काम होता है। अगर किसी के बारे में माननीय सदस्य को शिकायत हो और वह बतलायें तो उसकी जांच स्पेशल तरीके से की जा सकती है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या सरकार बतलायेगी कि सरकारी अफसर इन सरकारी गाड़ियों को अपना पेट्रोल डालकर सिनेमा ले जा सकते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो देवरिया के जिलाधीश को तीन गाड़ियाँ लिखी गयी है उनमें से दो बाढ़ और अकाल का कार्य करने के लिये लिखी गयी हैं तो क्या उनको इस बात की जानकारी है कि पिछले वर्ष ये बाढ़ और अकाल के काम में नहीं लायी गयीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री गेंदासिंह--क्या यह सही है कि कुछ सदस्यों ने भी इस बात की शिकायत की कि वहां पर जो फैमिन के इंजीनियर हैं या दूसरे दीगर लोग जो काम करते हैं उनको सवारी की कमी है और उनके लिये सवारी की कमी होने की वजह से जो टेस्ट वर्क वहां पर चल रहा था उसकी निगरानी वह ठीक तरीके से नहीं कर पाये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ऐसी कोई शिकायत मेरे पास फाइल में नहीं है यह जो गाड़ियां दी गयीं थीं वह डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स को और उनके जो सबार्डिनेट थे उनके काम के लिये दी गयी थी और उसी काम में वह इस्तेमाल हुईं।

शरणार्थियों के मुआवजे की अदायगी

*३८--श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फरवरी, १९५५ तक प्रांत में शरणार्थियों के कितने प्रार्थना-पत्र claims settlement (मुआवजे) के लिये आये हैं और कितनों की अदायगी की जा चुकी है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--शरणार्थियों के मुआवजे की अदायगी का कार्य रीजनल सेटिलमेंट कमिश्नर यू० पी० के द्वारा केंद्रीय सरकार की देखरेख में होता है। प्रदेशीय सरकार का इससे कोई वास्ता नहीं है अतः मांगी हुई सूचना की सामग्री प्रदेशीय सरकार को उपलब्ध नहीं है।

श्री तेजासिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह सूचना केंद्रीय सरकार से मंगाने की कृपा करेंगे ताकि उनको पता चले कि इस विषय में क्या प्रगति प्रांत में हुई है ?

श्री हुकुमसिंह--उसके बारे में जवाबदेही प्रदेशीय सरकार की नहीं है। केंद्रीय सरकार का उससे संबंध है।

श्री तेजासिंह--क्या सरकार केंद्रीय सरकार से सूचना मंगवाने की कृपा करेगी ताकि यह उनके सामने रहे कि क्या प्रगति हुई है ?

श्री हुकुमसिंह--मैं कोशिश करूंगा।

कृषि रक्षा सेवा-कार्यालय रानीखेत में फसलों के कीड़ों की रोक-थाम की व्यवस्था

*३९--**श्री खुशीराम** (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पर्वतीय जिलों, अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल में अनाज और आलू को नुकसान करने वाले कीड़े पैदा हो गये हैं ? यदि हां, तो उनको नष्ट करने वाली दवा कहां-कहां से और कैसे किसान वर्ग को मिल सकेगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--हाल में सरकार को कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिससे यह मालूम हो कि पर्वतीय जिलों में अनाज व आलू को नुक्सान करने वाले कीड़े पैदा हो गये हैं। हां, अल्मोड़ा नैनीताल, गढ़वाल में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े पैदा हुआ ही करते हैं। कृषि रक्षा सेवा कार्यालय जिसका सदर मुकाम रानीखेत (जिला अल्मोड़ा) में है, इन कीड़ों की रोकथाम के लिये यथासंभव व्यवस्था करता है तथा कृषकों को परामर्श देता है तथा किसान वर्ग इस कार्यालय से पूरी-पूरी सहायता व जानकारी प्राप्त कर सकता है।

श्री खुशीराम--पर्वतीय जिलों में नुक्सान की सूचना देने वाला कौन विभाग है ?

श्री हुकुमसिंह--जिले के एग्रीकल्चर आफीसरों और किसानों को देना चाहिये।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट--क्या सरकार इस प्रश्न को सूचना समझ कर जिले अल्मोड़ा के लिये दवाई का प्रबन्ध करेगी ?

श्री हुकुमसिंह--रानीखेत में इसका प्रबन्ध है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--रानीखेत का प्लांट प्रोटैक्शन आफीसर कितने जिलों की देखभाल करता है ?

श्री हुकुमसिंह--जवाब में बताया गया है कि तीनों जिलों की।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--उसके पास आजकल कितना स्टाफ है ?

श्री हुकुमसिंह--स्टाफ कम है, इसमें शक नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि पिछले वर्ष इस सदन में सरकार ने कहा था कि आलू के कीड़े मारने की एक योजना एग्रीकल्चरल रिसर्च कौंसिल के पास भेजी गई है, उस योजना का क्या हुआ ?

श्री हुकुमसिंह--उस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया ।

उत्तर प्रदेश में जूट उत्पादन वृद्धि की योजना

*४०--श्री गेंदासिंह--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जूट उत्पादन को बढ़ाने के लिये अब तक क्या हो सका है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--इस प्रदेश में १९५१-५२ के पहले ४० जूट विकास केंद्र १६ जिलों में कार्य करते थे । सन् १९५१-५२ में २० केंद्र और खोले गये और १९ जिलों में कार्य हुआ । सन् १९५२-५३ में १० केंद्र और खोले गये तथा इसका कार्य २० जिलों फैल गया ।

सन् १९५२-५३ में जूट का भाव इतना गिरा कि किसानों ने बोवाई कम करदी जिसके कारण ५ विकास केंद्र कम करने पड़े ।

पिछले साल १९५४-५५ में फिर भाव अनुकूल रहा है और बोआई अच्छी हुई और अब इसका कार्य २५ जिलों में हो रहा है ।

रेशे की उत्तमता व प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिये भी कार्य किया जा रहा है ।

*४१--श्री गेंदासिंह--जूट की उचित कीमत किसानों को मिल सके इसके लिये सरकार कोई प्रबन्ध कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जूट का भाव अन्तर्राष्ट्रीय भाव पर निर्भर रहता है इस साल भाव अनुकूल है अतः यह समस्या सामने नहीं है ।

श्री गेंदासिंह--प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितना जूट उत्तर प्रदेश को पैदा करना था और उसमें से कितना इस समय तक पैदा हो सकता है ?

श्री हुकुमसिंह--मेरे पास आंकड़े इस समय नहीं है । नोटिस की जरूरत है ।

श्री गेंदासिंह--क्या सरकार कुछ और जिलों में ऐसे केंद्र खोलने पर विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह--काफी जिलों में अब हमारा काम हो रहा है ।

श्री गेंदासिंह--क्या कुछ और जिलों में जहां काम शुरू नहीं हुआ है उनमें कुछ केंद्र खोलने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह--जी हां ।

श्री गेंदासिंह--जो केंद्र खोले गये हैं उनमें से क्या कुछ के बारे में यह शिकायत है कि यह नहीं चलाये गये ?

श्री हुकुमसिंह--५ तोड़े गये जहां काम ठीक नहीं चला ।

श्री रामेश्वरलाल--क्या सरकार जूट बोने वालों को अग्रिम तकावी देने पर विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह--किसी किसान ने तक़ावी नहीं मांगी है । जब फ़ायदा देखते हैं तो खुद ही काम करते हैं ।

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)--क्या सरकार किसानों की सहूलियत को देखते हुये जूट खरीदने के कोई केन्द्र खुलवाने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह--ऐसा हमारे सामने अभी कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--५ केंद्र जो तोड़े गये हैं वे कहां-कहां थे ?

श्री हुकुमसिंह--इस समय नाम मेरे पास नहीं हैं।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--क्या बाढ़-क्षेत्रों में जूट की खेती करने के लिये सरकार अनिवार्य व्यवस्था कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह--ज्यादातर बाढ़ के इलाके में ही यह काम है, देवरिया, बहराइच, पीलीभीत, खीरी वगैरह में है और ये सब बाढ़ के ही इलाके हैं।

श्री गेंदासिंह--क्या सरकार यह देखते हुये कि जिस जूट की यू० पी० में कम कीमत मिलती है उसकी बंगाल में अधिक मिलती है, कोई मार्केटिंग की सुविधा देने पर विचार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह--मैं इस प्रश्न को सोच रहा हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या सरकार गांवों को जूट सड़ाने के लिये गड्ढा खुदवाने के लिये कोई सहायता भी देती है ?

श्री हुकुमसिंह--अच्छा बीज देते हैं खाद्य का प्रयोग उन्हें बताते हैं। रेशा ठीक से निकालने की ट्रेनिंग देते हैं और बातें भी होती हैं।

श्री जगन्नाथमल्ल--मेरा सवाल यह था कि जूट के डंठल सड़ाने को सरकार कुछ सहायता देती है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह--कोई १५० गढ्ढे बन चुके हैं और १५०,२०० के करीब और बनेंगे।

अतारांकित प्रश्न

स्टाकमैन केन्द्र रामगढ़, जिला मिर्जापर का उन्मूलन

१--श्री राम स्वरूप--क्या कृषि मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि स्टाकमैन केंद्र, रामगढ़ जिला मिर्जापुर क्यों तोड़ दिया गया ?

श्री हुकुम सिंह--विभाग में स्टाकमैनों की कमी के कारण इस केंद्र को तोड़ना पड़ा था। इस वर्ष एक स्टाक मैन को रामगढ़ में नियुक्त करने का आदेश दिया गया है।

मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि शुक्रवार के राज श्री राज नारायण जी ने एक अविश्वास का प्रस्ताव श्री सम्पूर्णानन्द जी और उनकी मिनिस्ट्री के ऊपर पेश करने की इजाजत मुझसे मांगी थी और दो मिनट पहले उस प्रस्ताव की नोटिस मेरे सचिव के पास भेज दी थी। तो उस पर निर्णय देने का मुझे समय उस वक्त नहीं मिला था। मैंने उसको पढ़ा और बड़े गौर से पढ़ा। मेरा स्पष्ट मत है कि जो प्रस्तावों के संबंध में नियम हैं वे वही हैं जो संकल्प के संबंध में हुआ करते हैं यानी रेजोल्यूशन और मोशन के लिये दोनों के लिये तरीका एक ही होता है कि इस तरह से संकल्प इन शब्दों में या इस प्रकार के शब्दों में होना चाहिये। यह नियम हमारे यहां के नियमों में ७९ है। मैं देखता हूं कि उस नियम का पालन इस प्रस्ताव के उपस्थित करने में नहीं किया गया है, क्योंकि उसकी भाषा प्रस्ताव के रूप में जैसी होनी चाहिये

वैसी नहीं है। दूसरे मैंने यह भी देखा कि प्रस्ताव में बहुत से कारण दिये हैं जिनकी वजह से मिनिस्ट्री के ऊपर अविश्वास उत्पन्न होना दिखलाने का प्रयत्न किया गया है; और वे कारण ऐसे हैं जिनको मैं उचित नहीं समझता कि सदन के सामने पढ़ूं क्योंकि प्रस्ताव में यह भी कारण बताया गया है कि इस आदरणीय सदन ने, जो यहां पर विधेयक उपस्थित होने पर अधिनियम पास किये हैं वे भी लांछनीय हैं। जिस प्रस्ताव में सदन के कार्य पर लांछन हो या सदन के ऊपर अविश्वास प्रगट होता हो, तो यदि सदन की प्रतिष्ठा मुझे रखनी है, ऐसे प्रस्ताव को सदन में लिये जाने की इजाजत नहीं दूंगा। अविश्वास में ऐसी भी चीजें बतलाई गई हैं जिससे यह ध्वनि निकलती है मानो सरकार के हुक्म से सदन चलता हो। यह भी सदन की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है कि यह कहा जाय कि सरकार जो हुक्म दे वैसे ही कानून पास हो जाता है। तो इस तरह की बातें इस प्रस्ताव में आई हैं। तो इस दृष्टि से भी मैंने देखा कि वह अवैध है, जहां तक उस का फार्म, या उस का विषय या मैटर है।

दूसरे इस विषय में यद्यपि मुझे अधिक जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन मैं संकेत करना उचित समझता हूं। मुझे मालूम हुआ है कि विरोधी दल के नेता या दूसरी पार्टियों के सदस्यों से इस तरह के प्रस्ताव को लाने के बारे में माननीय प्रस्तावक ने सलाह नहीं ली है। एक दफा वह इस प्रकार का प्रस्ताव और लाये थे उस वक्त वह विरोधी दल के नेता थे। आम तौर पर विरोधी दल के नेता वही होते हैं जो विरोधी दल के बहुमत दल के नेता हों और सब जगह विधान सभाओं और पार्लियामेंट में प्रथा है कि इस तरह के प्रस्ताव बहुत जिम्मेदारी के साथ आने चाहिये क्योंकि उस में अगर सरकार हार जाती है तो दूसरी सरकार बनाने की जिम्मेदारी किसी को ओढ़ना पड़ती है। यह नहीं होता कि अचानक कोई मेम्बर खड़ा हो कर इस तरह का प्रस्ताव ले आये इसलिये प्रथा है कि आम तौर पर इस तरह के प्रस्ताव विरोधी दल के नेता ही लाते हैं क्योंकि विरोधी दल में उन्हीं को बहुमत प्राप्त होता है और अगर दूसरे लोग भी लाते हैं तो कम से कम दूसरी पार्टियों से सलाह कर लेते हैं कि कौन उन के साथ सहमत है? हमारे यहां दुख की बात है कि इस तरह का कोई नियम नहीं है। जो नियम १४६ है उस को मैंने गौर से पढ़ा, उस में उन्होंने एक रोकटोक रक्खी है कि अगर अध्यक्ष किसी प्रस्ताव को अवैध पाये तो पढ़कर सुना दे और देख ले कि उस के साथ कौन सदस्य सहमत हैं और वह सदस्य जो सहमत हों वह अपने स्थान पर खड़े हो कर बतलायें, तो उस से पता लग जाता है कि प्रस्ताव जिम्मेदारी के साथ आया है या नहीं? एक दो या दस पांच सदस्य खड़े होते हैं तो समझा जाता है कि सदन की अनुमति नहीं है लेकिन अगर पंचमांश या पांचवां हिस्सा सदस्यों का खड़ा हो जाता है उस की सपोर्ट में तो समझा जाता है कि अनुमति मिल गई। यह एक तरीका अब तक नियमों में रहा है। खैर, जब तक यह नियम है तब तक हम उस के अनुसार कार्य करने में बाध्य हैं लेकिन मैंने इशारा इसलिये कर दिया कि नियमों में संशोधन करने के लिये जो कमेटी सदन की बैठी है वह इस पर विचार कर ले कि इस संबंध में भविष्य में कैसे नियम होने चाहिये। जो प्रथा दूसरी जगह की है वह मैंने बतला दी। यह तो है ही कि इस तरह के प्रस्ताव जिम्मेदारी के साथ ही आ सकते हैं। इतना मैं इशारा किये देता हूं कि वर्तमान नियम के अनुसार ही मुझे तब तक कार्यवाही करनी होगी। जहां तक इस प्रस्ताव का संबंध है, मैंने उस की जो फार्म और शक्ल है और जो उस का विषय दिया हुआ है उसको देखते हुये उस को अवैध करार दिया है और उस को पेश करने की मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मुझे निवेदन यह करना है कि आपने जहां तक फार्म आदि की व्यवस्था दी, उस संबंध में मैं फिर निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को दूसरे फार्म में भी आप की राय से लाया जा सकता है। इसी सदन में श्री मोहन लाल गौतम के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था और उस समय जो प्रस्ताव का फार्म था, और जिस पर आप की सहमति थी, उसी फार्म में इस प्रस्ताव को भी लाने की कोशिश की गई है।

श्री अध्यक्ष--उस के ऊपर आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप को उस के संबंध में कुछ कहना है तो आप मेरे कमरे में आयें। इस समय सूचना देने का कोई स्थान नहीं है। आप को अब मैं

[श्री अध्यक्ष]

इजाजत नहीं देता, आप अपना स्थान ग्रहण करें। मेरे फैसले पर आप किसी प्रकार की टीका या इशारा नहीं कर सकते।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, दूसरी बात आपको बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--मैं आपको इजाजत नहीं देता। आप अपना स्थान ग्रहण करें। मेरे फैसले के ऊपर आप किसी किस्म की टीका या कोई भी उसके ऊपर तकरीर नहीं कर सकते। आपको इस बात के लिये कुछ कहना है या कोई प्रस्ताव लाना है या सलाह मुझसे लेनी है तो उसके लिये यह स्थान नहीं है। यहां सदन में बैठकर यदि आप कोई कार्य करेंगे तो मुझे सदन के नियमों का पालन कराना पड़ेगा।

श्री राजनारायण--दूसरी व्यवस्था के लिये मुझे आपसे निवेदन करना है। लेकिन जहां तक इस बात का प्रश्न है कि दूसरे दलों से हमने इस संबंध में सहमति ली है या नहीं तो जो विरोधी दल के चीफ हिवप यहां बैठे हुये हैं उन्होंने मुझे बताया...।

श्री अध्यक्ष--यह बात मुझसे गेंदासिंह जी ने स्वयं कही थी। मुझे ताज्जुब हुआ कि आप बाद में जो कुछ चाहे करें लेकिन वह बात उस वक्त की थी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न और है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन का भी और और सदनों का भी नियम यह रहा है कि माननीय अध्यक्ष यदि कोई रूलिंग दे दें और उनके सामने प्रमाण पेश किये जायं और उन्हें संतुष्ट कर दिया जाय तो वे अपनी रूलिंग को बदल सकते हैं तो क्या आप ऐसी कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--यदि नियम यह रहा है तो कमरे में आकर आप मुझसे कह सकते हैं, यहां आप बहस नहीं कर सकते हैं। आप मेरे कमरे में कभी भी आ सकते हैं और अगर आपकी बात ठीक हुई और आवश्यक हुआ तो रूलिंग बदली भी जा सकती है।

श्री राजनारायण--तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सूचना दिये देता हूं कि मैं कल फिर अविश्वास का प्रस्ताव लाऊंगा।

श्री अध्यक्ष--यह सूचना देना इस समय गलत है और न यह नियमों के अनुसार है।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--श्रीमन्, अभी माननीय राजनारायण जी ने कहा कि उन्होंने अन्य दलों की सहमति ले ली है। मैं सूचना के लिये बतला देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रस्ताव देने के बाद हमारी राय चाही थी।

श्री अध्यक्ष--इसकी कोई बहस नहीं है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि प्रस्तावक महोदय कोई नियम-कायदा न मानते हों तो उनके लिये कोई रास्ता आप कृपा करके बता सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--मेरा काम सलाह देने का नहीं है मुझे तो आज्ञा देने का और उसे मनवाने का अधिकार है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय राजनारायण जी ने हमारे दल से कोई राय नहीं ली।

गोआ सत्याग्रह में श्री जगन्नाथसिंह, एम० एल० ए० के घायल होने के विषय में सूचना

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, पिछले बुधवार को मुझसे कहा गया था कि इस सदन के सदस्य माननीय जगन्नाथ सिंह जी, जो सत्याग्रह में शरीक होने के लिये

गोआ गये थे उनके बारे में जानकारी हो वह सदन के सामने उपस्थित करूं। हमनें बम्बई सरकार से इस संबंध में जो जानकारी प्राप्त की है वह मैं आपकी आज्ञा से सदन के सामने रखता हूं। कुछ और सत्याग्रही जगन्नाथ सिंह जी के साथ १३ अगस्त को बेलगांव पहुंचे। फिर १४ अगस्त को वे लोग, मजाली नाम की एक जगह है, वहां पहुंचे। वहां से १५ अगस्त को जगन्नाथ सिंह जी और उनके साथी ११ बजे दिन में गोआ में दाखिल हुये लेकिन वहां किसी वजह से वे रास्ता भूल गये और फिर लौट आये। लेकिन तीसरे पहर फिर गोआ गये। १६ तारीख को वहां उन्हें रोका गया। इसके बाद पुलिस ने उनको बाहर निकाल दिया। इस संबंध में श्री जगन्नाथ सिंह जी को थोड़ी चोट आई, क्या चोट आई इसका ब्योरा नहीं है। वे करवार अस्पताल में दाखिल हुये लेकिन १७ तारीख को अस्पताल से चले आये। जहां तक बम्बई सरकार को सूचना है वे वहां से उत्तर प्रदेश के लिये रवाना हो गये हैं। इसके आगे फिर खबर नहीं मिल सकी।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--इस संबंध में मैं माननीय मुख्य मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या आपके उत्तर प्रदेश के जो सत्याग्रही गोआ में गये हैं, यदि सरकार को यह मालूम हो कि वे वहां अस्पताल आदि में पड़े हैं या उनके दवा आदि की समुचित व्यवस्था नहीं हुई है तो क्या कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से हो सकेगी? श्री रामनरेश सिंह जी हमारे यहां के एक जत्थे का नेतृत्व कर रहे थे। इस पत्र में यह लिखा है कि वे वहां बेलगांव अस्पताल में पड़े हैं और उनके हाथ की हड्डी टूट गई है।

श्री अध्यक्ष--क्या वे इस सदन के सदस्य हैं?

श्री राजनारायण--वे इस सदन के सदस्य नहीं हैं लेकिन यदि हमारे प्रदेश का कोई भी व्यक्ति हो....।

श्री अध्यक्ष--पहले आप अपने प्रश्न का जवाब ले लें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, कुछ जाब्ते की बात तो है नहीं। हमारे प्रदेश का आदमी होगा और तकलीफ में होगा तो किसी न किसी तरह से उसकी मदद करने की कोशिश जरूर की जायगी।

*उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १९५४

†खण्ड ३ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १९५४ पर विचार जारी रहेगा।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (घ) की द्वितीय पंक्ति में "जो" के स्थान पर "जिससे" रख दिया जाय और "संभवतः हानिकारक" के स्थान पर शब्द "हानि होने की संभावना हो" रख दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, इसमें कई शाब्दिक त्रुटियां रह गई हैं जिससे जो मंशा है इस धारा के रखने की वह साफ नहीं हो पाती। मैंने जो संशोधन रक्खा है, उससे इसकी मंशा साफ हो जाती है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)--अध्यक्ष महोदय, इससे मानी साफ हो जाते हैं इसलिये यह स्वीकार है।

---

* २३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

† १९ अगस्त, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (घ) की द्वितीय पंक्ति में "जो" के स्थान पर "जिससे" रख दिया जाय और "संभवतः हानिकारक" के स्थान पर "हानि होने की संभावना हो" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

आदेश प्रचारित करने का अधिकार।

४--(१) धारा ३ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर अथवा उसके पश्चात् जिला मैजिस्ट्रेट नोटिस द्वारा--

(क) आदेश दे सकता है कि प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्येक अध्यासी किसी परजीवी, हानिप्रद तृणादि, नाशक कीट, पौधे अथवा पौधों के रोग के आविर्भाव, फैलाव अथवा पुनरागम को उन्मूलित, नष्ट अथवा निरुद्ध करने के लिये ऐसे निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय करे जिन्हें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नोटिस में निर्दिष्ट करे तथा ;

(ख) किसी पुरुष को, जिसकी आयु १८ वर्ष से न कम हो, और जो उक्त क्षेत्र में रहता हो आदेश कर सकता है कि वह खंड (क) में अभिदिष्ट उपायों को सम्पन्न करने में सहायता करे ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी व्यक्ति को, जो वृद्धावस्था अथवा किसी भी शारीरिक अक्षमता के कारण सहायता करने में असमर्थ हो अथवा जो उस स्थान से, जहां पर उसकी उपस्थिति अपेक्षित हो ५ मील से अधिक दूरी पर रहता हो, सहायता करने के लिये आदेश नहीं दिया जायेगा ;

(ग) वह क्षेत्र तथा अवधि निर्दिष्ट कर सकता है जिसमें खंड (क) में निर्दिष्ट उपाय कार्यान्वित किये जायेंगे ;

(२) उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन प्रत्येक अध्यासी को तथा उक्त उपधारा के खंड (ख) के अधीन अन्य व्यक्तियों को जिसकी सहायता अपेक्षित है, सूचित करना आवश्यक नहीं होगा अपितु क्षेत्र, गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र (locality) में डुग्गी पीट कर अथवा अन्य किसी प्रचलित प्रथा से इस संबंध में की गई घोषणा उस क्षेत्र, गांव अथवा उस स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिये पर्याप्त सूचना (notice) समझी जायगी ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे ख्याल में खंड ४ पास हो चुका है।

श्री अध्यक्ष--नहीं हुआ है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द "जिला" के स्थान पर शब्द "डिस्ट्रिक्ट" रख दिया जाय।

यह परिभाषा का सवाल है। परिभाषा में शब्द "डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट" लिखा हुआ है "जिला मैजिस्ट्रेट" नहीं लिखा हुआ है। इसलिये परिभाषा के शब्दों को वैसा ही रखना चाहिये

जैसा कि परिभाषा में लिखा गया हो। अगर परिभाषा में "जिला मैजिस्ट्रेट" होता तो कोई आपत्ति न होती। जिला मैजिस्ट्रेट शब्द से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल परिभाषा के शब्दों से है। इसलिये जैसा कि परिभाषा में है "डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट" होना चाहिये।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—यह स्वीकार है कि "जिला" के बजाय "डिस्ट्रिक्ट" होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द "जिला" के स्थान पर शब्द "डिस्ट्रिक्ट" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (क) की पंक्ति ६ में शब्द "डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट" के स्थान पर शब्द "डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर" रख दिये जायं।

श्रीमान्, इसमें तो कुछ ऐसी बात नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जगह पर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर रक्खें। तात्पर्य यह है कि डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर खेती बाड़ी संबंधित चीजों को अच्छी तरह से जानता है और इसमें यह आवश्यक है कि जो आफिसर मुकर्रर किया जाय वह खेतीबाड़ी का ज्ञान अवश्य प्राप्त किये हुये हो। इसलिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के स्थान पर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल आफिसर रखने का यह प्रस्ताव रखा गया है। आशा है कि माननीय मंत्री जी उसे स्वीकार करेंगे।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बजाय एग्रीकल्चरल आफिसर का होना बहुत नामुनासिब होगा। ऐग्रीकल्चरल आफिसर सिर्फ एग्रीकल्चर की बाबत जानता है। उसके मुताल्लिक वह अपनी सलाह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दे ही देगा। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने और परिस्थितियां भी होती हैं। उन सभी को सामने रखकर वह फैसला करेगा। अगर एग्रीकल्चरल आफिसर रख दिया जायगा और उसकी वजह से और नुक्सान पहुंच रहा हो तो वह नहीं जान सकता है। इसलिये जिला मैजिस्ट्रेट के ऊपर रखा गया है और वह जिले का सबसे जिम्मेदार अफसर भी होता है। उसी के सुपुर्द किया जाना चाहिये। इसलिये यह संशोधन मंजूर नहीं है।

श्री रामेश्वरलाल—श्रीमन्, जहां तक मैं समझता हूं यह जो विधेयक है वह अवश्य पूरे प्रान्त के लिये है। जो खेती-बारी में कीट वगैरह लगते हैं उनका निकायों और जिला से भी संबंध है। जिले से एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ही संबंध होता है। दूसरे जिले से उसका कोई संबंध नहीं होता। अगर एक जिले से दूसरे जिले को कीटाणुओं का हमला होता है तो जिले के डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल आफिसर और दूसरे अधिकारी या जिले के रहने वाले ही जिम्मेदार होते हैं। इसलिये डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल आफिसर ही उपयुक्त होगा। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी उसी को रखें। वैसे उनकी इच्छा पर निर्भर करता है।

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक दिक्कत और है। हर जिले में एग्रीकल्चरल आफिसर है भी नहीं। अगर एग्रीकल्चरल आफिसर रखेंगे तो यह भी दिक्कत सामने आयेगी।

श्री अध्यक्ष—क्या आप वापस लेते हैं?

श्री रामेश्वरलाल ने सर हिला कर सकारात्मक उत्तर दिया।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामेश्वरलाल--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति २ में शब्द "रहता हो" और शब्द "आदेश" के बीच में शब्द "गांव सभा की सलाह से" बढ़ा दिये जायं।

श्रीमन्, यह जो विधेयक का ४(ख) है वह इस प्रकार है--

"किसी पुरुष को, जिसकी आयु १८ वर्ष से कम न हो, और जो उक्त क्षेत्र में रहता हो आदेश कर सकता है कि वह खंड (क) में अभिदिष्ट उपायों को सम्पन्न करने में सहायता करें"

इसमें केवल यह बढ़ा दिया गया है "गांव सभा की सलाह से"। यह अंदेशा है कि कुछ लोगों के साथ इस तरह से जो १८ वर्ष से ज्यादा के हों ज्यादती हो सकती है, या कुछ ऐसे भी लोग आ जायं जो काम करने की सामर्थ्य न रखते हों। इसलिये गांव सभा की सलाह रखी गयी है। उम्मीद है कि आप स्वीकार करेंगे।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--माननीय सदस्यों को तो यह मालूम ही है कि गांव सभा की बैठक आसान नहीं हुआ करती। बहुत मुश्किल से गांव सभा की बैठक होती है। अगर "गांव सभा की सलाह से" कर दिया जाय तो उससे बहुत नुकसान पहुंचने का अन्देशा है। टिड्डी वाला जो कानून बना है उसमें फौरी कार्यवाही रखी गयी है, यह विधेयक भी उसी नमूने पर बनाया गया है। इसलिये यह मुनासिब नहीं होगा कि "गांव सभा की सलाह से" बढ़ाया जाय।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, यह जो संशोधन है यह बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है और आप को और सदन को मालूम होना चाहिये कि यह संशोधन बहुत पहले ही से दे दिया गया था। इस विधेयक में जिलाधीश को इतना ज्यादा अधिकार दिया जा रहा है कि वह जिस क्षेत्र को चाहे वहां के लिये आदेश कर सकता है। और जो यह संशोधन है उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के आदेश देने पर एक प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो भी आदेश दे वह आदेश गांव सभा की सलाह लेकर के दे। मैं यह समझने में असमर्थ हो रहा हूं कि क्यों माननीय कृषि मंत्री गांव सभा की सलाह लेना अवांछनीय समझते हैं। माननीय कृषि मंत्री को तो इस संशोधन से प्रसन्न होना चाहिये था और बहुत ही खुशी के साथ उनको इस संशोधन को स्वीकार करना चाहिये था। क्योंकि श्रीमन्, इस सदन में जब चर्चा होती है तो बार-बार जनतंत्र और बार बार विकेंद्रीकरण आदि का नाम ले लिया जाता है। आजकल श्रीमन् हम लोग इतने आदी हो गये हैं निर्गुण की उपासना करने के कि जितनी निर्गुण बातें होती हैं उनके पक्ष में रहते हैं लेकिन जब उसको सगुण रूप में लाना पड़ता है, सक्रिय रूप में लाना पड़ता है कि जनतंत्र के क्या माने होते हैं, जनतंत्र कहेंगे किसे? सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहेंगे? तो शब्द में जब मतलब पहनाने की बात आती है तो वहां पर कांग्रेस प्रजा सोशलिस्ट, सोशलिस्ट और दूसरी पोलिटिकल पार्टीज में प्रत्यक्ष अन्तर दिखलाई पड़ने लगता है।

मैं वहां फिर कहना चाहता हूं कि यदि सरकार सही माने में जनतंत्र में विश्वास करती है, तो उसे इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये। जनता भी अपना हित और अनहित देख सकती है और इसलिये सरकार को इस संशोधन को मामले में तनिक भी हिचक नहीं होनी चाहिये। सरकार की ओर से अभी तक कोई ऐसा कारण नहीं बताया गया कि गांवसभा की सलाह लेना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लिये क्यों जरूरी नहीं है। क्या श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को महात्मा गांधी के उस कथन की याद दिलाऊं जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि इस अंग्रेजी राज्य में एक एक कलेक्टर गवर्नर बना हुआ है। तो कलेक्टर के हाथ इतने मजबूत किये जा रहे हैं, कलेक्टर के हाथ में इतने ज्यादा अधिकार दिये जा रहे हैं और तब भी यह सरकार कहती है कि वह जनता और जनशक्ति में विश्वास करती है। यह आत्मप्रवंचना है और धोखा है और अपने को धोखे में रखना है, सदन को धोखे में रखना है और समाज को धोखे में रखना है। मैं श्रीमन्, निहायत अदब से यह कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार धूल की वर्षा करती चली जा रही है और लोगों की, धूल की वर्षा करके आंख बन्द रखना चाहती है।

श्री अध्यक्ष--इसी संशोधन पर चलिये ।

श्री राजनारायण--जी, श्रीमन् । जो संशोधन है उसी संशोधन पर मैं पुनः जोर दे कर कहना चाहूंगा कि हर हालत में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को गांव सभा की सलाह लेना जरूरी कर दिया जाय । अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट गांव सभा की सलाह नहीं लेगा तो मैं आप से कम से कम अपने बारे में सफाई के साथ बता सकता हूं कि मेरे खेत में हर समय कीटाणु लगते रहते हैं और ऐसे लोग जो इस सरकार के विरुद्ध होंगे, जो इस सरकार को सक्रिय रूप से और दिल से चाहते होंगे कि यह पलट जाय, इसका खात्मा हो, यह जनहित में काम नहीं कर रही है, उन पर यह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तरह-तरह के आदेश देते रहेंगे । पंचायत राज्य ऐक्ट में एक संशोधन हुआ है उसके द्वारा जो गांव सभायें हैं यहां, उनके भी अधिकार संकुचित किये गये हैं, उनके अधिकार छीने गये हैं, और जो सही मानों में राम राज्य का नक्शा था उसको कुंठित किया गया है । तो मैं यह चाहूंगा कि जब यह संशोधन माननीय मंत्री जी की सेवा में रखा जाय तो माननीय मंत्री जी इस संशोधन को बिना देर किये हुये और बिना हिचक के जरूर स्वीकार करें । यदि माननीय मंत्री जी में तनिक भी, जनतंत्रात्मक भावना का लेशमात्र अंश बाकी है तो वे इसको जरूर स्वीकार कर लेंगे ।

श्री रामेश्वरलाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो यह प्रस्ताव रखा था कि "गांव सभा की सलाह से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को काम करने को बाध्य करे या आदेश दे" वह इस लिये रखा था कि किसी भी आदमी के हाथ यह मौका न मिले कि वह सरकार पर वह आरोप लगा सके कि सरकार के किसी कर्मचारी ने गांव सभा या देहात के रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ ज्यादती की हो । लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ माननीय मंत्री जी ने जवाब देते समय यह बतलाया कि गांव सभा की बैठक बड़ी मुश्किल से होती है । उत्तर प्रदेश की सारी पंचायतों का यह अपमान है और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी का भ्रम है, गांव सभा और गांव पंचायत की बैठक होती है । हो सकता है कि कुछ लोग अपनी कार्यवाही छिपाने के लिये बैठक न करना चाहते हों तब तो ऐसा हो सकता है कि बैठक न हो सके ।

दूसरी बात से मुझे आश्चर्य है कि थोड़ी सी बात "गांव सभा की सलाह से" नहीं मानी जाती । श्रीमन्, कोई बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी बात है कि अगर गांव वाले लोगों को आदेश दिया जाय तो वह काम करें और गांव सभा की सलाह ली जाय और उनकी राय से यह काम किया जाय । मैं माननीय राज नारायण जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और मैं समझता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे इस संशोधन को वे स्वीकार करेंगे ।

***श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी**--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मैं माननीय राज नारायण जी की सलाह को नहीं मान सकता । वजह यह है कि अव्वल तो जैसा पहले कहा गया कि गांव सभा की बैठक होती है मैंने यह नहीं कहा कि नहीं होती । मैंने यह कहा कि उसके बुलाने में देर होती है और यह इमरजेंसी का कानून इसलिये बनाया जा रहा है कि फौरी कार्यवाही हो सके । जहां तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अख्तियार देने का सवाल है वह ऐन्टी लोकस्ट ऐक्ट के अन्दर दे चुके हैं, उससे कुछ जरा भी अधिक अख्तियार इस ऐक्ट के मातहत उसको नहीं दिया गया ।

जहां तक गांव सभा से सलाह करने की बात है, अगर गांव सभा में और वहां के जो किसान हैं वह इतने ही सजग होते कि अगर कहीं कोई बीमारी फैल रही है खुद ही रोक कर सकते तो किसी कानून की जरूरत नहीं थी । कानून तो इसलिये बनाया गया कि सब वहां तैयार नहीं होते, समझाने में दिक्कत होती है तो इसलिये यह कानून सरकार के अफसरों पर रखा गया है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी]

कि इतने ज्यादा झगड़े न पड़ें। उससे इमकान है कि झगड़े-फसाद पैदा हों। तो बाहर का आदमी रहेगा, सरकारी अफसर और वह भी जिले का सबसे बड़ा अफसर, यह नहीं कि नायब-तहसीलदार वगैरह किसी को दे दिया गया कि वह किसी की तरफदारी कर सके। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जिले की बुराई उसकी बुराई होती है, अच्छाई उसकी अच्छाई होती है। इसी वजह से उसको यह अख्तियार दिया गया और ग्राम सभा की राय से अगर रखा जाय तो जरूरत आज है किसी रोग के नाश करने की, मुमकिन है कि दो दिन में वह रोग और बढ़ जाय और लोगों की फसल को नुकसान पहुंचे, सलाह लेने में देर लगे तो इस-लिये यह मुनासिब नहीं समझा गया कि ग्राम सभा की राय से किया जाय। यह नहीं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी को जबरदस्ती किसी को ड्राफ्ट कर ले, जब जरूरत ऐसी होगी तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसे अख्तियार लेगा। इसलिये मुझे उम्मीद है कि माननीय रामेश्वर लाल जी अपने संशोधन को प्रेस नहीं करेंगे और जैसा कानून में है वैसा सदन मंजूर करेगा।

श्री अध्यक्ष--(श्री रामेश्वर लाल से) क्या आप वापस ले रहे हैं।

श्री रामेश्वर लाल--जी नहीं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति २ में शब्द "रहता हो" और शब्द "आदेश" के बीच में शब्द "गांव सभा की सलाह से" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति २ में शब्द 'हो' और शब्द "आदेश" के बीच निम्नलिखित रख दिया जाय--

"उचित पारिश्रमिक देकर"।

श्रीमन्, खंड ४ के उप खंड (१) के भाग (ख) के शब्द इस प्रकार हैं--किसी पुरुष को जिसकी आयु १८ वर्ष से कम न हो, और जो उक्त क्षेत्र में रहता हो आदेश कर सकता है कि वह खंड (क) में अभिदिष्ट उपायों को सम्पन्न करने में सहायता करे।

यह सब काम किसी भी बालिग आदमी से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करा सकता है। अध्यक्ष महोदय, जाहिर है कि कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसी घोषणा करेगा कि यह कानून यह इस क्षेत्र में लागू होना चाहिये तो उस क्षेत्र के आस पास के तमाम गांवों में एक विपत्ति पड़ी रही होगी, हो सकता है कि सभी की फसलें बरबाद हो जायं उनमें वह भी हो सकता है कि जिसको वह बाध्य करें काम करने के लिये जिसके पास खेती या कोई बाग न हो तो ऐसे व्यक्ति को भी इस विधेयक की योजना में सरकार ने कोई पारिश्रमिक, मजदूरी देने की या जितना वह दिन भर में काम करेगा उसकी दिन भर की मजदूरी क्या होगी, उसकी कोई व्यवस्था नहीं की है। तो मैंने इसमें यह रख दिया है कि "उचित पारिश्रमिक देकर" वह उनसे काम करा सकते हैं। वह उनसे काम करायें, लेकिन उनको उचित मजदूरी या उचित पारिश्रमिक अवश्य दिया जाना चाहिए और मैं समझता हूं कि इसमें माननीय कृषि मंत्री जी को भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि यह भी एक विपत्ति बाढ़ की तरह, सूखे की तरह या ओले की तरह होगी, एक तरह से यह एक महामारी की तरह होगी। जैसे कि यह सरकार हर तरफ सहायता करती है, ऐसी हालत में इस बात की व्यवस्था की जाय कि आवश्यकता पड़ने पर सरकारी कोष से उचित पारिश्रमिक देकर यह काम कराया जाय। मैं समझता हूं कि सरकार को इस संशोधन को मान लेना चाहिए।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--मैं इस संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं यह मानता हूं कि यह एक दैवी विपति है और ऐसी अवस्था में हर एक

आदमी को और हर व्यक्ति को सहयोग बिना सरकार के आदेश के भी देना चाहिए। लेकिन यह भी सरकार या उस अधिकारी को ख्याल करना पड़ेगा कि हमारे देश में और प्रदेश में बहुत से ऐसे गांव और बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जिन्दगी केवल मजदूरी पर चलती है। अगर वह मजदूरी न करे तो उसको शाम को खाना न मिले और न तन पर कपड़ा मिले। इस अधिनियम के अनुसार मैं समझता हूं जिलाधीश को अधिकार ऐसे लोगों से भी काम लेने का है, जिनकी जिन्दगी मजदूरी पर चलती है और इस ऐक्ट में सहूलियत कहीं भी नहीं दिखायी गई है कि जिनकी जिन्दगी केवल मजदूरी पर बीतती है, ऐसे लोगों को मजदूरी दी जायगी। जिलाधीश के अधिकार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं राम नारायण त्रिपाठी जी के संशोधन का समर्थन इसलिए करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि इस संशोधन के द्वारा इतना अधिकार तो जिलाधीश को मिलेगा कि ऐसे लोग जिनकी जिन्दगी मजदूरी से बीतती है उनको मजदूरी दी जायगी। अगर यह व्यवस्था इस अधिनियम में नहीं होगी तो मैं समझता हूं कि इससे बहुत से गरीबों का हनन होगा और मैं बड़ी मिन्नत के साथ कृषि मंत्री से निवेदन करूंगा कि अगर इस संशोधन को वह स्वीकार करें तो बहुत से गरीब लोगों की गुजर हो सकेगी अन्यथा बहुत से गरीब लोग खाने बिना परेशान होंगे जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। मैं प्रार्थना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कृषि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री हुकुमसिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र रामसुन्दर पांडेय व त्रिपाठी जी से बतलाना चाहता हूं कि इस विधेयक का केवल मंशा यह है कि इसमें जो कानून रखे गये हैं उन का प्रयोग महज सार्वजनिक फायदे के लिए किया जाय। जब यह देखा जायगा कि कोई ऐसा रोग और ऐसी चीजें जिनका जिक्र इस विधेयक में है, पैदा हो गयी हैं किसी कुर्बोजवार में और उससे वहां के रहने वाले किसानों को नुक्सान होने वाला हो तो इस कानून का प्रयोग किया जायगा। तो यह सार्वजनिक हित में है। अगर किसी शख्स को यह हिदायत धारा ४ के अन्तर्गत दी जायगी तो सार्वजनिक काम के लिए दी जायगी। जैसे, कहीं गांव में आग लगती है तो तमाम कुर्बोजवार के लोग इकट्ठे होकर उसको बुझाते हैं, चूंकि वह भी एक सार्वजनिक काम है। वहां भी बिला किसी मुआविजे के लोग आते हैं और बिला बुलाये खुद आते हैं, ऐसी धारणा हमारे गांव के भाइयों में है और वह सार्वजनिक काम बड़ी दिलचस्पी से करते हैं। श्रमदान की पूरी फिलास्फी इसी पर बेस्ड है और अगर सार्वजनिक कामों में मजदूरी देने की प्रथा जारी की जाय, जैसा कि हमारे मित्र त्रिपाठी जी इस संशोधन के जरिये से लाते हैं तो श्रमदान की सारी थियरी और फिलास्फी खत्म हो जाती है। लिहाजा इस मौके पर मजदूरी का कोई सवाल नहीं। हमको, आपको, सबको सीखना है, गांव वालों और शहर वालों को सीखना है कि जितने समाज के कल्याण के लिए काम हों उनके लिए हम निःशुल्क बिला मुआविजा के सहायता दें और मदद करें। इसी ख्याल से यह कानून लाया गया है। अगर यह तरमीम मानी जाती है तब तो हम एक ऐसी बात ला देंगे, जिससे जैसा मैंने कहा, किसी को फिर मुफ्त काम करने की जरूरत नहीं, आग बुझावें तो मजदूरी मांगे, कुएं में कोई गिर पड़े तो उसको निकालने की मजदूरी मांगे, हर काम मजदूरी पर हो। तो इससे देश का कल्याण नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ सकता। लिहाजा यह जो संशोधन है यह उसूलन गलत है। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि आप इस सदन में देख रहे हैं कि जब मंत्रीगण बोलने लगते हैं तो वह किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित होकर बोलते हैं। हमारी दिक्कत यह हो जाती है कि हम बुनियादी तरीके से खरोच कर उनके मस्तिष्क में प्रतिक्रियावाद का जो कोढ़ लगा हुआ है वह निकालना चाहते हैं, क्योंकि जब तक वह निकलेगा नहीं तब तक हर विधेयक और हर . . .

श्री अध्यक्ष--यह योगियों की संस्था नहीं है यहां। आप किसी के दिल में कोई क्या रक्खे बैठा है उसको न कहें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जहां तक माननीय मंत्री जी अपने तर्क से राम नारायण जी के संशोधन का विरोध करते हैं, मैं फिर उनसे निवेदन करूंगा कि उनका तर्क बिलकुल निर्मल है। वह तर्क देते हैं सामाजिक सेवा और सामाजिक कल्याण का मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी की जो सरकार है कांग्रेस की, वह उनके कथनानुसार यदि निहत्थों पर गोली चलाती है तो वह भी सामाजिक कल्याण में चला देती है जितना जुल्म ढाती है वह भी सामाजिक कल्याण के नाम पर ढाती है। उसी तरीके पर माननीय मंत्री जी सामाजिक कल्याण और सामाजिक सेवा के व्यापक शब्द का नाम लेकर अपने जनहित विरोधी कानून को छिपाने की कृपा न किया करें। वह जिनकी आयु १८ वर्ष से कम है उनको तो नहीं, मगर ऊपर वालों के लिए कहते हैं कि "किसी पुरुष को, जिसकी आयु १८ वर्ष से कम न हो और जो उक्त क्षेत्र में रहता हो आदेश कर सकता है कि वह खंड (क) में अभिदिष्ट उपायों को सम्पन्न करने में सहायता करे।" यह तमाम जनतांत्रिक प्रणाली और परम्परा के विरुद्ध है। यह तो कम्पलसरी लेबर लेना होगा। यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिस जिस को चाहे इस कानून के मातहत जबरदस्ती काम करने पर बाध्य करे। इसका भी विरोध मैं करना चाहता हूं कि इस धारा में यह अंश इस रूप में नहीं रहना चाहिये था। मगर माननीय राम नारायण जी ने इस बात को मानते हुये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर प्रतिबन्ध लगाने की बात कही है कि भाई, ठीक, यदि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऐसा समझता है और सरकार उसको इतने व्यापक अधिकार देने पर तुली हुई है तो एक प्रतिबन्ध के अन्दर है कि वह उचित पारिश्रमिक दे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट श्रीमन्, आप जानते होंगे अच्छी तरह से और माननीय मंत्री जी भी जानते होंगे कि जिस गांव में वे रहते हैं उस गांव में जो शक्ति सम्पन्न वर्ग के लोग हैं उनको जिलाधीश आदेश नहीं कर सकता, जिलाधीश आदेश करेगा तो जो वहां पर गरीब हैं, हरिजन हैं, पिछड़े लोग हैं, दारिद्रिक अवस्था में जिनका जीवन व्यतीत हो रहा है उन्हीं को आदेश करेगा या जिलाधीश जिस सरकारी कर्मचारी को हुक्म देगा वह भी उन्हीं से काम लेगा। तो आज इस धारा के अनुसार सरकार अपने देश के जितने गरीब हैं, जितने शोषित हैं, जितने त्रस्त हैं, जितने उत्पीड़ित हैं उनसे जबरदस्ती काम लेने की तैयारी कर रही है।

अभी अभी, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि उन्हीं की पार्टी के नेता श्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा है कि किसानों से जबर्दस्ती श्रम नहीं लेना चाहिये, अगर कम्पलसरी लेबर ली जानी चाहिये तो विद्यार्थियों से लें या किन्हीं ऐसे लोगों से। अगर इसको दूसरा नाम दिया जाय तो एक तरह से कम्पलसरी श्रमदान ही तो कह सकते हैं। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो आज कांग्रेस पार्टी है और जो इसकी सरकार है ये दोनों विभिन्न विचारों में बटी हुई है, कोई नेता कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कहीं कोई व्यवस्था चलाई जाती है, कहीं कोई चलाई जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह कौन सी प्रणाली—या नियम है जो कि जन तांत्रिक भी कहा जाय और इस तरह के अधिकार भी जिलाधीश को दे कि जिससे जी चाहे काम ले चाहे वह कहीं और काम में लगा हुआ हो। क्योंकि यह कानून जब बन जायगा तो जिलाधीश उन लोगों से भी काम ले सकता है जो दूसरी जगह काम करके अपना और अपने बाल बच्चों के पेट का भरण पोषण करते हों। क्या प्रतिबन्ध है इसमें उसके लिये जब वह ऐसे लोगों से कहे कि आज तुम फलां जगह काम करने मत जाओ। जब कि इतना व्यापक अधिकार आज सरकार जिलाधीश के हाथ में देने जा रही है। फिर भी माननीय राम नारायण जी यह संशोधन रखते हैं कि भाई ठीक, उसको उचित रुप में कुछ मजदरी दे दो वह काम करेगा तुम्हारा। चलाओ अपना हुक्म, लो जबरदस्ती काम। अगर तुम सामाजिक सेवा कहते हो तो सामाजिक सेवा लो अपने मन के मुताबिक, मगर जिससे काम लो उसको भी तो कुछ मजदूरी दो। वह भी तो समाज का प्राणी है। लेकिन आज यह सरकार इस समाज को विभिन्न वर्गों में बांट कर चलना चाहती है, स्टेटस क्यों रखना

चाहती है । जिन वर्गों में आज समाज बंटा हुआ है सरकार उन्हीं वर्गों में कायम रखना चाहती है और चाहती है कि आज ऊंचा वर्ग कहे जाने वाले लोगों की सेवा नीचे वर्ग के लोग किया करें । सरकार की ओर से जो यह विधेयक की धारा प्रस्तुत है मैं आज जोरदार शब्दों में उसका विरोध करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि अगर वह माननीय रामनारायण जी का संशोधन नहीं मानती है तो वह अपने चरित्र को स्वयं लोगों के सामने प्रगट करती है, उसका घूंघट खुलता है और जब लोग उस खुले हुये घूंघट को देखेंगे तो यही पायेंगे कि आज इस सरकार की राक्षसी प्रवृत्ति देश के गरीबों से जबर्दस्ती काम लेने पर मजबूर करने जा रही है । अगर माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि देश में एक बड़ा भारी विस्फोट प्रज्वलित न हो तो अपने सरकारी कर्मचारियों को इतने बड़े अधिकार न दें कि वह मनमाने तरीके से, निरंकुश तरीके से, जिससे चाहें जबर्दस्ती काम लें । मैं माननीय मंत्री जी की सेवा में आपके द्वारा एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं । यद्यपि मुझे बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है और मुझे भी इसका दुख है । सहारनपुर में श्रीमन्, पंडित जवाहर लाल जी नेहरू गये हुये थे । एक नहर खुदवाई गई थी और इसकी चर्चा सदन में भी हुई थी कि किस तरीके से जिला अधिकारियों ने जाकर हरिजनों और चमारों को जबर्दस्ती निकाल कर काम कराया था और इतना जबर्दस्त विद्रोह हुआ था कि हमारे एक साथी जो काशी विद्यापीठ के हैं और एक अखबार के सम्पादक हैं, उनके ऊपर मार पड़ी थी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कोड़े लगे थे । जब जवाहर लाल जी चले गये तो सरकारी कर्मचारियों के जोर जुल्म के बावजूद भी एक भी आदमी नहीं निकल सका । तमाम लोग अपने घरों से भाग गये इसलिये भाग गये कि वह इस तरह से जबर्दस्ती काम करने के लिये तैयार नहीं थे ।

एक तरफ तो सरकार काफी रकम समाज सेवा के लिये दे देती है और सरकारी कर्मचारी उसको खर्च करते हैं और दूसरी तरफ जनता के एक अंग से जो गरीब हैं, उनसे इस तरह से काम जबर्दस्ती लेने का विधेयक तैयार करती है । यदि सरकार सामाजिक सेवा पर ज्यादा दिलचस्पी से पैसा खर्च करना चाहती है, जनता पर टैक्स का बोझा लादकर और जो यह ९१ करोड़ का बजट बना हुआ है उसी में से क्यों न एक दो करोड़ रुपया निकाल दिया जाय जो कीटाणुओं को नष्ट करने में खर्च किया जाय ? और इसी रुपये से दवा वगैरह छिड़कवाई जाय ।

श्रीमन्, सरकारी विभागों में नाना प्रकार के नये-नये विभाग खोल कर आदमियों की भर्ती होती है तो फिर क्यों न फसल के मौके पर सरकार और आदमियों को भर्ती कर लिया करे और जहां मालूम हो कि फलां जगह रोग फैला हुआ है वहां पर इन लोगों से काम कराया जाय । सरकार उनको पैसा दे और उनसे काम ले । मगर सही माने में जहां पर जनहित की बात आती है सरकार उसको ताक पर रख देती है और जहां सत्ता की, महन्तई की और अपनी ताकत को मजबूत करने की बात आती है तो सरकारी कर्मचारियों के हाथ में असीम सत्ता देकर ऐसा विधेयक ला देती है ।

श्रीमन्, जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है उसका मैं विरोध करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को मान लें यद्यपि यह संशोधन भी अधूरा है, पूरे तरीके से उनकी हिफाजत नहीं कर सकता है सरकारी कर्मचारियों के खूनी पंजे से, इस संशोधन के बाद भी जबर्दस्ती काम लिया जायगा, लेकिन उस विचारे को एक आशा रहेगी कि काम करने के बाद शाम को अपना पेट भरने के लिये वह कुछ पारिश्रमिक पायेगा, कुछ मजदूरी पायेगा । मगर माननीय मंत्री जी समाज सेवा के नाम पर समाज कल्याण के नाम पर सामाजिक अकल्याण करने जा रहे हैं । इसलिये इन शब्दों के साथ मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि समाज सेवा या समाज कल्याण का यदि कोई अर्थ है तो उस गरीब, जिससे कि जबर्दस्ती काम लिये जाने की व्यवस्था की जायगी तो उसके लिये भोजन, वस्त्र और रहने की भी व्यवस्था होनी चाहिये तभी सामाजिक सेवा सही मानों में होगी ।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, मैं माननीय राम नारायण जी त्रिपाठी के संशोधन के समर्थन के हेतु खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैंने माननीय राज नारायण जी के भाषण को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और जहां तक सिद्धान्त का प्रश्न है वह तो जब मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं तो स्पष्ट है कि मैं उससे सहमत हूं परन्तु जो उन्होंने विष वमन किया है वह ठीक नहीं है। ऊंच-नीच कामों के बारे में वह सदन में कहा करते हैं तो वह इसको भूल जाते हैं कि आज भी देहातों में ऊंची कौमों की हालत बदतर होती जा रही है। श्रीमन्, किसी भी कलेक्टर के लिये यह कहना कि वह ऊंच-जाति के पीछे रहेगा, उनकी सहायता करेगा, यह निरर्थक है, निस्सार है और न इसके कोई मायने हो सकते हैं। यह दूसरी बात है कि उनका यहां यह कहना उनके लिये एक प्लेट फार्म बनाता है.....

श्री राजनारायण—मैं अपने मित्र को यह बतला दूं कि मैं छोटी जाति या बड़ी जाति की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने वर्ग के रूप में कहा था तो मेरे मित्र यह समझ लें कि वर्ग और कौम इन दोनों में अन्तर है। इसको अंग्रेजी में 'क्लास' और 'कास्ट' कहते हैं। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं आपके द्वारा उनको यह बताना चाहता हूं कि मैं छोटी जाति और बड़ी जाति में कोई विद्वेष पैदा करने की भावना से कोई बात यहां पर नहीं कह रहा था। इसलिये मेरे मित्र इसकी नुक्ताचीनी करने में अपना समय नष्ट न करें।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—मान्यवर, यह मेरा सौभाग्य है कि आज इतना सुन्दर उपदेशक, राज नारायण जी जैसा, मुझको मिला है। वह मुझे क्लास की डेफिनिशन बता रहे हैं। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि यदि वह खुद इसको समझते होते तो आज यह दुर्दशा जो हो रही है यह कदाचित न होती। हम तो इसको अच्छी तरह से समझे हुये हैं। यह भ्रम तो उसी स्थान पर है, जिसके दुष्परिणाम से आज यह हो रहा है। मैं इस सदन में बार बार कहता आया हूं और जब वह विरोधी दल के नेता थे तब भी कहा था। यह जो समाजवादी पार्टी है जिसको पी० एस० पी० कहते हैं वह खुद इसी कास्ट और क्लास के भ्रम में है। अगर वह अपने माइन्ड में क्लीयर होते तो मैं यह समझता हूं कि भारत के लिये एक उज्जवल भविष्य में किसी को संदेह नहीं होता। दुर्भाग्यवश वह इसको समझने का प्रयास नहीं करते। मैं इस बात पर जाना नहीं चाहता हूं किन्तु वह उत्तेजना देते हैं तो कुछ कहना पड़ता है। वैसे मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं है। मैं तो उनको सहायता देना चाहता हूं और उनको सलाह देना चाहता हूं। उनको कोई उपदेश नहीं देना चाहता हूं। उपदेश देना तो उनका ही कार्य है। मैं उनको इतना ही बतलाना चाहता हूं कि अब वह यह समझें कि अब समय आ चुका है जब कि उनको भी जीवित रहना है और उनके दूसरे साथियों को भी जीवित रहना है। श्रीमन्, परिस्थिति कुछ बच जाती है और आपकी कृपा से बहुत सी परिस्थितियां बच गयीं। अगर यही व्यवस्था रही और लोगों का इसी प्रकार से भ्रम चलता रहा तो कितने दिन तक यह परिस्थितियां बचती रहेंगी इसमें मुझे संदेह है।

अब मैं श्रीमन्, उस संशोधन पर आता हूं। माननीय मंत्री जी का यह कहना ठीक है कि उनके लिये यह मुमकिन नहीं है कि ऐसा किया जाय। अभी यह भीज हिन्दुस्तान में नहीं हो सकती है। उस चीज को कहने से वह भी डरते हैं और यह भी डरते हैं। एक साहब 'कम्पलसरी लेबर' को समझा रहे थे और दूसरे साहब यह कहते हैं कि यह परिस्थिति से विवश होकर किया जा रहा है, जिसका अधिकार कलेक्टर को दिया जा रहा है। यह सीधे सादे बेगार है। चाहे वह कहे चाहे यह कहे। लेकिन मैंने माना कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जब आप कलेक्टर को विवश होकर ऐसा अधिकार दे रहे हैं। ऐडमिनिस्ट्रेशन में आलोचना करना सरल होता है, लेकिन वास्तविकता को भी सोचना है। यदि यह अधिकार आप उनको न भी दें तो भी उनसे आप कोई कार्य नहीं ले सकते। परन्तु देहातों में यह भी हो जाता है कि बहुत से स्थानों पर लोग दिन भर मजदूरी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करते हैं तभी उनको रात में खाने को मिल पाता है। ऐसे लोगों के लिये अगर कलेक्टर या कानूनगो या लेखपाल उनको दिन भर किसी काम में लगाये रखता है और शाम को यह हुआ कि आप सार्वजनिक कार्य के लिये आये थे इसलिये आपको पेट के लिये कुछ नहीं मिलेगा। अगर दिन भर परिश्रम करने केबाद इस प्रकार से घर पर जायेंगे तो उनके सामने बहुत ही बड़ी समस्या हो जायगी। यह हो सकता है कि मंत्री जी यह कहें कि ऐसे लोग नहीं लिये जायेंगे जो बहुत करीब हों। अगर वे यह आश्वासन देते हैं कि जोलोग केवल मजदूरी से अपनी जीविका चलाते हैं जो परिश्रम करके रुपया कमाते हैं, ऐसे लोगों से वह काम नहीं लिया जायगा तब तो उसके कुछ दूसरे मानी हो सकते हैं। लेकिन जहां तक इस संशोधन का अभिप्राय है वह स्पष्ट है कि यह उन लोगों के लिये रक्खा गया है जो खेतिहर मजदूर हैं और जिनके पास कोई खेत नहीं है। अगर वे दिन भर मजदूरी के करने के बाद शाम को बगैर मजदूरी के वापिस आते हैं तो खाने-पीने का उनके पास कोई साधन नहीं होता।

माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि आग बुझाने के लिये और श्रमदान करने के लिये भी तो लोग जाते हैं और उनको किसी प्रकार की कोई मजदूरी नहीं दी जाती। श्रमदान और आग की परिस्थिति तो दूसरी प्रकार की है। आप अगर आग बुझाने के लिये जाते हैं तो दिन भर के लिये नहीं जाते हैं, किसी को कुएं से निकालने के लिये जाते हैं तो उसमें भी पूरा दिन नहीं लगता। इसके अतिरिक्त जिस श्रमदान की सदन में धूम मचती है वह भी थोड़े घंटे के लिये ही कराया जाता है। अगर इसका भी अभिप्राय यही है कि थोड़े घंटे के लिये कराया जायगा और उसके बाद उसको छोड़ दिया जायगा तो उसको कोई जरूरत देने की नहीं है। लेकिन अगर दिन भर के लिये जाता है और उसके पास खाने पीने का और कोई साधन नहीं है ऐसी परिस्थिति में उसको मजदूरी देना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिये इसको दो प्रकार से क्लासीफाई करना मुनासिब होगा। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर सोचें और विचार करें कि क्या आपको कोई ऐसा रास्ता मिल सकता है कि संशोधन भी आपको मान्य हो जाय और उसके विषय में आपको भी कोई आपत्ति न हो। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वे गरीब लोगों के लिये जिनके पास खाने पीने का कोई सहारा नहीं है, उनके लिये ऐसा करें जिससे यह संशोधन उनके लिये तकलीफ देह साबित न हो जाय।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य——माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इस विधेयक पर प्रथम वाचन में वादविवाद हो रहा था तब भी इस खंड के ऊपर बहुत से लोगों ने अपने विचार प्रकट किये थे। इसमें एक मौलिक प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का आ जाता है कि क्या किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम लिया जा सकता है और उसे कोई भी पारिश्रमिक नहीं दिया जायगा। मैंने मंत्री जी के भाषण को सुना और जो सुन्दर बात उन्होंने कहीं, वे बढ़िया थीं। आपने बताया कि जब आग लग जाती है तो लोग खुद आते हैं, समाज कल्याण के कामों में भी लोग खुद आते हैं, और अगर इसको नहीं रक्खा जायगा तो श्रमदान का महत्व चला जायगा। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको मालूम होगा कि विधेयक में यह बात कतई नहीं है। विधेयक तो यह कहता है कि जो नहीं आयेगा उससे ५० रुपया तक पेनेल्टी वसूल की जायगी। उसमें न तो कहीं समाजकल्याण की बात है और न श्रमदान की, उसमें तो केवल जबर्दस्ती काम लेने की बात बतायी गयी है। सरकार किसी अच्छे काम में जबरदस्ती काम ले यह बात तो समझ में आती है लेकिन उसके लिये उसको कोई पारिश्रमिक न दिया जाय, यह सदन के सोचने की बात है अधिकारी वर्ग चाहे माननीय मंत्री महोदय यहां कितना भी आश्वासन दें, उनकी मंशा न भी हो लेकिन जब कानून बन चुका तो न आश्वासन काम करता है और न मंशा काम करता है। वहां कानून पर अमल करने वाले जैसा अमल करते हैं वही बात वहां चलती है। तो जिन व्यक्तियों को इस काम के लिये लगाया जायगा और ५ मील के अन्दर जितने भी व्यक्ति होंगे उनको सहायता के लिये और अगर बुलाया जायगा वे उस काम में सहायता देने के लिये नहीं आये तो उनके दंड की भी व्यवस्था की गयी है। मैंने तो अपने

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

संशोधन में इस धारा का ही विरोध किया है यह धारा निकाल दी जाय। लेकिन जो वर्तमान संशोधन प्रस्तुत किया गया है वह भी बहुत ही विचारणीय है। पंचायत राज कानून का जब संशोधन आने वाला था उस समय श्रमदान के सिलसिले में एक बात यह सोची गयी थी कि लोगों से श्रमदान लिया जाय और जो न दें उनसे कुछ रुपया पंचायत पास कर दे और वसूल कर ले। तो एक जनतांत्रिक संस्था पंचायत जो गांव वालों के फायदे के लिये ही पैसा वसूल करती। लेकिन उसको भी श्रमदान व्यवस्था की उच्च धारणा के प्रतिकूल होने के कारण उस समय गवर्नमेंट ने स्वयं ही निकाल कर अलग कर दिया। किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम लिया जाय मैं समझता हूं कि यह तो पंचायत राज ऐक्ट में भी नहीं है और उसको पंचायत राज विभाग ने भी निकाल दिया है यह बहुत ही उसूली और बुनियादी बात है, जो इस विधेयक के संबंध में उपस्थित की जा रही है।

टिड्डी विनाश विधेयक में भी इस प्रकार की एक धारा रखी गयी है कि प्रत्येक व्यक्ति को टिड्डी विनाश के लिये सहायता के लिये बुलाया जाय कि वह सहयता दे और न दे तो १५ रु० पेनेल्टी दे। लेकिन उस समय सदन ने और हम सभी लोगों ने इस बात को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी थी जितनी कृषि कीट नाश करने के संबंध में उपस्थित हो जाती है। टिड्डी अगर कहीं आती है तो फौरन उसके मारने के लिये, उसको नष्ट करने के लिये सभी लोग दौड़ पड़ते हैं, बच्चे भी दौड़ पड़ते हैं और इस तरह से एक मनोरंजन भी हो जाता है। मनोरंजन इस माने में कि टिड्डी देखने के लिये लोग दौड़ते हैं और बच्चे भी दौड़ते हैं और जहां टिड्डी बैठती है उनको मारने में वे अपने आप स्वतः लग जाते हैं। ये जो कृषि के कीट हैं उनको नष्ट करने के लिये जिस समय सरकारी आदेश होगा ५ मील के लोगों को बतला दिया जायगा और वे उसको नष्ट करने के लिये आयेंगे। मैं समझता हूं कि यह जबरदस्ती का काम है और वह भी बेगार के रूप में काम लेना किसी तरह से भी शोभाजनक नहीं है। जिस समय किसी बालक से कोई काम पुचकार कर लिया जाता है वह स्वतः उस काम में लग जाता है। लोगों के अन्दर जो समाज कल्याण के कामों में सहयोग देने की भावना है वह इस तरह से जबरदस्ती काम लेने से नष्ट हो जाती है और जब कोई पैनाल्टी की बात आ जाती है तब लड़का हठ करके उस काम को नहीं करता है बल्कि उसके अन्दर एक विरोध की भावना आ जाती है। इसलिये कोशिश यह होनी चाहिये कि लोगों की रुझान समाज कल्याण के कार्यों की तरफ अपने आप हो जाय, लेकिन वही चीज जब पैनेल्टी के रूप में सामने आती है तो उसका असर उल्टा होता है और एक विरोध की भावना पैदा होती है। जो लोग इसको अमल में लायेंगे उनके लिये भी इसमें दुरुपयोग की काफी गुंजाइश होगी। जिस किसी क्षेत्र के अन्दर पढ़े लिखे लोग होंगे जरा सम्मानित लोग होंगे उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के लिये तो वे हिम्मत नहीं कर सकते लेकिन जो गरीब जनता है, अनपढ़ जनता है, मैं समझता हूं कि उनको इस प्रकार की धमकी देकर नाजायज फायदा उठाया जा सकता है। छोटे कर्मचारियों द्वारा इस कानून से लाभ न होकर दुरुपयोग होने की ज्यादा संभावना है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इसके ऊपर गौर किया जाय और जैसा मैंने कहा कि यह एक बहुत ही मौलिक प्रश्न है और यह व्यक्तियों की स्वतंत्रता के ऊपर विचार करने की बात है। यह फंडामेंटल राइट्स की बात है और मैं समझता हूं कि जिससे जो काम लिया जाय उसको उस का पारिश्रमिक मिलना चाहिये और वह जरूर देना चाहिये। इसलिये जो संशोधन श्री रामनारायण त्रिपाठी जी का आया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फर नगर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो यह धारा रखी है कि १८ वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति से कलेक्टर साहब काम ले सकते हैं उन कामों के लिये जिनसे खेती के कीटाणुओं से होने वाली हानि रुक सके। वह उन लोगों को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आदेश दे सकते हैं। तो इस संबंध में मुझे केवल इतना कहना है कि मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसकी मनशा के विरुद्ध उससे कोई काम न लिया जाय। उस समय जब कि कोई आदमी बीमार हो, इसमें इस तरह का कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि अगर कोई बीमार हो या किसी और विशेष परिस्थिति में हो तो उससे काम न लिया जाय। ऐसी दशा में वह काम न कर सकता हो, तो कोई प्राविज़न होना चाहिये और प्रतिबन्ध होना चहिये कि बीमारी या इस तरह की दशा में कोई हो तो उसको छोड़ दिया जाय।

दूसरी बात यह है कि देहात में हम देख रहे हैं कि जब भी कोई सार्वजनिक कार्य होता है तो उससे कोई इंकार नहीं करता है क्योंकि उसमें मुहब्बत और प्रेम से हम काम लेते हैं और समझाते हैं कि सार्वजनिक कार्य करना बहुत जरूरी है, वह लोग उसको खुशी से करते भी हैं क्योंकि उसमें मुहब्बत और प्रेम की भावना होती है लेकिन जब कोई जबरदस्ती की भावना उसमें आ जाती है तो वह काम लोगों को खटकता सा नजर आता है और उसमें लोगों को कोई रुचि नहीं होती। उदाहरण के लिये जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि अगर कहीं आग लग जाय तो उसको बुझाने के लिये सभी को हिस्सा लेना चाहिये क्योंकि वह सब की कामन मुसीबत होती है। मैं उनकी इस बात से इत्तफाक करता हूं कि सब को ऐसी मुसीबत में जरूर हिस्सा लेना चाहिये, क्योंकि उस का सब पर असर पड़ता है लेकिन जहां तक कीटाणुओं से हानि का संबंध है या जो और बीमारी खेती में लगती हैं जैसे गरुवी आदि उससे किसानों पर असर पड़ता है। इसलिये यदि मंत्री जी इसमें इतना रख दें कि जो काश्तकारी करते हैं वह लोग इसमें सहयोग दें तो ज्यादा उचित होगा और उन लोगों को छोड़ दें कि जिनका काश्तकारी से कोई संबंध नहीं है मसलन खेतिहर मजदूरों को इससे निकाल दें, क्योंकि मजदूरों की आजकल ऐसी अवस्था है कि उनको अगर मजदूरी नहीं मिलती तो भर पेट खाना नहीं मिलता, उन की अवस्था ऐसी है कि अगर उन को ४ दिन इस काम में लगा लिया गया तो उन की हालत ऐसी नहीं है कि वह ४ दिन बिना मजदूरी पाये पेट भर सकें। अगर उनको भी आपके कलेक्टर काम करने पर इस तरह से मजबूर करेंगे तो उनके साथ ज्यादती होगी और वह उस सजा को बरदाश्त न कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि ऐसे लोग जो बीमार हैं या इस तरह के खेतिहर मजदूर हैं उनके साथ ऐसा करना सर्वथा अनुचित होगा जो लैंडलेस लेबरर है या जिसके पास खेती नहीं है उनसे काम हमें न लेना चाहिये। जो लोग खेती करते हैं या जिनके पास जमीनें हैं उनसे यह काम लिया जाना चाहिये। लेकिन जो खेतिहर मजदूर हैं या जो बीमारी की हालत में हैं या किसी और कारण से यह काम करने में असमर्थ हैं उनसे यह काम न लेना चाहिये और न कोई सजा उनको देना चाहिये। इसलिये मैं इन विचारों का समर्थन करता हूं और हामी हूं और मैं चाहता हूं कि इन विचारों को ध्यान में रखकर बीमारों या खेतिहर मजदूरों से यह काम जबरन न लिया जाय और यह काम उन्हीं लोगों से लिया जाय जो खेती करते हैं।

*श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जैसा कि माननीय द्वारका प्रसाद जी मौर्य ने कहा था कि पंचायत राज बिल पर जब इस सदन में विचार हो रहा था उस वक्त हमने एक सिद्धांत रखा था कि श्रमदान में जबरदस्ती लोगों से काम नहीं करवाया जायगा। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी की जो मंशा है वह ठीक है। हम समझते हैं कि इस बात को अगर यों ही छोड़ दिया जायगा तो किसी पर प्रतिबन्ध नहीं रहेगा कि कि वह काम करने के लिये आवे तो शायद कोई न आवे और वहां पर काम नहीं बनेगा, लेकिन हमें इसके दूसरे पहलू को भी देखना है कि आजकल जो सरकारी अफसरों की मनोवृत्ति हो गई है उससे उसके मिसयूज होने का अंदेशा है। तो दोनों चीजों को सामने रखना है और उसको रखते हुये उस पर कुछ मजदूरी जिन लोगों को काम पर बुलाया जाय, दी जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। जो अमीर आदमी हैं जिनके पास कुछ खाने के लिये है वह तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

आयेंगे लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है जैसे एक आदमी जो मोची का काम करता है और उससे दिन भर के लिये अपनी रोजी कमाता है अब वह काम पर आ जाता है तो उसके लिये कुछ चाहिये। फिर जो गरीब आदमी है उसी को दबाया जाता है। बड़े आदमी से कोई कुछ नहीं कह सकता तो जो गरीब आदमी हैं उनसे कहा जाय कि तुम इस काम के लिये आओ और इसमें मुमकिन है कि जो सरकारी अफसर हैं उनमें से उनपर कोई जबरदस्ती करे तो मैं समझता हूं कि उस वक्त इस बिल के मिसयूज होने का अंदेशा है। वैसे तो जिन जोरदार शब्दों में माननीय राजनारायण जी ने रखा है वैसा मैं नहीं रख सकता लेकिन माननीय राजनारायण जी को और माननीय रामनारायण त्रिपाठी को यह ख्याल न हो जाय कि हमारे साथ कोई नहीं है तो हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि इस प्रदेश की जनता की भलाई के लिये जो काम वे करेंगे उनमें हम हमेशा उनके साथ रहेंगे जैसे जब कोई काम सरकार भलाई का करती है हम उनके साथ रहते हैं लेकिन अगर वे कोई गलत बात करेंगे, गलत बात सदन के सामने रखेंगे तो हम उनका साथ देने के लिये बिलकुल तैयार नहीं है।

एक बात अध्यक्ष महोदय माननी पड़ेगी कि माननीय राजनारायण जी के भाषण से सदन में कुछ जोश रहता है। हम चाहते हैं कि वह आये और हमें बतावें और हमें अपने पुराने तजुरबे को बतावें। किसी कारण से हम उन्हें अपना नेता बना सकें लेकिन फिर भी उम्मीद है कि उनको पुराना तजुरबा है और वे हमें अच्छी अच्छी बातें बताते रहें और ऐसा मौका दें कि हम उनका साथ देते रहें। बहरहाल, जो संशोधन माननीय रामनारायण जी ने रखा है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी को उनकी जो मंशा है उसको किसी रूप में पूरा करना चाहिये और इस संशोधन को अगर वह मान लेंगे तो इसमें कोई खराबी की बात नहीं है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के संबंध में मुझे सिर्फ दो बातें कहनी हैं। हमारे देश में गणतंत्र की जो प्रणाली है और जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध यह बात होगी कि हम किसी भी आदमी को उसकी मंशा के अन्दर अगर बात है तो कानून बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मंशा के खिलाफ किसी काम को करने के लिये कानून द्वारा बाध्य करें, मैं समझता हूं कि इससे जो हमारा मस्तक आज दुनिया के सामने ऊंचा है वह नीचे गिरता है और जिस बात के लिये कानून बनाने की आवश्यकता नहीं थी उसमें भी इस क्लाज के जरिये से लोगों को यह मालूम होगा कि इन लोगों के यहां भी फोर्स्ड लेबर की परम्परा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस श्रमदान की महत्ता को ध्यान में रखते हुये माननीय मंत्री जी के दिल में इस कानून को बनाने का विचार हुआ उसकी परम्परा के भी यह बात विरुद्ध है। हम यह बात मानने के लिये बाध्य होते हैं कि हमारे देश के लोग भले काम में शरीक नहीं होते खुद बखुद और उनके लिये कानून बनाने की आवश्यकता है मैं बड़े अदब से निवेदन करना चाहूंगा कि जब किसी घर में आग लगती है तो किसी कानून के मातहत नहीं अपनी आत्मा की प्रेरणा से लोग खुद बखुद आग को बुझाने जाते हैं। तो जब आप कानून बनाते हैं तो उसके अन्दर जो बुनियादी सवाल है उसके बारे में आपको सोचना है। कीड़ों को मारने के लिये, कृषि को बचाने के लिये यह आवश्यक हो गया है कि हम कानून की मदद लेकर लोगों को बाध्य करें कि वे काम करने आवें। मैं बड़े अदब से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे जनता पर अपना विश्वास पूरे तौर से रक्खें और यदि उनके आफिसर्स किसी गांव में जा कर कहेंगे कि इस गांव में इस फसल के अन्दर जो कीड़े लग रहे हैं ये संक्रामक हैं और और भी जगहों पर फैल सकते हैं, आप मदद करें तो गांव वाले अवश्य मदद करेंगे। आज तक बिना इस कानून के जो टिड्डी दल को मारने का इन्तजाम किया गया उसमें जनता ने बड़े धैर्य और शक्ति के साथ सरकारी अधिकारियों के साथ सहयोग किया और यह इस बात का द्योतक है कि हमारी जनता उन बातों के लिये सचेष्ट और तत्पर रहती है जो भली बातें होती हैं। लिहाजा ऐसा कानून बनाकर हम उस भावना को कुंठित न कर दें, उसकी धार टेढ़ी न पड़ जाय। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब वह कीड़ों को मारने के लिये दवाइयां मुफ्त दे रहे हैं तो जनता

के लोग अवश्य उससे लाभ उठायेंगे। साथ ही शायद ही कोई कलेक्टर ऐसा पागल हो जायगा कि वह किसी बुड्ढे, लूले या लंगड़े से इस काम को करने के लिये कहेगा, लेकिन एक प्रतिरोध की भावना स्वयं पैदा होती है जहां दंड की व्यवस्था लगती है। बड़े-बड़े मनोवैज्ञानिकों का यह आम कथन है। फिर भारत में जिस राज्य व्यवस्था के लिये एक्सपेरीमेंट चल रहा है वह इस बात का सबूत है कि ऊपरी दबाव से काम नहीं चल सकता। यदि श्रमदान दबाव से कराया गया होता तो हजारों लोगों को जेलों में बन्द करना होता, एक पैसे का काम नहीं हो सकता था। श्रमदान की इस भावना ने स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश और देश के लोग उत्साह से और खुशी से हर भले काम में शिरकत करते हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उस भावना में भरोसा रखते हुये, अपने राज्य व्यवस्था में आस्था रखते हुये इस तरह का कानून लाकर दुनिया के सामने और देश के सामने एक ऐसा पेचीदा सवाल पैदा न करें, जिससे हमारे प्रदेश की बदनामी होने का अंदेशा हो। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि इस व्यवस्था को इस विधेयक से उठा दें।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २४ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हर गोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक अमेंडमेंट इस सदन के अन्दर उपस्थित है जिसमें कि गरीबों के लिये यह मांग है कि अगर उनसे काम लिया जाय तो उनको कुछ रोजी मजदूरी अवश्य दी जाय। मैं आपके द्वारा, माननीय मंत्री महोदय का ध्यान भारतीय विधान की तरफ दिलाना चाहता हूं। फंडामेंटल राइट्स में एक यह भी है कि किसी भी आदमी से बेगार नहीं ली जा सकती है और यह जो अमेंडमेंट है सीधासादा है। इस विधेयक में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पावर डेलीगेट की जा रही है कि १८ वर्ष के ऊपर किसी भी आदमी से जब चाहे तो काम ले सकता है। यह एक किस्म से दबाव है, बेगार है और जबरदस्ती है। मैं आपके द्वारा हाउस में यह गुज़ारिश करना चाहता हूं कि श्रमदान जो हमारे गांवों में होता है वह गरीबों से लिया जाता है। कोई बड़ा आदमी श्रमदान में काम नहीं करता। उन गरीबों पर डंडा और बेगार आज भी जारी है। इतना ही नहीं हमारे कालेजों में भी विद्यार्थी जो काम करने जाते हैं वह भी बेगार कर देते हैं। कोई खुशी से श्रमदान करता नहीं। तो मैं समझता हूं कि गरीबों पर यह एक बोझ डाला जा रहा है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को वह पावर दी जा रही है कि जिससे उन अफसरों को पूरा अधिकार रहेगा कि जो चाहेंगे, अपने घर की हरीबेगारी भी करवायेंगे मिट्टी भी ढुलवायेंगे, कीड़े भी मरवायेंगे। अगर वह नहीं सुनेंगे तो पचास पटवारी भमकवा देगा। दो चार रुपया पटवारी भी मारेगा। गांव में पटवारी कलेक्टर होता है। हर काम में उसी का डंडा चलता है। यहां तक किसान कहता है कि साहब हमसे आज भी सौ डेढ़ सौ रुपया पटवारी लोग लेते हैं। हम लोग समझाते हैं लेकिन सरकार का नौकरशाही का जमाना ज्यों का त्यों है। सरकार कान खोल कर सुन ले। उनके नौकर वही हैं। उनमें जरा भी चेंज नहीं है। एक इंच भी आगे नहीं हैं। मैं कहता हूं कि उनको मजदूरी न दीजिये तो कम से कम खाने का इन्तजाम कर दीजिये। पांच मील के एरिया में घर छोड़कर जायेगा कीड़े मारने के लिये। पटवारी अपना डंडा धमकायेगा। सब आदमी चले जायेंगे। गांव में आज भी ज्यों का त्यों अंधेर है। मैं ठाकुर साहब से साफ शब्दों में कहना चाहता हूं। कोई लुकीछिपी बात नहीं है। किसानों की कोई सुनवाई नहीं होती। हमारे यहां एक साहब ने एक हरिजन को चिट्ठी लिख कर दी कि इसको ले कर एस० पी० के पास जाओ। एस० पी० ने उसे चपत मार कर भगा दिया। यह मुझे पता है। लेकिन मैं उस एस० पी० का नाम नहीं लेना चाहता। हमें अपने फंडामेंटल राइट्स को देखना है और जो सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का सिद्धांत पेश किया है उस पर अमल करना है। तो मैं कहता हूं कि सरकार को इस अमेंडमेंट को मान लेना चाहिये या इस धारा को निकाल देना चाहिये। मनुष्यता का तकाजा है कि जब गांव में आग लगती है तो उसमें सब शरीक होते हैं, टिड्डियां जब आती हैं तो उन्हें हांक देते हैं। बाढ़ में जब घर बरबाद होते हैं तो सब लोग शरीक होते हैं। वहां पर मैजिस्ट्रेट को पावर देने की जरूरत नहीं है ताकि वह जब चाहे बेगार करा ले। मैं निहायत

[श्री शिवनारायण]

अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यह ठंडे दिल से सोचें। यह चीज बेकार है और लादी जा रही है उन गरीबों की गरदन पर। तो मैं सरकार से कहूंगा कि इस अमेंडमेंट को, जो राम नारायण जी ने पेश किया है, अपने शब्दों में संशोधित करके स्वीकार करे या इसको निकाल दें। इन शब्दों के साथ मैं फिर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अपने फंडामेंटल राइट्स को हम देखें, विधान की बात को देखें, और उसके विरुद्ध हम को कोई बात नहीं करनी चाहिये और न कोई चीज किसी पर जबरदस्ती लादी जानी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री राम लखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी के संशोधन के विषय में, मुझे ऐसा मालूम होता है कि हमारे कुछ मित्रों को गलतफहमी हो गई है। वह विधेयक के मूल रूप को न देखकर दूसरी तरफ बह गये। ऐसा प्रतीत होता है कि फंडामेंटल राइट्स के संबंध में कुछ ऐसा भ्रम हो गया है कि उसका मूल स्वरूप दिखाई नहीं देता, मैं वह आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (ख) में संशोधन दिया गया है। उसका स्वरूप यह है :—

"डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट "(ख)—किसी पुरुष को, जिसकी आयु १८ वर्ष से कम न हो और जो उक्त क्षेत्र में रहता हो आदेश कर सकता है कि वह खंड (क) में अभिदिष्ट उपायों को सम्पन्न करने में सहायता करे;"

सहायता कितनी सीमा की और कैसे, कितने समय में, यह सब नियम में आयेगा कि क्या और काम लिया जायगा, किस रूप में उनको आदेश दिया जायगा। यह सब अन्यत्र की बात है। यहां खंड ४ में शब्द "उचित पारिश्रमिक" जोड़कर, मुझे ऐसा भय है कि कहीं अर्थ का अनर्थ न हो जाय। यदि यह हो कि उचित पारिश्रमिक दिया जायगा तो कहीं ऐसा न हो कि कुछ लोग स्वयं ही उचित पारिश्रमिक पाने के लिये रोग का विस्तार कर दें। मैं समझता हूं कि यह शब्द उचित पारिश्रमिक रखने से अर्थ की अपेक्षा अनर्थ ही अधिक होने की संभावना है। इसमें जो थोड़ा सा भय है उसके लिये पहले से ही इसमें लिखा गया है कि "किसी भी व्यक्ति को, जो वृद्धावस्था अथवा किसी भी शारीरिक अक्षमता के कारण सहायता करने में असमर्थ हो अथवा जो उस स्थान से, जहां पर उसकी उपस्थिति अपेक्षित हो ५ मील से अधिक दूरी पर रहता हो, सहायता करने के लिये आदेश नहीं दिया जायगा।" तो इस तरह की कोई संभावना नहीं रह जाती कि बेकार ही परेशान किया जायगा।

जहां फंडामेंटल प्रिंसिपुल की बात की जाती है, मैं अपने मित्रों से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि जहां वह पढ़ते हैं कि कंपलसरी लेबर लेना नहीं चाहिये, वह उसके नीचे वाले वाक्य भी पढ़ लें। उनमें स्पष्ट है कि राज्य सरकार अपने नियमों को बनाते समय जनकल्याण की दृष्टि से ऐसे नियम बना सकती है। तो मैं इसमें कोई ऐसी बात नहीं देखता हूं कि इस खंड में उचित पारिश्रमिक की बात को रखा जाय। उचित क्या है? पारिश्रमिक क्या हो? इस सबका निर्णय करने में ही इसका मूल आदर्श लुप्त हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री रामेश्वर लाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायण जी के इस संशोधन पर सदन के अन्यान्य सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, जिन में अभी अभी माननीय सदस्य का एक विरोध मुझे सुनने को मिला है। यह एक छोटा सा संशोधन है कि यदि ऐसा हुकुम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी को दे कि वह अनिवार्य श्रम जाकर करे तो उसे उचित पारिश्रमिक मिले यह बहुत ही अनिवार्य संशोधन प्रतीत होता है। माननीय सदस्यों ने सदन के सम्मुख और माननीय मंत्री जी को अन्यत्र सुझाव देते हुये यह बतलाया कि यदि कुछ आदमी ऐसे हों कि जो पारिश्रमिक पाने के लिये ही काम करते हों या ऐसे हों कि जो काम को इसलिये नहीं करते किस

काम की सीमा का कहीं ठिकाना ही नहीं होता, तो फिर ऐसे अधिकार की आज्ञा देने की बात जबरदस्ती काम कराने की परिपाटी में ही होगी, तो इसलिये यह सुझाव संशोधन के रूप में है। मैं एक बात माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि अभी बाढ़ आयी हुई है और इसके साथ साथ और भी बहुत से क्राइसिस, बहुत से ऐसे काम जो प्रांत में विभिन्न अवसरों पर आये हैं, आज आप देखेंगे कि बाढ़ में प्रयत्नशील काम करने वाले अधिकारी, जो राज्य सरकार के हैं, आज भी उनका टी० ए० बनता है। एक निर्जीव मोटर बिना पेट्रोल के उस स्थान पर जहां बाढ़ आयी हुई है नहीं पहुंचती, उसके लिये पेट्रोल की आवश्यकता है और एक अधिकारी के लिये जो सैकड़ों की संख्या में तनख्वाह पाता है उसके लिये टी० ए०, डी० ए० बनता है। तो यह ठीक नहीं मालूम होता कि जो इस काम में जबरन भेजा जाय और न करने पर उसे ५० रुपये जुरमाने की इस अधिनियम में व्यवस्था की जाय, वहां पर उस आदमी के भोजन के लिये उचित पारिश्रमिक न दिया जाय। मैं समझता हूं कि जिसे ५० रुपये जुरमाना करने का हक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह आवश्यक है कि उसे खाने भर का नाज दे दे। जहां तक पारिश्रमिक का संबंध है, मैं सहमत होता यदि जुरमाने की व्यवस्था न होती। लेकिन जुरमाने की व्यवस्था करके माननीय मंत्री जी ने बाध्य किया है हम यह तर्क उपस्थित करें कि वह उचित पारिश्रमिक पावे।

अभी एक माननीय सदस्य ने यह इशारा किया कि कुछ लोगों ने इस चीज को समझा नहीं। हमने इसको समझा है। यदि कोई ऐसा पौधा जो वहां के किसानों के लिये अलाभकर है तो उसे समूल नष्ट करने के लिये भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी आदमी को आज्ञा दे सकता है, किसी जमीन की मिट्टी को हटाने के लिये, किसी कीड़े को मारने के लिये आज्ञा दे सकता है। अगर यह सिर्फ आग लगने ऐसी बात होती या ऐसी बात होती कि किसी खास अवसर पर आवश्यकता है तो फिर ऐसा संशोधन लाने की रामनारायण त्रिपाठी जी को आवश्यकता न होती। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहता है कि यहां पर यह रोग है और इसके निवारण की आवश्यकता है तो अगर लगातार काम करने की व्यवस्था है तो यह जरूरी है जिसके खाने का ठिकाना नहीं है उस आदमी को उसका पारिश्रमिक दे। इन शब्दों के साथ मैं त्रिपाठी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

***श्री कुंवर कृष्ण वर्मा** (जिला सुल्तानपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत हैं उस पर काफी विचार करने की आवश्यकता है। एक तरफ तो जो इस नियम का उद्देश्य है उसके पढ़ने से मालूम होता है कि पिछले वर्षों में इस बात का प्रयत्न किया गया कि लोग सामूहिक रूप में इस रोग को दूर करने के लिये कार्य करें, लेकिन तजुरबे से यह मालूम हुआ कि लोग बावजूद समझाने बुझाने के इस काम को सम्पन्न नहीं करते हैं। इसलिये इस विधेयक को लाने की आवश्यकता हुई। अगर यह जो बहस की जाती है कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ यह चीज है किसी को आदेश देना कि वह इस काम को करे तो पहले ही पहल असल में चाहिये कि इस विधेयक के ऊपर गौर करना बिल्कुल बेकार है, इस पर गौर ही नहीं करना चाहिये था, इसको अलग रख देना चाहिये था। लेकिन जब हमने इस उद्देश्य को मानकर और इस विधेयक पर विचार करना शुरू किया और इसमें संशोधन लाये गये तो फिर उस उद्देश्य को तो अलग नहीं रख सकते हैं, वह उद्देश्य तो अपनी जगह पर रहेगा और उसकी आवश्यकता के कारण इस विधेयक को लाना पड़ा। यह सवाल जरूर उठता है कि हम अध्यासी को एक आदेश देते हैं कि इन कीटों को नष्ट करने के लिये वह उपाय करे तो जहां पर कि जो लोग कि कृषि करते हैं जो लोग कि जमीन को आक्युपाई किये हुये हैं उनके लिये तो उसमें भाग (क) में एक आदेश दिया जाता है, जो (ख) की आवश्यकता हुई कि अगर उनसे काम नहीं चलता है और हमको अध्यासी के अतिरिक्त और लोगों की भी सहायता की आवश्यकता है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार हो कि वह उन लोगों को भी आदेश दें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कुंवर कृष्ण वर्मा]

सके। ऐसी सूरत में यह उचित जान पड़ता है कि अगर हम ऐसे लोगों की सहायता लेना चाहते हैं जो कि उस क्षेत्र में कृषि नहीं करते हैं जिनका कि कोई लाभ इस सहायता देने से हो नहीं सकता है जिनको कि कोई नुक्सान पहुंचने का अन्देशा नहीं है, क्योंकि उस क्षेत्र में उनकी कोई काश्त नहीं है तो उनसे अगर हम सहायता लेते हैं तो ऐसी शक्ल में, ऐसी सूरत में हमको कुछ न कुछ उनको मुआवजा देना चाहिये। मेरी समझ से और कोई सूरत नहीं है जिससे कि इन दोनों बातों में जो संघर्ष होता है कि एक तरफ तो उनके फंडामेंटल राइट्स पर हम कुठाराघात करते हैं और दूसरी तरफ हम उनको कुछ देते नहीं हैं तो इसमें ज्यादती वाकई होती है। मैं समझता हूं कि यह कम्प्रोमाइज कि उनको हम कुछ न कुछ उसका मुआवजा दें, कुछ उनको मजदूरी दें, यह एक उचित कम्प्रोमाइज है और मैं माननीय मंत्री से आशा करता हूं और निवेदन करता हूं कि इसको अगर स्वीकार कर लिया जाय तो बहुत बहुत सी बातें जो इसके खिलाफ कही जाती हैं, उसमें कुछ न कुछ हमको संतोष होता है कि हमने एक ऐसी उचित बात की जिससे कि हम सहायता लेते हैं उनको कुछ संतोष होता है, हम उनको भूखों नहीं मारते हैं। तो ऐसी सूरत में मैं आशा करता हूं कि यह संशोधन मंत्री जी स्वीकार करेंगे।

श्री राजा राम मिश्र (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, यह कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक जैसा कि उसके उद्देश्य और कारणों से विदित है, कृषि को इन रोगों और नाशक कीटों से जो क्षति पहुंचती है उसका निराकरण करने के लिये लाया गया है। इसके उद्देश्य और कारण में यह दिया हुआ है कि अनुभव से स्पष्ट है कि इस दिशा में समझाबुझाकर काम लेने के तरीकों से कोई सुधार नहीं हो सका है, उत्पादक प्रभावित फसल को जलाने अथवा नष्ट करने को सहमत नहीं होते हैं और न वे पास-पड़ोस के खेतों से नाशक कीटों अथवा रोगों को भगाने के सामूहिक प्रयास में भाग लेते हैं। यह सब इस संबंध में उपर्युक्त अधिनियम बनाने से ही हो सकता है। यानी यह कि यह विधेयक इस मंशा से लाया गया है कि कृषि को इन नाशक कीटों से जो नुकसान होता है वह बचाया जाय। धारा ४ में दो बातें दी हुई हैं। एक तो यह कि धारा ४(क) में दिया हुआ है कि जिला मैजिस्ट्रेट अध्यासी को यह आदेश दे सकता है कि वह उन क्षेत्रों में जहां कि यह कीट नुकसान पहुंचाते हैं वहां पर कार्यवाही करे, अध्यासी के खिलाफ, या उनको वह डाइरेक्शन दे। दूसरे यह कि धारा ४(ख) में दिया हुआ है कि किसी पुरुष को जिसकी आयु १८ वर्ष से कम न हो और जो उक्त क्षेत्र में रहता हो आदेश कर सकता है कि वह खंड (क) में अभिदिष्ट उपायों को सम्पन्न करने में सहायता करे। जहां तक मेरा ख्याल है धारा ४(ख) किसी भी व्यक्ति पर जो उस क्षेत्र में रहता है लागू होती है और वह ऐसे पुरुष पर अधिकतर लागू होगी, जिसकी कि जीविका मजदूरी है और जो कि अध्यासी नहीं है और जिसका कि स्वयं उस क्षेत्र में कोई अधिकार नहीं है। कोई मिल्कियत नहीं है। तो इसमें कोई ऐसा प्रश्न तो है नहीं कि इससे कांस्टीच्यूशनल राइट पर आघात पड़ता हो लेकिन जहां तक मैं समझता हूं इसमें मजदूरी जो उन लोगों को मिलती है जिसका कि उस खेती में कोई अधिकार नहीं है, उन पर कुछ ज्यादा नुक्सान पहुंच सकता है और उसके साथ अन्याय हो सकता है। मैं समझता हूं कि धारा (ख) यहां पर है तो अनावश्यक है क्योंकि यह तो अध्यासी के फायदे के लिये नहीं है। यह किसी पुरुष के लिये है। तो अगर दूसरे पुरुष जिसकी खेती नहीं है, उस पर लागू करता है तो जैसा कि और माननीय सदस्यों ने कहा है, मुआविजा मिलना चाहिये। वह इस मौके पर जहां पर यह संशोधन दिया हुआ है कि "आदेश" से पहले "उचित पारिश्रमिक देकर" शब्द जोड़ दिए जायं इस तरह से कर दिया जाय, और या जो धारा (ख) का प्रतिबन्ध लगा हुआ है वहां पर कोई शर्त लगा दी जाय कि यह कानून उस हालत में उस व्यक्ति को लागू नहीं होगा, जिसको पारिश्रमिक न दिया जायगा। मैं समझता हूं कि पारिश्रमिक का देना, कुछ न कुछ उचित मालूम पड़ता है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि या तो इसी मुकाम पर या प्रतिबन्धात्मक वाक्य में इस मुआविजा देने की शर्त को मंजूर कर लिया जाय और उस हालत में मैं समझता हूं कि जो मजदूरों पर अन्याय हो सकता है वह अन्याय न हो सकेगा।

श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब क्लोजर मूव करना चाहता हूं।

श्री हुकुम सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कुछ मित्रों ने इस तरमीम के सिलसिले में फंडामेंटल राइट्स का भी जिक्र किया। आर्टिकिल तो पढ़ा नहीं लेकिन उसका हवाला दिया और जो एक जरूरी अंग उसका था उसके बारे में खामोशी अख्तियार की। उससे इस सदन के ऊपर प्रभाव डालने की चेष्टा की गयी कि गोया यह धारा, यदि यह तरमीम मंजूर न की जायगी तो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बात पड़ेगी और बड़ा अनर्थ होगा। मैं श्रीमन् की आज्ञा से आर्टिकिल २३ जो संविधान का है उसे पढ़ना चाहता हूं ''।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--पहले आर्टिकिल (२) पढ़िये उसका।

श्री हुकुम सिंह--मैं सभी पढ़े देता हूं--

"(1) Traffic in human beings and *begar* and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law.

(2) Nothing in this article shall prevent the State from imposing comll pulsory service for public purpose and in imposing such service the State shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, class or caste or any of them."

तो इसमें जो एक्सेप्शन दिया हुआ है उसकी रू से यह बिलकुल सीधा है कि अगर सार्वजनिक काम के लिये कोई बेगार भी ली जाय तो वह किसी तरह से अनुचित नहीं है और हमने और तमाम देश ने इस बात की प्रतिज्ञा की है कि इस संविधान का अक्षरशः पालन करेंगे। लिहाजा उस प्रतिज्ञा की रू से हम इसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं। एक्सेप्शन को निकाल कर उसका उल्लंघन नहीं करना चाहते। तो जहां तक कि फंडामेंटल राइट का ताल्लुक है, यह बात तो खत्म हो जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे और मित्रों ने भी कहा कि जिस शख्श को जो आकुपायर है, अधिवासी है और खेती बाड़ी उसकी उस क्षेत्र में नहीं है तो उससे यह काम क्यों लिया जाय? उसको इससे क्या लाभ होगा कि कीटाणु खत्म कर दिये जायं और कुर्बोजवार की फसल बहुत अच्छी हो। लेकिन बहुत से गरीब भाई उस क्षेत्र में रहते हैं। मजदूरी करते हैं। जब फसल कटने लगती है तो उसको काटने जाते हैं और उससे कुछ पैदा करते हैं, अपनी जीविका बसर करते हैं यदि कीटाणुओं की वजह से कुर्बो जवार की फसल खत्म हो जाती है तो उनकी रोजी भी खत्म होती है। जब फसल नहीं रहेगी तो क्या काटने जायेंगे, कैसे पैदा करेंगे। तो यह कहना कि जो वहां रहते हैं उनकी फस्ल नहीं है, उनको इससे कोई लाभ नहीं होगा, मैं समझता हूं कि कुछ ठीक और उचित बहस नहीं है सब का लाभ होता है। मान लीजिये कि एक तहसील में कहीं ऐसी बात हो या १० गांवों में ऐसी बात हो और १० गांवों की फसल या एक तहसील या एक जिले की फसल इस तरह से तबाह व वर्बाद हो जाय तो असर क्या होगा? गल्ले की पैदावार में कमी होगी और उसकी प्रतिक्रिया यह होगी कि गल्ला महंगा होगा। जो गरीब खरीद कर खाते हैं उनको उसका ज्यादा दाम देना पड़ेगा। लिहाजा उनका भी फायदा इसी में है कि अपने देश में गल्ला काफी तादाद में पैदा हो और मैं समझता हूं कि जो लोग बिला खेती के हैं उनका तो और इंटरेस्ट इसी में है कि गल्ला ज्यादा पैदा हो चूंकि वे मोल लेकर खाते हैं ताकि उनको सस्ता गल्ला मिले। लिहाजा यह भी बहस में समझता हूं कोई अर्थ नहीं रखती कि जो मजदूर पेशा है उनसे काम क्यों लिया जाय। उसूलन हम समझते हैं कि जब हम कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे सामूहिक फायदा होने वाला है तो हर शख्श का यह फर्ज होता है कि उसमें भरसक सहायता दे। तो मैं यह समझता हूं कि ऐसी सूरत में हर एक आदमी को इसमें काम करना चाहिये।

हां, यह भी बात बहुत कही गयी कि गरीब आदमी है, सवेरे से शाम तक और हफ्तों लगा रहेगा तो वह खायेगा क्या और उसके बच्चे भूखों मरेंगे। इसको मैं भी देखता हूं क्योंकि मैं

[श्री हुकुम सिंह]

भी ऐसा विचार रखता हूं और मैं अपने भाइयों का, जिन्होंने यह बात उठायी है, बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने ऐसी बात कह कर मेरी तवज्जह इस तरफ दिलाई। मैं इस बात का भरसक प्रयत्न करूंगा कि नियम बनने लगें तो कोई ऐसी बात रखें कि इस तरह के जो खतरात हम इस समय समझते हैं वे हमारे सामने न हों कि एक आदमी जो गरीब है, बेचारा परेशान है उसको हफ्तों रगड़ें और बिला कोई मुआविजा दिये हुए। मैं समझता हूं ऐसी बातों की संभावना कम रहेगी अगर हम नियमों में विचार करके कोई बात ऐसी रखेंगे। तो इसमें हम और आप दोनों इत्तफाक राय हैं कि इसका भी किसी तरह से दुरुपयोग न होने पाये और हर एक व्यक्ति से जितनी मेहनत करनी मुनासिब हो उतना ही काम उससे लिया जाय। मोटों को छोड़ दिय ाजाय, गरीबों को पीस दिया जाय या किसी के खिलाफ डिसक्रिमिनेट करना उनसे जरूरत से ज्यादा काम लेना इसको न आप पसन्द करेंगे न मैं।

जहां तक इस तरमीम का ताल्लुक है, इसके बारे में मैंने पहले ही कहा, मैं बहस मुबाहिसे में बिला वजह कोई गर्मी नहीं लाना चाहता। जरूरत हो तो गर्मी भी आये तो कुछ उसका लुत्फ आता है। यों बिला वजह गर्मी पैदा करना बिलकुल बेजा प्रयास होता है। मैं तो यह कहूंगा कि मुझे जो इसकी मैरिट पर कहना था वह मैंने कह दिया। यह किसी तरह से ठीक बात नहीं है क्योंकि इसमें बड़े झगड़े पड़ेंगे। उचित पारिश्रमिक, यानी जो मुनासिब हो। अब क्या मुनासिब होगा। इमर्जेन्सी की हालत में हम पहले ही झगड़े में पड़ें कि १० आने, १२ आने या २० आने, क्या मुनासिब होगा। तो इस झगड़े का निर्णय करते करते सारा काम बिगड़ जायगा। दूसरी बात यह कि यह कहना कि हमारे देश के लोग केवल जबर्दस्ती के फलस्वरूप ही और अपने मन से श्रमदान करना नहीं चाहते मैं इस राय से इत्तफाक नहीं करता। मैं तो समझता हूं कि हमारे देशवासी भी अब इसकी महत्ता को समझ गये हैं और उनकी काफी दिलचस्पी श्रमदान में है और बड़े-बड़े काम उन्होंने सम्पन्न किये हैं जिनका हम कभी गुमान भी नहीं कर सकते थे ऐसे ऐसे काम श्रमदान से हम देश के रहने वालों ने किये हैं लिहाजा उनके ऊपर लांछन लगाना कि वह कम्पलशन से ऐसे काम करते हैं अपने मन से नहीं करते हैं कहां तक ठीक है। मेरी धारणा तो यह है कि वह अब समझ गये हैं कि हमें अपने देश को बनाना है और अपना देश गरीब है और इतना धन नहीं है और जन-धन इतना है कि अगर ठीक तरह से उसका प्रयोग किया जाय और सब लोग एक साथ लग जायं तो बड़े से बड़े काम हम कर सकते हैं और लोग चकित होकर देखते रह जायेंगे। मैं लांछन नहीं लगा रहा हूं बल्कि आप लगा रहे हैं आपने यह सब बातें कहीं कि जबरिया कराते हैं और खुशी से नहीं करते हैं यह गलत है। यह वाक्य आपने फरमाये थे इसलिये मैं कहता हूं कि ऐसा कहना नामुनासिब और अनुचित है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--उपाध्यक्ष महोदय, औन ए प्वाइंट आफ एक्सप्लेनेशन, मैंने यह कहा था कि श्रमदान लिया जाता तो जबरिया काम लेने वाला कानून बनाना मुनासिब नहीं है मैंने यह नहीं कहा था कि जबरिया काम लिया जाता है।

श्री हुकुम सिंह--जब हमारे मित्र ने कहा कि उन्होंने यह नहीं कहा तो मैं अपने सब अल्फाज जो मैंने कहे हैं उनको वापस लेता हूं। मैं समझता हूं कि हमारे मित्र सहमत हैं कि लोग अजखुद श्रमदान देने के लिये तैयार हैं जब वह तैयार हैं तो सार्वजनिक काम में हिस्सा बंटाने के लिये तैयार हैं तब यह कहना कि उनको मजदूरी दी जाय ठीक नहीं है जिस समय वह कहेंगे कि बगैर मजदूरी दिये काम न लिया जाय तो मैं सुनने के लिये तैयार रहूंगा जो वैसे ही तैयार है उनके लिये वकालत करना मैं समझता हूं कि कोई माने नहीं रखता है।

जब हमारे मित्र श्री राजनारायण जी ने एक बात शायद सहारनपुर के बारे में कही कि बड़ी ज्यादती की गयी, यह किया गया और वह किया गया मैं नहीं समझता कि वहां ऐसी बात हुयी हो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि कभी कोई ज्यादती श्रमदान के काम में नहीं

की जाती है, हमेशा समझा-बुझाकर काम लेने की चेष्टा की जाती है। तो ऐसी बात कहना कहां तक उचित है और ठीक है ? जो बात मसल्लमां नहीं है उसके आधार पर ऐसी तरमीम लाना और ताईद करना ठीक नहीं है। आप कहते हैं कि ऐसा हुआ, मैं कहता हूं कि नहीं हुआ। लिहाजा जब तक कोई प्रमाण और पौजीटिव प्रमाण न हो तब तक उसके आधार पर इस तरमीम की ताईद नहीं की जा सकती है।

मैंने इसमें दिक्कतें बतलायी जिनकी वजह से मैं इसको नहीं मान सकता। जिस सिद्धांत पर यह बिल लाया गया है वह यह है कि यदि अपने देश को हानि पहुंचने वाली हो तो ऐसे उपाय करने चाहिये ताकि हमारे देश का कल्याण हो और हमारे देश की फसल को हानि न पहुंचे। यह असल में इसकी मंशा है। इस प्रिजम्पशन पर यह कयास नहीं चलता है कि जो इसको बरतेंगे उनका दिमाग खाली है, वह देश के शत्रु हैं, किसानों के शत्रु हैं। अगर इस तरह से चलेंगे तब तो काला ही काला दृश्य दिखायी पड़ेगा। कयास यह है कि हर शख्स उचित ढंग से अमल करेगा और जो इसके खिलाफ करेगा उसके खिलाफ हम लोग कार्यवाही कर सकते हैं। उसको हम तम्बीह कर सकते हैं। लेकिन यह कयास कर लें कि जितने कलेक्टर और अफसरान होंगे वह सब के सब खिलाफ वर्जी करेंगे और यह लोगों को जानबूझकर तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इस बिल के दृष्टिकोण को दूर करके अपने निजी स्वार्थ में वह लोगों को परेशान करेंगे तो ऐसा सोचना अब कहां तक ठीक है ? मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक इस तरमीम का ताल्लुक है मुझे उम्मीद है कि त्रिपाठी जी इसको वापस लेंगे। इससे हमको सहूलियत नहीं होगी बल्कि हमारे रास्ते में और अड़चन पैदा होने का इमकान है। इस वजह से इन शब्दों के साथ मैं अपने मित्र से इसको वापस लेने की दरख्वास्त करता हूं।

श्री राज नारायण--माननीय मंत्री जी ने जो सहारनपुर की बात का जिक्र किया कि राजनारायण की बात सही है या उनकी बात सही है तो क्या कोई ऐसा साधन वह निकालेंगे जिससे मालूम हो जाय कि सहारनपुर में ऐसी बात घटी है या नहीं, उसकी जानकारी हासिल हो जाय। अगर वह किसी निष्पक्ष आदमी को इस काम के लिये नियुक्त करेंगे तो उससे यही मालूम होगा कि हमारी बात सही है और उसकी बात गलत है।

श्री हुकुम सिंह---मेरी बात सही है और सही जानकर मैं उसको यहां पर कहता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि इस बात का नियमावली में विचार-विनिमय करेंगे कि पारिश्रमिक आवश्यकता पड़ने पर दिया जाय. . . . .

श्री हुकुम सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि लोगों से २ दिन या ४ दिन या ७ दिन तक बराबर बिला किसी मुआविजे के काम लेंगे। ऐसा सोचना गलत है।

***श्री रामनारायण त्रिपाठी**--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम में संविधान की धारा २३ आपको पढ़कर सुना देता हूं जिसका माननीय मंत्री जी ने सही अर्थ नहीं किया--

"23. (1) Traffic in human beings and *begar* and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law.

(2) Nothing in this article shall prevent this State from imposing compulsory service for public purposes, and in imposing such service the State shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class or any of them."

माननीय मंत्री जी ने इसका यह अर्थ लगाया कि एक आदमी को बेगार लेने का हक नहीं है मगर सरकार चाहे तो वह बेगार ले सकती है, जो कि पब्लिक परपज के लिये हो। लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

संविधान की धारा का यह मतलब नहीं है । अगर इस धारा का यह मतलब होता तो यहां पर कंपलसरी फ्री सर्विस रखा जा सकता था और सरकार को मजबूरन उनसे सर्विस लेनेका अधिकार होता । मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि अगर कोई आदमी किसी को ५ रुपये रोज देने के लिये तैयार है और वह इस पर भी काम करने के लिये तैयार नहीं है तो उनके पास कोई ताकत नहीं है कि उससे काम करा सके । लोगों की व्यक्तिगत इच्छा नहीं है तो कोई काम उनसे नहीं करा सकता है लेकिन स्टेट उसको मजबूर कर सकती है लेकिन उसके लिये 'कम्पलसरी फ्री सर्विस' शब्द वहां पर नहीं है । जिस समय पंचायत राज का विधेयक बन रहा था उस समय उस में से फोर्स लेबर की बात को हटा दिया गया था । मैंने यहां पर यह बात इसी लिये कही थी कि यह चीज कोर्ट आफ ला में जाकर चैलेंज न हो लेकिन माननीय मंत्री जी समझते हैं कि स्टेट को ऐसा अधिकार हो सकता है । मैं समझता हूं कोर्ट आफ ला में जाकर यह चीज ठहर नहीं सकती है । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट यहां पर संविधान की धारा का उल्लंघन कर रही है । कोर्ट आफ ला में यह स्टैण्ड नहीं करेगी । इसलिये यह कह देना कि स्टेट को बेगार लेने का अधिकार है, उसको काम करने का अधिकार है यह तो ठीक हो सकता है लेकिन उसको कंपलसरी फ्री सर्विस लेने का अधिकार कदापि नहीं है । माननीय मंत्री जी आजतक कोई नजीर ऐसी नहीं बता सकते जिसमें गवर्नमेंट के खिलाफ कोई मुकदमा दायर किया गया हो हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में और इस बारे में गवर्नमेंट की जीत हुयी हो । यह तो रही सरकार को चतावनी देने की बात ।

जादू वह है जो सर पर चढ़ कर बोले । आज श्रमदान के बारे में यहां सारगर्भित वादविवाद हुआ और माननीय मंत्री जी के मुंह से निकल गया श्रमदान के बारे में वह जो कि वास्तव में है । माननीय मंत्री जी तो वही कहेंगे जो कि उनकी पार्टी उनसे कहलायेगी लेकिन वे अपने मन में जानते हैं कि असलियत क्या है । उन्होंने साफ कह दिया कि श्रमदान में नीचे के लोगों से बेगार ली जाती है। अच्छा मैं इसके लिये एक टेस्ट रखना चाहता हूं। श्रमदान के किसी काम में भी राज्य कर्मचारियों को अलहदा कर दिया जाय और कांग्रेस के जो नेता लोग हैं तथा एस०एल० एज० हैं वे सब उसमें लग जायं और यदि वह सफल हो जाय और जनता उसमें सहयोग दे दे तो मैं समझूंगा कि जनता वास्तव में सहयोग देती है और श्रमदान को स्वेच्छा से चाहती है । जो भी श्रमदान का काम होता है उसमें कमिश्नर, डिप्टी कमिनश्नर, और नीचे पटवारी से लेकर पंचायत राज्य के सेक्रेटरी तक इस काम में लगाये जाते हैं, उनको अलग कर दिया और राम नरेश जी फिर श्रमदान करा लें तो मैं समझूंगा कि वाकई जनता इसको चाहती है और जनता में कांग्रेस के कार्य-कर्ताओं का असर है । इसीलिये मैं कहता हूं कि जादू वह जो सिर पर चढ़ कर बोले । मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने आज एक सच्ची बात कही । वैसे मंत्री होने के नाते वह वही राग अलापते हैं जो कि उनकी पार्टी के लोग उनसे चाहते हैं लेकिन वैसे वे इस बात को खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि जनता में कांग्रेस के नेताओं का प्रभाव नहीं है और यह कि अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आदि सरकारी अफसर उसमें न हों तो उनका यह काम नहीं हो सकता ।

माननीय मंत्री जी ने आग का उदाहरण दिया । आग २४ घंटे या अधिक से अधिक २-३ दिन से ज्यादा नहीं चलती और वहां पर किसी से कहने की आवश्यकता भी नहीं होती । लेकिन जहां तक इस योजना का ताल्लुक है यह योजना मीलों के एरिया में कार्यान्वित की जायगी । कई जिलों कई तहसीलों,कई परगनों में यह विपत्ति आ सकती है इसलिये उसमें लिखा गया है कि ५ मील तक के दायरे के लोग उसमें बुलाये जा सकते हैं और उनसे काम लिया जा सकता है । अगर स्वेच्छा से काम करने का सवाल होता, अगर माननीय मंत्री जी को विश्वास होता कि सब लोग काम करने के लिये आयेंगे तो वे इस धारा को कदापि न रखते और इस धारा को रखने की आवश्यकता ही क्या थी । इसलिये इसको आग की मिसाल देना ठीक नहीं है । इस काम में १५ दिन या एक महीना लग सकता है और अगर उस वक्त में उसकी रीजनेबिल मजदूरी भी न दी गयी तो उसका क्या हाल होगा । आज तो माननीय मंत्री जी अपने बहुमत के कारण कानून पास करा सकते हैं

और उसमें उनका कोई विरोध नहीं करेगा। जो विरोध भी करता है तो वे उसे देश का सेवक नहीं समझते। श्री कुंवर कृष्ण वर्मा जी ने एक बिलकुल नयी बात कही। उन्होंने कहा कि जिसकी फसल नष्ट की जायगी उसको तो पारिश्रमिक देने का कोई प्रश्न नहीं है लेकिन दूसरे लोगों को कुछ पारिश्रमिक मिलना चाहये। लेकिन यह बात उन्होंने बिलकुल उल्टी कह डाली। मान लिया एक गरीब आदमी है उसकी फसल नष्ट की गयी और उसको फिर मजदूरी भी न दी गयी तो उसको दुहरी चोट पहुंच जायगी। अमीर आदमी से तो कह सुन कर स्वेच्छा से मजदूरी के लिये छुड़ाया जा सकता है लेकिन अगर कोई एक गरीब हरिजन हो जिसका ४ बिस्वा खेत हो। उसके लिये यह घोषित कर दिया जाय कि उसकी फसल में कीड़ा लगा हुआ है इसलिये उसको नष्ट कर दिया जाय तो एक ओर तो उसकी फसल बरबाद हो जायगी और दूसरी तरफ उसकी मजदूरी भी न मिलेगी। यह हो सकता है कि माननीय हुकुम सिंह जी पारिश्रमिक स्वेच्छा से न लें और बिना पारिश्रमिक के ही काम करें लेकिन कानून में तो इसकी व्यवस्था करनी होगी। हो सकता है कि कोई ले या न ले लेकिन आपको इसकी व्यवस्था करनी ही होगी। पिछली बार जब अनर्हता बिल पास हुआ था तो बहुत से लोगों ने कमीशन नहीं लिया लेकिन उसमें भी आपको व्यवस्था तो करनी ही पड़ी थी। अगर आप इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करते तो वह संविधान के प्रतिकूल होगा। अब माननीय मंत्री जी को यह भी बतलाया गया उनके दल के नेता ने बताया ही कि किसान और मजदूर सुबह से शाम तक मेहनत ही मेहनत करते हैं और इस पर भी उनको खाने पीने को नहीं मिले तो यह श्रमदान कोई श्रमदान नहीं हुआ। जिनका श्रम फाजिल हो, जिनके पास समय ज्यादा हो वे ही श्रमदान करें। ऐसे लोग जो शहर में रहते हैं या बाबू लोग या हमलोग भी हो सकते हैं जो श्रमदान करें। सेठ महाजन लोग भी हो सकते हैं जिनके पास श्रम फाजिल होता है वे श्रमदान करें। लेकिन जो सुबह ४ बजे से रात के बारह बजे तक मेहनत ही मेहनत करता है उससे श्रमदान लेना बेकार है। कुछ दोस्त जो पी० एस० पी० के हैं उन्होंने यह कहा कि इस तरह की बात हो सकती है। हम उनकी मजबूरी को समझते हैं। अभी तो उनकी पार्टी की कोई रीति नीति ही नहीं है हो सकता है कि आगे चल कर गवर्नमेंट लेबिल पर उनके बड़े-बड़े नेताओं की नीति कांग्रेस पार्टी के साथ सहयोग करने की भी हो जाय। उनका न कोई उसूल है न कोई नियम है। हमारे उसूल तो पहले से जाहिर हैं। उनकी मजबूरियों को हम समझते हैं और हमारे लिये जो उनकी सद्भावना है उसको भी समझते हैं।

माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, उन्होंने श्री राजनारायण जी के लिये कहा कि उनकी दुर्गति हो रही है। जो श्री राजनारायण जी विरोधी-दल के नेता थे और राम नारायण त्रिपाठी उपनेता थे उनकी आज दुर्गित हो रही है। मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि जो हमारे उसूल हैं वे अयां हैं हम अपने उसूलों को छोड़ कर किसी से समझौता करने के लिये तैयार नहीं हो सकते हैं। जहां तक प्रदेशीय सरकार और जवाहर लाल की मिनिस्ट्री की बात है उसके लिये हमको लालच हो ही नहीं सकती है। अगर हमको वह पद मिले तो अपने उसूलों के लिये उसको भी लात मारने के लिये तैयार होंगे। जहां तक श्री अवधेश प्रताप सिंह की बात है यह चीज तो उनके खून के अन्दर मौजूद है कि जब जैसा मौका देखा उसके अनुसार काम करने के लिये तैयार कर लेते हैं। ऐसी हालत में वे सिवा सरकार की चापलूसी करने के और कर ही क्या सकते हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—उनको आने दीजिये तब कहिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जहां तक श्रमदान लेने की बात है, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भारत सेवक समाज यू० पी० के अध्यक्ष हैं वे रोज इस बात का रोना रोते हैं लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता है और जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं वे लोगों से श्रमदान करवा लेते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय, जिनकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है कि मैं उनको गवर्नर से ज्यादा प्रतिष्ठित समझता हूं, वे अपील करते हैं, भारत सेवक समाज का रोना रोते हैं लेकिन उस काम के लिये कोई आगे नहीं आता और

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

माननीय मंत्री जी तथा डिप्टी कमिश्नर श्रमदान करवा लेते हैं। तो इस तरह से श्रमदान का नाम ले लेने में और उसको कराने में बड़ा फर्क हो सकता है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी किसी कानूनी कोड में इसको नहीं संभाल सकते हैं। अगर किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जावे तो वहां यह कानून जरूर अवैध हो जायगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राम नारायण त्रिपाठी जी के संशोधन में एक संशोधन पेश करना चाहता हूं "उचित" की जगह शब्द "नियत" कर दिया जाय। मुझे आशा है कि उसे वे स्वीकार कर लेंगे :

श्री उपाध्यक्ष—(श्री रामनारायण त्रिपाठी से) आप इस संशोधन को मानते हैं ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं मान लूंगा "नियत" शब्द रख देने में कोई हर्ज नहीं है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जब उन्होंने स्वीकार कर लिया है तो जो दिक्कत "उचित" के रहने से थी वह "नियत" के रहने से दूर हो जायगी क्योंकि आपही को पारिश्रमिक नियत करना होगा। आप जिस तरह से नियत कीजियेगा उसी के मुताबिक पारिश्रमिक दिया जायगा। इससे आपकी कठिनाई भी दूर हो जायगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि शब्द "उचित" के स्थान पर शब्द "नियत" कर दिया जाय।

श्री उपाध्याय—माननीय मंत्री जी को कुछ कहना है ?

श्री हुकुम सिंह—अब मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति २ में शब्द "हो" और शब्द "आदेश" के बीच निम्नलिखित रख दिया जाय—

"नियत पारिश्रमिक देकर"

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि सदन में जो कांग्रेस पार्टी के व्हिप, लोगों से मना कर रहे हैं और कनवेसिंग कर रहे हैं वह न होने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—सदन में कनवेसिंग नहीं होनी चाहिये।

प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति २ में शब्द "हो" और शब्द "आदेश" के बीच निम्नलिखित रख दिय जाय :—

"नियत पारिश्रमिक देकर"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१५

विपक्ष में—५७।)

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो संशोधन है वह असल में २ खंडों में है और चूंकि दूसरे खंड में संशोधन आ चुका है, इस वजह से मैं प्रथम खंड में ही अपना संशोधन पेश करना चाहता हूं। मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (ख) के प्रतिबन्ध के प्रथम वाक्य को निम्नांकित रूप में परिवर्तित कर दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी व्यक्ति को जो वृद्धावस्था, शारीरिक अक्षमता, अथवा अन्य उचित कारणवश सहायता देने में असमर्थ हो"

यह मेरा संशोधन है बाकी सब वैसे का वैसा ही रहेगा।

श्री राज नारायण—और आगे जो है उसका क्या हुआ ?

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी—बाद का वैसे का वैसा ही रहेगा क्योंकि उसी तरह का संशोधन और है वह उसी में आ जायगा। मैं सिर्फ पहला खंड प्रस्तुत कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में यह कहना है जो कि अधिकार इस बिल में लिये गये हैं उनका किसी प्रकार दुरुपयोग न हो होना चाहिये और न किसी आदमी, जो उचित कारणवश सहायता न दे सका हो, उसको किसी प्रकार की सजा मिलनी चाहिये। इसलिये मैंने इसमें "अन्य उचित कारणवश" शब्द जोड़ दिये हैं। बिल में दो कारणों पर छूट दी गयी है, वृद्धावस्था और शारीरिक अक्षमता लेकिन इनके अतिरिक्त अन्य कारण भी हो सकते हैं जिनकी वजह से एक व्यक्ति समय पर सहायता देने में असमर्थ हो जाय जैसे किसी के परिवार में कोई मृत्यु हो जाय या उसका कोई निकट सम्बन्धी बहुत सीरियसली बीमार हो जाय अथवा उसके यहां शादी हो उसी तिथि के ऊपर जिन दिन की सहायता मांगी जा रही है यह तिथियां इसकी पहले ही से निश्चित हो जाती हैं और टल नहीं सकतीं। अगर लड़के की शादी है तो दूसरी जगह जाना पड़ता है। इसी प्रकार किसीको नौकरी पर जाना है। आज वहां पर विज्ञप्ति हो गयी है कि कल उसको कीटों के विनाश में सहायता देनी है। तो नौकरी वाले को जाना ही पड़ेगा वरना नौकरी छूटने की नौबत आ सकती है। इसी तरह से बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें एक व्यक्ति बिलकुल असमर्थ हो और वह चाहते हुये भी सहायता न प्रदान कर सके। इसलिये अन्य उचित कारणवश इस संशोधन द्वारा रख दिया गया। मैं यह भी बतला देना चाहता हूं कि इसमें जो यह सूचना दी जायगी वह ज्यादातर डुग्गी से होगी या एक जनरल सूचना होगी और वह किसी को व्यक्तिगत नहीं दी जायगी और न उसको इतना अवकाश मिलेगा कि वह अपनी मजबूरी किसी से जाहिर कर सके। ऐसी स्थिति में कि पांच-पांच मील और २,२ मील के घेरे में जहां सैकड़ों आदमी रहते हैं वहां पर एक विज्ञप्ति द्वारा उनको आदेश दे दिया जाय व्यक्ति विशेष परिस्थिति की कोई जानकारी किये बिना फिर उनपर किसी तरह का पेनल ऐक्शन लिया जाय तो यह मैं समझता हूं कि किसी तरह से उचित नहीं होगा। इस मेरे संशोधन के स्वीकार होने से यह स्थिति नहीं उत्पन्न होगी और या तो मजबूर व्यक्ति के ऊपर कोई ऐक्शन लिया ही नहीं जायगा और अगर लिया भी जायगा तो वह अपनी सफाई अदालत में पेश कर सकता है जिसकी वजह से वह सहायता देने में असमर्थ रहा और उसको सजा नहीं होगी। इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन मंत्री जी स्वीकार करेंगे। मैं यह भी समझता हूं कि इस संशोधन को मानने से वे इसके अन्तर्गत ऐसे नियम बना सकते हैं जिसमें वे लोग, जो कि वास्तव में अपनी जीविका प्रतिदिन उपार्जन करते हैं वह मुक्त कर दिये जावें और नियम द्वारा पिछले संशोधन के आशय की थोड़ी-बहुत पूर्ति कर सकते हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय।

श्री राजनारायण—मैं इसमें एक संशोधन देना चाहता था।

श्री उपाध्यक्ष—आप इसकी एक प्रति यहां भेज दीजियेगा।

श्री राजनारायण—बहुत अच्छी बात। श्रीमन्, यदि चतुर्वेदी जी का यह पूरा संशोधन रहे तब भी मेरा यह संशोधन उसमें फिट कर जाता, मगर अधूरा संशोधन जो है उसमें हमारा संशोधन अपनी जगह पर ज्यों का त्यों रह जायगा। तो यह इस प्रकार हो जायगा "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी व्यक्ति को जो वृद्धावस्था, शारीरिक अक्षमता अथवा अन्य उचित कारणवश सहायता देने में असमर्थ हो" इसके आगे मैंने जोड़ा है "या जो दूसरी जगह काम करके जीविकोपार्जन करता हो और ५ रु० प्रति दिन से अधिक मजदूरी न पाता हो।"

श्रीमन्, जो दूसरी जगह काम करके जीविकोपार्जन करता हो ऐसे व्यक्ति को अंडर कम्पलशन इस आदेश के अनुसार काम करने के लिये बाध्य न किया जाय और उसकी मजदूरी ५ रुपये प्रति दिन से ज्यादा न हो। यानी जो छोटे-छोटे लोग हैं जैसे खेतिहर मजदूर या दूसरे कर्मचारी हैं जैसे बुनकर लोग वे काम करके २,३ और ४ रु० प्रति दिन तक पा लेते हैं। ५ रुपये के

[श्री राजनारायण]

ऊपर जो पाने वाले हैं वे इस मुल्क में बड़े लोग होंगे। तो सामान्य रूप से हमारे संशोधन के मुताबिक वे खेतिहर मजदूर या वे गरीब जो अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करन के लिये कहीं न कहीं काम करते हों उनको भी इस काम में न लगाया जाय। जब तक कि यह मेरा संशोधन इसमें जुड़ेगा नहीं तब तक मुझे डर है माननीय शम्भूनाथ जी का जो सुन्दर संशोधन वह अपूर्ण रह जायगा। इसलिये मैं माननीय शम्भूनाथ जी के संशोधन का समर्थन करते हुये उनसे यह निवेदन करूंगा कि वे मेरे इस संशोधन को अवश्य मान लें। तो, श्रीमन्, माननीय शम्भूनाथ जी का जो संशोधन है वह बहुत ही उपयुक्त है और इस संशोधन के मान लेने में माननीय मंत्री जी कोई कतई कोई कठिनाई नहीं प्रतीत होनी चाहिये। इस विधेयक के अन्दर भी यह प्रतिबन्ध है "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी व्यक्ति को जो वृद्धावस्था अथवा किसी भी शारीरिक अक्षमता के कारण सहायता करने में असमर्थ हो अथवा जो उस स्थान से जहां पर उसकी उपस्थिति अपेक्षित हो ५ मील से अधिक दूरी पर रहता हो सहायता करने के लिये आदेश नहीं दिया जायगा। "इसका सीधा सादा मतलब यह है कि जिस स्थान पर कीटाणु से फसल को हानि हो वहां से ५ मील की दूरी के अन्दर रहने वाले व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अब हुक्म देकर काम करने के लिये मजबूर कर सकता है। मगर सरकार की ओर से जो प्रतिबन्ध लगाने की मंशा है वह केवल यह है कि वृद्धावस्था या शारीरिक अक्षमता के कारण जो व्यक्ति असमर्थ रहा हो उससे काम नहीं लिया जायगा। इसका सीधे सादे शब्दों में केवल इतना ही मतलब है। माननीय कृषि मंत्री जी नहीं हैं। उनकी ओर से पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब बोलेंगे। मैं इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि वृद्धावस्था भी एक वेग टर्म है, गोल शब्द है। कितनी अवस्था के बाद सरकार समझेगी कि फलां व्यक्ति वृद्ध है। शारीरिक अक्षमता---आज इस शारीरिक अक्षमता ने तो सारे प्रान्त में एक तहलका मचा रखा है क्योंकि, मैं माननीय कृषि मंत्री जी की सेवा में खासतौर से निवेदन करना चाहता था, इस शारीरिक अक्षमता ने आज कई हजार किसानों को जबर्दस्ती खेतों से बेदखल करा दिया है, उस शारीरिक अक्षमता का अर्थ अब यहां तक लगाया जाने लगा है कि पचास वर्ष के ऊपर आदमी काम करने से असमर्थ है इसलिये उसको खेत से बेदखल कर दिया जाय। कई जगह मैजिस्ट्रेटों ने इस तरह का फैसला दिया भी है। मैंने उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय को लिखा भी। लेकिन अब तक कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गयी है। मैं आपके द्वारा फिर निवेदन करना चाहता हूं, शायद समझ सकने में दिक्कत हो, वह निर्गुण और सगुण का भेद है। ऐब्सट्रेक्ट (भावनागत) की बात करने में दिक्कत तो होती नहीं। मगर जब उस बात में उस शब्द में मतलब पहनाने की बात आती है तो उसमें दिक्कत की अनुभूति होती है। इससे पहले जब कि माननीय रामनारायण जी का संशोधन आया था कि समुचित मजदूरी दी जाय, तो माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि समुचित मजदूरी के क्या मानी? तब दूसरा संशोधन रखा गया, माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य जी के जरिये से कि नियत रकम कर दी जाय, नियत मजदूरी दी जाय। तो नियत मजदूरी के लिये भी आपत्ति आ गयी। अब मैं उनसे जानना चाहूंगा कि वह कौन सी ऐसी बात है जिसको वह वृद्धावस्था में लायेंगे या कौन सी ऐसी शर्त है जिसको शारीरिक अक्षमता में लायेंगे। इन दोनों की सफाई होनी चाहिये, बिना इन दोनों की सफाई हुये एक बड़ा जबर्दस्त तहलका मच सकता है क्योंकि इन दोनों टर्म्स का भाष्य जिला अधिकारी ही करेगा। वहां कौन ऐसा है जो यह कहेगा कि शारीरिक रूप में अक्षम है या इनकी अवस्था वृद्धावस्था है। इसमें एक कंक्रीट चीज जो मैं रखना चाहता हूं वह यह है कि अगर इसको नहीं रखेंगे तो मैं माननीय शम्भूनाथ चतुर्वेदी जी से निहायत अदब के साथ निवेदन करूंगा कि उनका संशोधन व्यापक होते हुये भी निरर्थक हो जायगा और कानून का मनमाने तरीके से दुरुपयोग जिला अधिकारी करायगे और लोगों के ऊपर जुल्म ढायेंगे। उनके संशोधन में "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी व्यक्ति जो वृद्धावस्था, शारीरिक अक्षमता अथवा अन्य उचित कारणवश सहायता देने में असमर्थ हो" इतना तो हमने मान लिया। मगर मैं उनके संशोधन में एक मतलब वाली बात जोड़ना चाहता हूं। वह मतलब क्या है---उस व्यक्ति से काम नहीं लिया जाना चाहिये

सरकारी आदेश के मातहत जो व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह करने के लिये अपने बाल-बच्चों के पालन-पोषण के लिये कहीं मजदूरी करता हो। क्योंकि यदि उस व्यक्ति को सरकारी आदेश के मातहत काम करना हुआ तो अपने बच्चों को क्या खिलायेगा, पालन-पोषण कैसे करेगा ? उसके लिये मजदूरी की कोई व्यवस्था नहीं है। मजदूरी की जो बात माननीय मौर्य जी ने रखी और माननीय रामनारायण जी ने मान भी ली, उसको भी सरकार नहीं मानती। तो ऐसी कौन सी बात होगी कि जिससे कि जहां वह काम करते हों, वहां से मजदूरी लेकर अपने बच्चों का पालन करते हों, अपने बाल बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का इंतजाम करते हों, दवादारू का इंतजाम करते हों, उसके लिये क्या इसमें गुंजाइश है कि जिससे वह छुटकारा पा सकें। इसमें किसी सम्मानित सदस्य को दो राय नहीं रखनी चाहिये कि यदि इसी रूप में यह संशोधन और यह विधेयक जायगा तो वह गरीबों को, जो कहीं काम करते हैं और जो मजदूरी करते हैं अपने भरण-पोषण के लिये, उन्हीं को सरकारी आदेश मिलेगा कि तुम को झख मार कर यह काम करना होगा तो वह बंचित रह जायगे जो वह मजदूरी कर पाते हैं उससे। इस सरकारी आदेश के मातहत उन्हीं को पहले अपने जीवन निर्वाह के साधन से वंचित होना पड़ेगा। इसलिये श्रीमन्, आपके द्वारा इसमें दूसरी बात और रखता हूं, क्योंकि बहुत से लोग और माननीय मंत्री जी और सरकारी पक्ष के लोग यह बात कह सकते हैं कि मजदूरी कितनी ? क्योंकि अगर यह क्लाज और संशोधन रह जाय तो यह भी भाव जगत में विचरण करेगा। किसी की मजदूरी आज ८ आने की है, किसी की ५ रुपये की है, किसी की १० रुपये की है और किसी की १० हजार प्रति दिन की आमदनी है। तो लोग कहेंगे कि आमदनी पर कुछ अंकुश होना चाहिये और इसलिये मैंने इसमें ५ रुपये का अंकुश रख दिया है कि जो पांच रुपये तक प्रति दिन पाता हो उस पर कुछ नहीं होना चाहिये। इससे ज्यादा जो पाता हो, १० रुपया प्रति दिन, २० रुपया प्रति दिन, या ६ हजार रुपया महीना पाने वाले हमारे मंत्रिगण हैं, उन से काम लेना चाहिये, उनके परिवार वालों से काम लेना चाहिये और अगर उनसे काम लिया जायगा तो यह भावना लोगों में फैलेगी कि सरकार जबर्दस्ती मंत्रियों के परिवार से काम ले रही है। इसलिये मैं पुनः माननीय शम्भूनाथ जी चतुर्वेदी से निवेदन करूंगा कि वह हमारे संशोधन को मान जायं और मेरे संशोधन को लेकर अपने संशोधन को पुष्ट कर लें, अपने संशोधन को सार्थक बनायें और अपने संशोधन को सही मानों में जो पीड़ित मानव है उसका उत्थान करने योग्य बनायें।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्तुत विधेयक को देखा और जितने संशोधन इस सदन में प्रस्तुत हुये हैं उन पर भी अच्छी तरह से विचार किया परन्तु मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि न तो विधेयक ही ठीक आर्डर में है और जितने संशोधन पेश हुए हैं वह भी ठीक आर्डर में नहीं हैं। इसलिये मैं दोनों का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं इसलिये नहीं कि मेरी विचारधारा एक अनोखी विचारधारा है और मैं सदन को उस अनोखी विचारधारा से अवगत कराना चाहता हूं। यह कतई मेरा न तो विश्वास है और न मेरा मकसद ही है। मैं पब्लिक गुड के लिये जिस बात को उचित समझता हूं उन विचारों को इस सदन में पेश करता हूं।

मैं बताना चाहता हूं सब से पहले एलीमेंट आफ फोर्स जो जबर्दस्ती का इसके अन्दर है, जिसका एक फिकरा इसके अन्दर रखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अगर किसी को काम करने से इन्कार हो तो उसको जुर्माना कर सकता है, इस प्रकार का कंपल्शन हमारे कांस्टीट्यूशन के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस सदन को इस तरह के विधेयक पर विचार करने का कोई अख्तियार नहीं है। हमारे वह उसूल जो कि हमारी पार्लियामेंट ने अपने देश के नागरिकों के लिये निर्धारित किये हैं और जिन को कांस्टीट्यूशन के अन्दर रखा गया है, मैं समझता हूं कि इस हाउस का उन पर विचार करना अल्ट्रा वायरिस है। कोई अख्तियार हमारे इस सदन को नहीं कि इस धारा के बरखिलाफ एक दूसरी विचारधारा का कानून ६ करोड़ जनता के लिये, इस स्टेट के लिये लागू कर सके, उसको पेश कर सके।

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

दूसरी बात, जो कि मुझे कतई गलत नजर आती है, जबकि जनता में सैकड़ों बीमारियां फैलती हैं और प्लेग, हैजा और दूसरे प्रकोपों से हमारी जनता बुरी तरह से एफेक्टेड हो जाती हो, तो क्या कारण है आप पौधों के लिये, फस्लों के लिये और फल के पौधों के लिये और दूसरी दूसरी चीजों के लिये तो आपके दिल में ज्यादा डर है लेकिन इन्सान का बच्चा जो कि सर्वोपरि है, जो दुनिया का और खूबसूरत बनाने के लिये पैदा हुआ है क्यों आपने पहले इस प्रकार का कानून नहीं बनाया कि जिस इलाके की जनता बीमारी से पीड़ित है उसके निकटवर्ती ५ मील के अन्दर की जनता का जो कोई भी उस बीमारी में जनता की मदद नहीं करेगा उसको जुर्माना किया जायगा हम पौधे पैदा करते हैं इसलिये कि इंसान जिन्दा रहे अपनी आजीविका भली प्रकार से कर सके। इसलिये मैं कहता हूं कि जो आप पौधों के साथ हमदर्दी रखते हैं मैं उनसे कहूंगा कि आप इन्सान के लिये सोचिये, इंसान को बीमारी से सुरक्षित रखने के लिये क्या आपने इस प्रकार की कोई व्यवस्था की है कोई भी कानून का कम्पलशन आपने इंसान को बीमारी से बचाने के लिये पास किया है या कोई पीस आफ लेजिस्लेशन, कोई सदस्य या मंत्रीगण यह बता सकते हैं कि इस तरह का पीस आफ लेजिस्लेशन है कि कम्पलशन करता है आम जनता को।

दूसरी बात है मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमारी स्टेट में जिस प्रकार से और कोई कानून की धारा पास हो जाती है, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस कानून के अन्दर बेइमानी के लिये बड़ी-बड़ी गुंजाइश हो, जिस देश की पुलिस और देश के रक्षक की मोरेलिटी के ऊपर बड़े-बड़े जजमेंट हायर जुडिशियरी के मौजूद हैं जिनको बहुत बुरी तरह से इंडिक्ट किया गया है मैं बताना चाहता हूं कि न्यायाधीशों ने इसके ऊपर गौर किया और बताया कि हमारे देश में पुलिस को व रक्षकों को जो मोरेलिटी है, लो आर्डर की हो वहां इतनी बड़ी पावर उन अफसरों को दे देना यह कतई नाजायज बात होगी और जनता के लिये एक खतरा पैदा कर सकती है। इसमें बहुत से इन्नोसेन्ट और बहुत से लोगों को जिनका कोई कसूर नहीं है फंसाने की गुंजाइश हो, इस प्रकार की धारायें पास कर देना मैं समझता हूं कि नासमझी के सिवा और कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती।

यह कहा जाता है कि इरादा बहुत अच्छा है। मैं भी कबूल करता हूं लेकिन कानून की अदालत में आपके इरादे की बुनियाद पर उस जुर्म को नहीं कसा जायगा वह कसा जायगा उस कानून पर जो पास किया जाता है।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। इस वक्त जो संशोधन पेश है मैं जानना चाहता हूं कि उस पर बात हो रही है या पूरे ऐक्ट का जनरल डिस्कशन हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य संशोधन पर ही बोलें।

श्री चन्द्र सिंह रावत—अगर कोई माननीय सदस्य मेरे मतलब को और मेरी बात को न समझें इसका मुझे बड़ा अफसोस है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बता देना चाहता हूं कि कानून की कसौटी पर जब जुर्म को कसा जाता है तो उसके एक २ लब्ज पर एक २ कामों पर जुर्म को साबित किया जाता है, या जुर्म को खत्म किया जाता है इसलिये हमारा जो गुड इंटेशन है वह गुड इंटेशन हमारा पैमाना इंसाफ का अदालत में नहीं हो सकता है। जिस अदालत में सैकड़ों बेगुनाह व्यक्तियों को घसीट कर ट्रायल किया जायगा। इसलिये मैं समझता हूं जो आपकी गुड इंटेशन है अगर उसको साबित करना है तो यह देखना है कि जिस धारा को पास करने के लिये सदन में रखा है आया उस धारा के अन्दर कोई ऐसी कमी तो नहीं है, संशोधन तो नहीं है जिससे कि बेगुनाह आदमी को फंसाने का बहाना मिल सके। तो मैं कहूंगा कि जो गुड इंटेशन है हमारे कानून के बनाने वालों का उसके कतई यह कदम प्रतिकूल है और मैं समझता हूं कि इसमें कोई अक्लमंदी नहीं है। दूसरे जबकि कानून बनाया जाता है, उसका सबसे बड़ा उसूल यह है कि उस कानून से अगर समाज को राहत पहुंचती है तो उस राहत की कीमत क्या है और उस कानून

हो आड़ में जो गुनाह किये जा सकते हैं, जो जुर्म किये जाते हैं, उन जुर्मों की कितनी कीमत है, कितनी हद तक जनता को हानि पहुंचायी जा सकती है, इसको भी देखा जाय। अगर राहत की कीमत छोटी है और गुनाह और जुर्मों की कीमत जो कि इस कानून की आड़ में हो सकते हैं, अगर उसकी कीमत बहुत बड़ी है तो इस प्रकार का कानून हमेशा लेजिस्लेचर के सामने कंडम किया जाना चाहिये। अगर कानून पास ही हो गया तो भी आज इस सदन को यह अधिकार है कि पास होने पर भी उसको कंडेम किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष——मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि वह संशोधन का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं?

श्री चन्द्र सिंह रावत——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही, अपने भाषण के प्रारम्भ में ही कह दिया था कि मैं संशोधन का भी विरोध कर रहा हूं और जो असली धारा है उसका भी विरोध करता हूं इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, कोई खामी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिये। अगर किसी के दिमाग में कोई खामी हो तो वह नहीं होनी चाहिये। आज यह सदन छः करोड़ जनता का भाग्य विधाता है, छः करोड़ की रक्षा के लिये उसके हितों की रक्षा के लिये हम यहां पर बैठे हैं और हमें उस जनता के भाग्य का फैसला करना है जिसने कि अपना मत प्रदान करके हम लोगों को इस सदन में भेजा है।

श्री व्रज भूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)——उपाध्यक्ष महोदय, क्या ऐसा कोई भाषण इस सदन में हो सकता है जो न इधर का हो और न उधर का हो?

श्री चन्द्र सिंह रावत——मैं पहले ही कह चुका हूं कि समझ के फेर के लिये मैं क्षमा चाहता हूं अलग-अलग बुद्धि के लोगों की अलग-अलग समझ हुआ करती है। अगर उसके लिये कोई मुझे फांसी करना चाहता है तो मुझे कबूल है। मैं इन्कार नहीं करता। परन्तु मैं चाहता हूं कि जो कोई भी काम होता है वह परदे के पीछे न हो, प्रकाश के नीचे हो। आंखें खोलकर हो। हर चीज अपनी आंख के सामने रखकर तब हम लोगों को अपना फैसला देना है। इसलिये मैं बड़े अदब के साथ दरख्वास्त करूंगा कि माननीय मंत्री से जिन्होंने इस अधिनियम को पेश किया है और उन साथियों से, उन माननीय सदस्यों से जिन्होंने कि बिला सोचे समझे अमेंडमेंट्स इस सदन में पेश कर दिये हैं, उन अमेंडमेंट्स के नतायज को ऐनालाइज करके नहीं देखा कि अगर वह अमेंडमेंट्स पास हो जाते हैं तो उससे जनहित की रक्षा होगी या उसकी आड़ में ऐसे काम हो सकते हैं जिनसे कि बेगुनाह जनता को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। कानून मैं आपको बताना चाहता हूं हमेशा भले आदमियों के लिये नहीं बनाया जाता है, यह तो बेईमानी और बदमाश जो कि एंटी सोशल एलीमेंट्स होते हैं उन्हीं के लिये कोई कानून हर सरकार बनाती है। जब हम कानून पास करते हैं हमें उन भले आदमियों को अपने दिमाग के सामने नहीं रखना है। हमें समाज के उस बुरे एलीमेंट को, जो समाज का हनन करते हैं, उसकी मति देखकर, उसके माइंड के ट्रेंड को देखकर उसकी बैड हैबिट्स को और उसका जो दुश्चरित्र है उसको देखते हुये ही हमको कानून की धारायें यहां पास करनी हैं। इसलिये मैं निहायत अदब के साथ दरख्वास्त करूंगा कि उन माननीय सदस्यों से जिन्होंने बे समझे-बूझे अपने अमेंडमेंट्स को पेश किया, वह अपने अमेंडमेंट्स को वापस लें और माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि फिर इसके ऊपर गौर करके इसे रखें। अगर कोई कानून की धारा हम पास कर देते हैं और उससे हजारों लाखों को नुकसान पहुंचता है तो उनके कानून की क्या इज्जत रह जायगी और वह आपको क्या कहेंगे क्या आप मुंह दिखाने के काबिल जनता के सामने रहेंगे। मैं समझता हूं कि यह कोई बुद्धिमानी का काम नहीं होगा। आपको जनता के हितों को ही केवल अपने मद्देनजर रखते हुए कानून की धाराओं को ठीक प्रकार से रखने की जरूरत है। इसलिये इसमें कोई भी भाई अगर बिला सोचे समझे अमेंडमेंट्स पेश करते हैं। उसकी गुडनेस और बैडनेस को देखे बगैर अमेंडमेंट्स पेश करते हैं। तो मैं उसका विरोध करता हूं और इसके लिये अगर वह मुझे दोषी समझते हैं तो मैं उसके लिये तैयार हूं। अगर कोई

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

भी वह सजा मेरे लिये देना चाहें, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों के सामने कहता हूं कि मैं उस सजा के लिये तैयार हूं। लेकिन यदि मैं जनहित की बात माननीय सदन के सामने नहीं रखता तो मैं गुनहगार अपने को समझूंगा और अपने को एक प्रोग्रेसिव आदमी न समझकर जनहित का हनन करने वालों की लिस्ट में अपने को समझूंगा। इसी नुक्ते नजर से और उसी सद्भावना से मैं अपने सारे माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करता हूं कि इस धारा को कतई इस हालत में न लायें, जिसको कि ठीक तरह से ऐनेलाइज भी नहीं किया गया। यह हमारे दिमाग के ऊपर एक रिफलेक्शन होगा कि जिस कार्य को करने के लिये यह सदन अयोग्य है उस तरह के कानून यहां लाये जाते हैं। जिन सिद्धांतों का हमारी सर्वोपरि पार्लियामेंट ने सम्पादन करके कांस्टीट्यूशन में यह गारण्टी रखी है कि हम हर एक सिटीजन की फ्रीडम और सिटिजनशिप में किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचायेंगे हमें उस कांस्टीट्यूशन की रक्षा करनी है, यह हमारा परम धर्म और कर्त्तव्य है। अगर हम उसकी धाराओं का हनन करते हैं तो हम राष्ट्र के ट्रेटर्स हैं और अपने राष्ट्र के शुभचिंतक न कहे जाकर, द्रोही कहे जा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य को फिर याद दिलाना चाहता हूं कि वह संशोधन के विषय पर नहीं कह रहे हैं, विषयांतर कर रहे हैं।

श्री चन्द्र सिंह रावत--मैं आपसे अर्ज करता हूं कि मेरी यह मांग है कि संशोधन वापस हो और मंत्री महोदय उस धारा को वापस करें और उसको फिर से माइल्ड करने की जरूरत है।

श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधित संशोधन इस वक्त इस सदन के सामने प्रस्तुत है, मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। मैंने भी एक संशोधन दिया था। वह भी बिलकुल इसी रूप का था जैसा कि अब यह संशोधित संशोधन रखा गया है। इस वक्त जो हमारे सामने खंड है उसमें केवल एक ही अक्षमता दी गयी है कि जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को माफ कर सकता है। वह है शारीरिक अक्षमता, चाहे वह वृद्धावस्था की हो या लंगड़ा-लूला या कोई और अक्षमता हो। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कोई ऐसी पावर नहीं, ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है कि वह किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हुआ करती हैं जिसमें कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता मान लो, उसके घर में बीमारी है, कोई घर में ऐसा निकट सम्बन्धी बीमार है, जिसकी उसको सेवा शुश्रुषा करनी है। तो ऐसी परिस्थिति में जो यह विधेयक आया है उसमें जिला मैजिस्ट्रेट को मौका नहीं दिया गया है कि उसको छुट्टी दे दें। ऐसे ही विवाह है, उसमें उसको जाना है या मौत में जाना है या और भी बहुत से आवश्यक काम हैं कि जिनकी वजह से एक मनुष्य को जाना पड़ता है। उनको छुट्टी देने के लिये, जुर्माने से बचाने के लिये कोई भी अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आदेश देने के बाद काम पर नहीं जाता है तो जिला मैजिस्ट्रेट उस पर जुर्माना कर देगा। यह तो हो सकता है कि एक रुपया जुर्माना करे या ५० तक करे मगर उसको कोई भी अधिकार नहीं है कि वह उसको छुट्टी दे दे या जुर्माना से माफ कर दे। सिर्फ एक ही अधिकार है कि वृद्धावस्था में माफ कर सकता है या उसकी शारीरिक अयोग्यता में। इसलिये यह बिलकुल जरूरी है कि इसमें ये शब्द होने चाहिये कि "किसी और विशेष कारण से"। किसी कारणवश, कोई अन्य कारण भी हो जो इतना ही आवश्यक हो तो उसमें भी जिला मैजिस्ट्रेट को अधिकार हो और ऐसे समय में जो शासकीय जुर्माना किया जाने वाला हो उससे उसको मुक्त किया जाय।

इसलिये जो संशोधन संशोधित रूप में आया या यों कहिये कि जो मैंने रखा था जिसका कि यही रूप है, मैं उसका जोरदार समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह बिलकुल आवश्यक है। इसको वह स्वीकार कर लें। इससे जिला मैजिस्ट्रेट की कोई शक्ति या अधिकार कम नहीं होता है बल्कि एक अधिकार उसको मिलता है जो उसके लिये बिलकुल

जरूरी है और न्याय के लिये भी बिल्कुल आवश्यक है कि उसको यह अधिकार होना चाहिये कि ऐसी विशेष अवस्था में जब कि वह काम के लिये बिलकुल मजबूर हो उसे छोड़ सके। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री शिवनारायण--आन एप्वाइंट आफ आर्डर। मैं आपका ध्यान विधान के इस अनुच्छेद की तरफ दिलाना चाहता हूं :--

"Nothing in the article shall prevent the State from imposing compulsory service for public purpose and in imposing such service the State shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class or any of them."

तो "Free compulsory service" इसमें यहीं है और यह कानून जो बन रहा है वह free compulsory service के लिये बन रहा है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह कानून अनुचित है इस अनुच्छेद के अनुसार। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और आपकी रूलिंग चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं इसके लिये अभी कोई रूलिंग देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री शिवनारायण--उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मेरा अधिकार है। मैंने एक व्यवस्था आपके सामने रखी। अब मैं चेयर की रूलिंग अवश्य चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--क्लाज तो बिलकुल स्पष्ट है। मैं समझता हूं कि इसके अन्दर यह छूट आ सकती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, माननीय शम्भूनाथ चतुर्वेदी जी का संशोधन इतना स्पष्ट, तर्कसंगत और युक्ति संगत है कि मेरे विचार से सरकार को उसे स्वीकार करने में बिलकुल भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--बिलकुल नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--तो आप कह दें कि आपत्ति नहीं है।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा था कि अगर माननीय सदस्य लोग मौका दें तो मैं यह कहूं कि अभी जो माननीय चतुर्वेदी जी ने संशोधन पेश किया है उसको मैं स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--संशोधन पर जो संशोधन हुआ है उसके बारे में क्या है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--चतुर्वेदी जी ने जो संशोधन पेश किया है वह मैं मानता हूं। माननीय राज नारायण जी ने जो किया है वह नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं संशोधन के उपस्थित करने वाले महानुभाव से पूछना चाहता हूं कि संशोधन पर जो संशोधन आया है उसको स्वीकार करते हैं या नहीं ?

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी--आपने मंत्री जी से तो पूछ लिया, अब मैं क्या कहूं।

श्री उपाध्यक्ष--आप केवल यह बतलाइये कि आप उसे मंजूर करते हैं या नहीं ? कारण आप अपने उत्तर में बता सकते हैं। उत्तर देने के लिये तो आपको अवसर मिलेगा ही।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी--कारण बताने का भी तो मुझे अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष—वह तो जब आप उत्तर देंगे तब आप कह सकेंगे। आपको तो अभी भाषण देने का पूरा मौका मिलेगा।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय नारायण दत्त तिवारी, आप कुछ कहना चाहते थे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अब तो मंत्री जी ने मान ही लिया इसलिये मुझे कुछ कहना नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजनारायण जी का ऋणी हूं कि उन्होंने मुझे इस ओर संकेत किया कि इसमें जो त्रुटि है उसकी पूर्ति की जाय। किन्तु मैंने उस पर विचार किया और जैसा कि अपने प्रथम भाषण में कहा था कि यदि यह संशोधन यहीं तक सीमित रह जाता है तो इसके मातहत ऐसे नियम बन सकते हैं कि जिनसे जो उनकी इच्छा है वह भी पूर्ण हो सकेगी और चूंकि वे नियम सदन के सामने फिर आयेंगे तो उनमें जो कुछ भी त्रुटि हो उसकी पूर्ति हो सकती है। लेकिन उन्होंने जो ५ रुपये की बात कही कि जिस व्यक्ति की आमदनी प्रति दिन ५ रुपये हो उसको सहायता देने के लिये बाध्य न किया जाय। मैं समझता हूं कि मैं भावना के जगत में था तो वह कल्पना के जगत में हैं, क्योंकि जिस अभागे देश के निवासियों की २५० रुपये प्रति साल से कम आमदनी हो तो ५ रुपये प्रति दिन कमाने वाले गांव में कितने आदमी मिलेंगे और जिन गांवों में २०० रुपये सालाना आमदनी औसत न पड़ती हो वहां ५ रुपये प्रति दिन कमाने वाले कितने आदमी होंगे। इसका तात्पर्य तो यह होगा कि किसी भी आदमी से नहीं कहा जा सकता है। इसलिये मैं मजबूर हूं कि उनके संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि यह वास्तविकता से बहुत दूर है और मैं समझता हूं कि जो उनका उद्देश्य है वह म संशोधन के स्वीकृत होने और उसके अन्तर्गत बने हुये नियमों के द्वारा पूर्ण हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी के संशोधन में ये शब्द जोड़ दिये जायं—

"किन्तु जो दूसरी जगह काम करके जीविकोपार्जन करता हो और ५ रुपये प्रति दिन से अधिक मजदूरी न पाता हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—अब प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (ख) के प्रतिबन्ध के प्रथम वाक्य को निम्नलिखित रूप में परिवर्तित कर दिया जाय :—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी व्यक्ति को जो वृद्धावस्था, शारीरिक अक्षमता अथवा अन्य उचित कारणवश सहायता देने में असमर्थ हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामेश्वर लाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि :—

खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (ख) के प्रतिबन्ध की पंक्ति ५ में शब्द "रहता हो" के बाद का "कामा" हटा दिया जाय और उसके बाद तथा शब्द "सहायता" के बीच में शब्द "अथवा उसको जीविका चलाने भर की मजदूरी न दी जाय" रख दिये जायं।

श्रीमन्, श्री नारायण दत्त जी ने इस सदन के सम्मुख इसी खंड से संबंधित

अपना संशोधन उपस्थित किया था और उसमें उन्होंने चाहा था कि उचित पारिश्रमिक देकर काम कराया जाय। मेरा संशोधन है कि अथवा जिसको जीविका चलाने भर की मजदूरी न दी जाय उससे काम न लिया जाय।

श्रीमन्, बहस के दौरान में मंत्री जी ने इसी धारा के संबंध में अपना भाषण देते हुए श्रमदान की भी चर्चा की और आपने यह बतलाया और चैलेंज भी दिया कि प्रांत के किसी स्थान में श्री राजनारायण साबित कर सकें कि श्रमदान कहीं भी जबर्दस्ती हुआ तो वह मानने के लिये तैयार हैं। उनका चैलेंज है कि कहीं नहीं हुआ इसका उत्तर माननीय राजनारायण जी ने बहुत अच्छी तरह से दिया है। लेकिन श्रीमन्, मुझे भी इसके सम्बन्ध में यह कहना है कि जिलाधिकारियों के अलावा श्रमदान जनता तभी देती है जब वह ऊपर से दबाव महसूस करती है। हमको भी गांव में रहने का मौका मिला है और हमने देखा कि २६ जनवरी के अवसर पर और बहुत से अवसरों पर जब कि श्रमदान के लिये देहात की जनता को ग्रामसभा की ओर से बुलाया जाता है तो जब तक ग्राम सभा के इन्सपेक्टर या वहां के क्षेत्र के एम० एल० ए० वहां पर उपस्थित न हों तब तक जनता वहां पर उपस्थित नहीं होती है। मुझे भूदान के विषय में भी सुनने का मौका मिला है। जिस समय राघवदास जी वहां पर आये हुये थे तो उस समय मैंने वहां के तहसीलदार को यह कहते सुना है कि यदि फलां जगह से कम भूमि मिली तो मैं समझता हूं कि वहां के पटवारी को कुछ दिनों के लिये मुअत्तल करूंगा। यह मेरे सामने की बात है। श्री रामसुन्दर पांडेय एम० एल० ए० भी वहां पर मौजूद थे उनसे भी मैंने इस बात को कहा था। इसी तरह से श्रमदान के बारे में भी मुझे मालूम है। श्रमदान विद्यार्थी करते हैं। इन्टरमीडियेट कालेज के विद्यार्थी अपने गुरुओं को खुश करने के लिये और कुछ काम कुछ साहस दिखाने के लिये, वहां जो सड़कें वगैरा बनाते हैं, उसके लिये वह करते हैं लेकिन वह सड़क बरसात के दिनों में गायब हो जाती है। यदि गांव की जनता श्रमदान करती है तो वह इसलिये करती है कि पटवारी, सेक्रेटरी और वहां के एम० एल० ए० का उनके ऊपर जोर पड़ता है। श्रमदान मैंने अपने जिले में भी कलेक्टरी और कचहरी के अहलकारों को करते देखा है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे बहुत से माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित हैं जिन्होंने उस चीज को देखा है कि यदि वहां पर नेता लोग न रहें या अधिकारी वहां पर न रहे तो क्या यह श्रमदान का कार्य चल सकता है? अगर इनमें से कोई न रहे तो फिर यह देखने को मिलना मुश्किल है।

इस विधेयक में जो हमारा संशोधन है वह केवल इसलिये है कि एक आदमी जो गरीब है, हमारी सरकार भी इस बात को मानने के लिये तैयार है कि देहात की जनता के पास जहां पर कि अनुपात में खेती का साधन कम है और जहां पर खेती की होल्डिंग लोगों के पास कम है या जो बिलकुल मजदूरी पर अपना पेट भरते हैं यदि उन लोगों को कुछ दिनों के लिये काम पर लगाया जाय तो उनको काम पर लगाने के बाद कुछ पारिश्रमिक पेट भर खाने के लिये दिया जाय या उस के लिये खाने का कुछ प्रबन्ध किया जाय। यदि उनको खाने के लिये न दिया जाय तो उनको काम पर न लगाया जाय। जिस समय देवरिया में टेस्ट वर्क चल रहा था तो वहां के लोगों की जीविका के लिये ६ आना और ७ आना प्रति दिन उनको दिया जाता था। वह इसलिये दिया जाता था कि वह अपनी जीविका चला सकें और शाम को वह जाकर आराम से सो जाय और अगले दिन काम पर आ जाय। इसीलिये हमने भी इस संशोधन को रखा है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी के लिये भी यह आवश्यक और अनिवार्य है कि वह इस संशोधन को मानें। यदि वह यह समझते हैं कि प्रान्त के अन्दर इस तरह का कोई भी आदमी नहीं है जो कि काम पर आने के बाद अपने खाने का इन्तजाम न कर सके तो सरकार का फर्ज है कि वह उनके लिये खाने का इंतजाम करे।

[श्री रामेश्वर लाल]

सरकार स्वयं जानती है कि लाखों इस तरह के लोग हैं जो रोजी और रोटी के अभाव में भीख मांगते फिरते हैं और न मालूम दूसरे क्या क्या काम करते हैं। जब वह इन गरीब आदमियों को अपने यहां काम पर लगाये तो सरकार के लिये यह आवश्यक है कि पेट भर खाने के लिये प्रबन्ध करे और तभी उनसे काम लेने की बात करे। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में एक संशोधन के सम्बन्ध में यह कहा था कि नियमों में कुछ ऐसा प्रबन्ध कर देंगे, जिससे कुछ पारिश्रमिक उनको खाने के लिये मिल जाय, लेकिन जब उनसे प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने इन्कार कर दिया। इसको जानकर मुझे आश्चर्य हुआ। जिस चीज को वह एक बार स्वीकार करते हैं तो बाद में उसी के लिये कह देते हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा। हमने देखा है कि गांवों में अधिकारी लोग जबरन काम लेते हैं और लोगों की इच्छा के विरुद्ध वह काम करते हैं जो सरकारी अधिकारी गांवों में काम करते हैं उनको हमने देखा कि वह कानून के दायरे से बाहर जाकर भी काम करते हैं और दूसरे लोगों को भी उस पर काम कराने के लिये आमादा कराते हैं इसलिये थोड़ी सी दिक्कत पैदा होती है। सरकार इस कानून को बनाकर ग़रीब किसानों और खेतिहर मजदूरों की खाने-पीने की व्यवस्था न करके उनको बरबाद करना चाहती है अगर हमारे संशोधन को नहीं मानती है। आज गांवों में ज़मींदारी अबोलीशन के बाद सरकार को जानना चाहिए क्या हो रहा है। हमारे राजा साहब, अवधेश प्रताप जी अभी बोले थे और अभी शम्भूनाथ जी का संशोधन मान लिया गया, जिसका मैं विरोध करना चाहता था। उसमें कहा गया है कि उचित कारण बतला कर सहायता देने में असमर्थ हो। तो ये राजा लोग और नेता लोग उचित कारण दिखला सकेंगे, मगर गरीब तो कभी चैलेंज करने को नहीं जायगा। मगर ये राजा लोग और नेता लोग जायेंगे और अपने को इस कानून के बन्धन से मुक्त कर लेंगे। ग़रीब किसान पीसा जायगा। पुलिस और पटवारी राजाओं और नेताओं के हाथ में खेलेंगे और हजारों किसानों का इस कानून से शोषण होगा। इसलिये मैं इसका सख्त विरोध करते हुए इस प्रस्ताव को सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि सम्मानित सदन यहां के गरीब लोगों के साथ इंसाफ करेगा। मैं आज चाहता हूं कि कम से कम इस संशोधन को मैंने रखा है यह सदन मान ले और किसानों को राहत दिलाने में एक नई कड़ी जोड़े।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मुझे इस बात की आशंका है कि श्री शम्भूनाथ जी चतुर्वेदी के संशोधन में जो संशोधन हमने प्रस्तुत किया था उस संशोधन को दूसरे शब्दों में माननीय रामेश्वर लाल जी ने रखा। श्री चतुर्वेदी जी ने इस देश की पर कैपिटा इनकम २५५ और २६० रुपये साल का हवाला देकर हमारे संशोधन का विरोध किया और उनके तर्क से सरकार भी सहमत थी। यदि सरकार सहमत न होती तो वह हमारे संशोधन को मान लिये होती। यदि माननीय शम्भूनाथ जी चतुर्वेदी और उनके विचार के दूसरे भाई लोग सही रूप में ५ रुपये मजदूरी फी व्यक्ति अपने देश में ज्यादा समझते हैं तो उनके इस तर्क को मानते हुये मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय रामेश्वर लाल जी के संशोधन से वे अपने को अलग न रखेंगे, क्योंकि रामेश्वर लाल जी ने जीविका चलाने भर की मजदूरी रखी है। मैं माननीय रामेश्वर लाल जी से निवेदन करूंगा आइन्दा के लिये कि अब हम लोग व्यापक शब्दावली में न फंसा करें क्योंकि आज अपने मुल्क में ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि कांग्रेस ने सोशलिस्ट पैटर्न का नारा दिया तो वह भी एक रूप से समाजवाद चाहती है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी भी मौखिक रूप से समाजवाद चाहती है। हम देखते हैं कि प्रति दिन अहिंसा की बातें करते हुये सरकार निहत्थों पर गोलियां चलाती है। जो सरकार माहत्मा गांधी की कुटीर उद्योग की नीति को छोड़कर अमरीका से बड़ी बड़ी मशीनरी लाकर उनको चलाना चाहती है तो उसके लिये कैसे कहा जा सकता है कि वह सही विकेन्द्रीयकरण का काम कर रही है? जीविकोपार्जन शब्द थोड़ा सा भ्रम पैदा करता है। मैं चाहता हूं कि इस धारा में कोई जिन्दगी हो, इसमें

जिन्दगी डालनी चाहिये। मैं माननीय रामेश्वरलाल जी के संशोधन की ताईद करता हूं और उनसे निवेदन करूंगा और माननीय शम्भूनाथ चतुर्वेदी जी से भी निवेदन करूंगा कि जीविकोपार्जन की मजदूरी क्या हो, इसको भी कहीं संकेत कर दिया जाना चाहिये। हमने तो ५ रुपये इसलिये रखा था कि आज रिक्षा चलाने वाला भी ५ रुपये प्रति दिन पैदा कर लेता है। जिस मुल्क का प्रधान मंत्री यह कहता हो कि ज्यादा और बड़ा काम करो उस मुल्क में रिक्षा चलाने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। कोई मंत्री यदि २ घंटे भी रिक्षा चला कर देखे तो मालूम हो सकता है कि कितना परिश्रम पड़ता है। अगर इस सदन के माननीय सदस्य ५ रुपये से घटाकर ३ रुपया या २ रुपया या १ रुपया ही करना चाहते हैं तो मुझे कोई विशेष एतराज नहीं है। मैं तो रामेश्वर लाल जी से निवेदन करूंगा कि जीविकोपार्जन का मूर्तिमान स्वरूप रख दें। १ रुपया भी रख दें तो २ मील के अन्तर पर रहने वाली जनता कुछ इससे बच सकती है। यदि श्री राम नरेश शुक्ल के जीविकोपार्जन की मजदूरी मिले तो वह १० रुपये प्रति दिन पाते हैं। माननीय मंत्री जी की मजदूरी कम से कम २०० रुपये प्रति दिन की होगी। अगर इसी तरह के दूसरे लोगों की मजदूरी देखी जाय तो किसी की हजार और किसी की २ हजार रुपया हो सकती है।

(इस समय ४ बज कर १८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

अगर ३ वर्ष तक इस विधान सभा के सदस्य की हैसियत से काम करते रह कर हमने कांक्रीट रूप में अपना संशोधन रखना नहीं सीखा तो हमें समझना चाहिये कि हम अभी भी भ्रमजाल में भ्रमण कर रहे हैं। मैं इसलिये चाहूंगा कि जीविकोपार्जन का मूर्तिमान स्वरूप यहां पर रक्खा जाय। जो कुछ हो वह सही मानों में रक्खा जाय तभी जीविकोपार्जन वाली बात ठीक हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुपस्थिति में मैं यह निवेदन कर रहा था कि बहुत दिन हो चुके जब कि हम व्यापक शब्दों का प्रयोग करते चले आ रहे हैं, इस सदन में केवल लच्छेदार भाषा की प्रतिष्ठा करते चले आ रहे हैं, लेकिन केवल व्यापक और लच्छेदार भाषा का प्रयोग करने से कभी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आज तो भावमय जगत में सब लोग एक समान मालूम होते हैं। आज तो क्या कांग्रेस पार्टी, क्या कम्युनिस्ट पार्टी और क्या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी सब समाजवाद की दुहाई दे रही हैं। तो जब आज इस प्रकार सोशलिज्म की दुहाई देने की बेला है, ऐसे समय में सोशलिस्ट पार्टी के प्लेटफार्म से हमारा कथन है कि वह अपने कथन में प्राण डाले, जीवन डाले, सार डाले और निष्प्राण और निर्जीव भाषा के प्रयोग को वह साकार रूप में रखे, तभी जाकर जनता ऊपर उठ सकती है, उसका कल्याण हो सकता है। इसलिये मैं माननीय रामेश्वर लाल जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और उसमें पुनः एक छोटा-सा संशोधन रखना चाहता हूं।

"अथवा जिसकी जीविका चलाने भर अथवा २ रुपया प्रति दिन की मजदूरी न दी जाय"

रख दिया जाय। जब कि हमारा संशोधन ५ रुपये प्रति दिन का गिर गया है। हमने यह २ रुपया प्रति दिन का संशोधन रखा है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी और माननीय रामेश्वर लाल जी, जिन्होंने यह संशोधन पेश किया है वे उसको इस प्रकार रख दें--"अथवा जिसकी जीविका चलाने भर की मजदूरी अथवा २ रुपया प्रति दिन न दी जाय।" अगर यह २ रुपया तथ्य रूप में, मूर्तिमान रूप में, साकार रूप में जोड़ दिया गया तब तो वह ठीक और निश्चित हो जायगा वरना सरकारी कर्मचारियों के हाथ में उसका निर्धारण भी आ जायगा और उस अधिकार का सरकारी कर्मचारीगण मनमाने तरीक़े से उसका उपयोग करेंगे। इसलिये मैं अपने इस संशोधन को माननीय रामेश्वर लाल जी के संशोधन पर रखकर इस सदन के सम्मानित सदस्यों और माननीय रामेश्वर लाल जी से निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार करके वस्तुस्थिति को परखें और साकार रूप में, तथ्य रूप में, मूर्तिमान रूप में अपनी भावनाओं को प्रकट करें।

श्री राम सुन्दर पांडेय—माननीय अध्यक्ष महोदय, साथी रामेश्वर लाल जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह संशोधन यदि मान लिया जाय तो इस प्रकार हो जायगा—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी व्यक्ति को, जो वृद्धावस्था अथवा किसी भी शारीरिक अक्षमता के कारण सहायता करने में असमर्थ हो अथवा जो उस स्थान, जहां पर उसकी उपस्थिति अपेक्षित हो ५ मील से अधिक दूरी पर रहता हो अथवा जिसकी जीविका चलाने भर की मजदूरी न दी जाय, सहायता करने के लिये आदेश नहीं दिया जायगा।"

अध्यक्ष महोदय, इसके यह मानी हो जाते हैं कि इस तरह के व्यक्ति काम में नहीं लगाये जा सकते। जो वृद्ध हों, शारीरिक क्षमता के न हों, काम न कर सकते हों या जो ५ मील से दूर रहते हों या जिनकी जीविका मजदूरी करना हो ऐसे आदमियों को काम पर नहीं लगाया जा सकता। इससे साबित होता है कि जिन लोगों की जीविका मजदूरी है, ऐसे व्यक्तियों को मजदूरी देकर ही काम पर लगाया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी यह कहते हैं कि कोई अपने मन से काम नहीं करता है तो उसे मजबूर करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। जो इसके उद्देश्य और कारण दिये गये हैं उससे स्पष्ट हो गया है कि यह बहुत कोशिश की गयी कि लोग समझाने बुझाने से काम करें, लेकिन जब कामयाबी हासिल नहीं हुई तो यह विधेयक लाया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ताजीरात हिन्द की एक दफा ३७४ है जिसमें यह बतलाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति काम करना नहीं चाहता है तो मजदूरी देकर भी उसकी मर्जी के खिलाफ काम नहीं लिया जा सकता है और जहां तक मुझे याद है कि इस दफा के मातहत लोगों को सेशन कोर्ट से सात सात साल तक की सजा हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह दफा अब भी लागू है और इसमें साफ मालूम होता है कि इस अधिनियम के मातहत जो लोग न भी काम करना चाहें उनसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट काम करा सकता है। उधर ताजीरात हिन्द की दफा ३७४ में यह लिखित है कि किसी की मर्जी के खिलाफ काम नहीं लिया जा सकता है और इधर हुक्म देते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट काम ले सकता है। इसमें दिया हुआ है कि ऐसे लोग जो वृद्ध हैं, अक्षम हैं उनसे काम नहीं लिया जायगा। मैं इसको गलत मानता हूं इसलिए गलत मानता हूं कि आप जो सदन में बैठ कर कानून बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने अधीन काम करने वालों को आदेश देता है, वह परगना हाकिम या तहसीलदार को आदेश देता है, लेकिन वे लोग कानून के मुताबिक या आप के मंशा के मुताबिक तो काम करते नहीं। वे तो अपने मन के अनुकूल कानून का मतलब लगाकर काम करेंगे। मेरा विश्वास एवं अनुभव है कि इस प्रदेश के अन्दर हम लोगों के रहते जितने कायदे-कानून बने हैं, उनमें मैं २०, २५ उदाहरण दे सकता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों और मैजिस्ट्रेटों ने उन कानूनों का उल्लंघन किया है और यह सरकार उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकी है और न कर सकती है, क्योंकि इतनी ताक़त ही उसके पास नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि पूर्वी जिलों में जैसे आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, देवरिया में जहां तक मेरी जानकारी है ३३ प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं जिनकी जिन्दगी केवल इस बात पर मुनहसर है कि वे खेतों में काम करें और अन्य स्थानों पर जाकर मजदूरी करें तब अपनी जीविका चला सकते हैं और मजदूरी न करें तो भूखों मरें। ऐसे लोगों के लिये ही यह कानून बना है कि जो फार्म्स पर काम करने वाले मजदूर हैं उनको कम से एक रुपया मजदूरी दी जाय। जब मजदूरों के लिये कानून बना हुआ है कि खेतिहर मजदूरों को कम से कम एक रुपया मजदूरी दी जाय तो फिर यह क्या बात है कि ऐसे मजदूर जिनकी जिन्दगी केवल मजदूरी पर निर्भर है ऐसे मजदूरों से जबरदस्ती काम लें और ऐसे लोगों के हाथ में अधिकार सुपुर्द करें जो आपकी मर्जी के खिलाफ करें, आपकी मंशा के खिलाफ काम करें। अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों की वजह से बड़ी कठिनाई होगी। इन शब्दों में मैं श्री राज नारायण जी का समर्थन करता हूं कि श्रमदान तो अपने मन से करने की चीज है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, परगना हाकिम आदि अफसर आदेश देंगे

और गरीब व्यक्ति डर से काम करेगा और पैसे वाले तथा सफेद पोशों से श्रमदान का काम नहीं करायेगा, बल्कि वह तो गरीब आदमियों से काम करावेगा और वे बेचारे डर के मारे करेंगे भी। इसी प्रदेश में जहां टेस्ट वर्क पर मजदूरों को ५ आने, ४ आने, साढ़े तीन आने और ३ आने मजदूरी देकर काम लिया जाता है वहां सुबह ८ बजे से शाम के ५ बजे तक बिना कुछ मजदूरी दिये हुये श्रमदान का काम लिया जाय तो यह बहुत खराब बात होगी। यह सरकार के लिये भी खराब बात होगी। मैं सरकार को बतला देना चाहता हूं कि ऐसे कानूनों का ही जनता उल्लंघन करती है और महात्मा गांधी जी ने हम लोगों को भी यह सिखाया है कि ऐसा कानून जो जनता की इच्छा के खिलाफ बनाया जाय उसका उल्लंघन होना चाहिये। इसी प्रदेश में स्पेशल पावर्स ऐक्ट का हम लोगों ने विरोध किया और आखिरकार हाई-कोर्ट द्वारा वह कानून खत्म कर दिया गया। तो मैं यह आपसे कहना चाहता हूं कि आप ऐसा कानून न बनावें, जिससे जनता को मजबूर होना पड़े उस कानून का उल्लंघन करने के लिये, मजबूर होकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को भी ऐसे कानून की मुखालिफत करने के लिये जनता का साथ देना पड़े।

मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को जनता की इच्छा के अनुसार कानून बनाना चाहिये, जनता आपके बनाये हुए कानून का समर्थन करे और जनता जिस कानून का विरोध करे वह कानून यहां न बनना चाहिये। आपके यहां पावर में आने के बाद बहुत से कानून ऐसे बने हैं कि जिनका जनता ने अनादर किया है और जिनको उसने दिल से नहीं माना है, जिसका समर्थन जनता करे और दिल से माने वही किसी देश का सफल कानून हो सकता है। आपकी तरफ के बीसियों सदस्यों ने इस कानून का विरोध किया है और कहा है कि ऐसे लोगों से काम न लिया जाय जो स्वयं मजदूरी करके गुजर करते हैं, यह बात दूसरी है कि आप बहुमत के आधार पर इस तरह की चीज पास कर लें, लेकिन इसका विरोध जनता करती है। इसलिये मैं माननीय रामेश्वर लाल जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि जो अपनी जिन्दगी मजदूरी करके चलाते हैं उनको इसमें न रखा जाय। आप यह अधिकार कलेक्टर या मैजिस्ट्रेट को देते हैं तब भी उसके साथ न्याय नहीं हो सकता। इसलिये हम चाहते हैं कि उनको केवल मजदूरी देकर ही काम में लगाया जाय। ५ मील का एरिया है और खेतिहर मजदूर जिनके पास एक बिस्वा भी जमीन नहीं है और कोई जीविका का साधन नहीं है, उनसे काम लेना और यह काम एक दो दिन में नहीं हो सकता वह साल भर या ६ महीने तक भी चल सकता है। अगर आप बगैर उसके खाने का इंतजाम किये हुए उसको काम पर लगावेंगे और यहां बैठ कर इस तरह का कानून बनावेंगे तो वह जनता की इच्छा के खिलाफ होगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से और इधर के बैठने वाले सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह इस तरह के कानून का विरोध करें और माननीय रामेश्वर लाल जी द्वारा उपस्थित संशोधन का समर्थन करें।

*श्री रामनरेश शुक्ल--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र और पुराने नेता विरोधी दल श्री राज नारायण जी ने कुछ समाजवाद की व्याख्या की थी और उस व्याख्या में आपने कृपा करके यह फरमाया कि कांग्रेस जो है वह तो केवल मौखिक रूप से ही समाजवादी पेटर्न आफ सोसाइटी बनाना चाहती है। इसके भी आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी मौखिक रूप से ही समाजवाद की बात करती है....

श्री अध्यक्ष--मैं चाहता हूं कि आप कृपया संशोधन पर ही आ जायं।

श्री रामनरेश शुक्ल--मैं तो यह कहने ही जा रहा था कि इसका संशोधन से कोई संबंध नहीं है और न उसको मुझे जवाब ही देना चाहिये, केवल एक पंक्ति इस विषय में मुझे कहनी है और वह यह है कि एक मनोविज्ञान का प्रश्न है कि जब इंसान संकीर्णता की तरफ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामनरेश शुक्ल]

चलता है तो आगे चल कर वह संकीर्ण होता जाता है। अध्यक्ष महोदय जिस तरह के तर्क वह रखते हैं उससे तो व्यर्थ के लिए विरोध की भावना उत्पन्न करना है और इसीलिए वही उनकी भावना आज यहां अब भी बनी है। अभी तो श्री राम नारायण त्रिपाठी जी उनके साथ हैं लेकिन वह भी कल न रहेंगे तो न जाने परसों क्या होगा....

श्री राजनारायण--अहं ब्रह्म हो जायंगे।

श्री रामनरेश शुक्ल--ठीक है, फिर आप अहं ब्रह्म हो जायंगे, यह खयाल आप का सही है। मुझे इस विषय में आपसे केवल इतना कहना है कि आपका विरोध रचनात्मक दृष्टिकोण से होना चाहिये आप ने उस रचनात्मक दृष्किोण का प्रदर्शन इस संशोधन के द्वारा नहीं किया और इसी लिए सदन के बाहर या अन्दर कोई सपोर्ट आपको नहीं है। आज मेरे दोस्त शाम को घर लौट कर अपने भाषण को एक बार पढ़ें और इस लिए पढ़ें कि उनके कथन की कोई सीमा थी या नहीं थी और अगर नहीं थी तो उस पर विचार करें कि भाषण केवल विरोध के लिए नहीं होना चाहिए। मुझे तो इस संशोधन के विषय में एक प्रश्न पूछना है कि इस पर मेरे मित्र राम सुन्दर जी ने श्रमदान की व्याख्या भी कर डाली। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब कोई व्यक्ति श्रमदान की महत्ता को न समझता है, न समझने की कोशिश करता है और उसमें गुणों का अनुभव न करते हुए उसपर अपनी राय जाहिर करने लगता है और कहने लगता है कि वह बेगार है और उसका रूप इस देश में कलेक्टरों और डिप्टी कलेक्टरों ने किया है और मैं समझता हूं कि न तो ऐसे विचार के लोगों ने श्रमदान में कार्य किया है और न वे श्रमदान में विश्वास रखते हैं। और उसी का फल यह संशोधन है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--सीतापुर में जवाहर लाल जी ने कल क्या कहा था?

श्री रामनरेश शुक्ल--आप उसको पढ़ लीजिये।

श्री राजनारायण--आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्या?

श्री रामनरेश शुक्ल--मैं तो सुन चुका हूं। मैं तो वहां पर था ही। आपको पढ़ने की जरूरत है, आप पढ़िये। तो तोड़मरोड़ कर श्रमदान को बेगार बताया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि अपना काम करना भी अगर बेगार है तो ऐसे तो सभी लोग बेगार किया करते हैं। जो संशोधन रखा गया कि कुछ पारिश्रमिक उसे दें। कोई सरकारी काम करने के लिये कलेक्टर द्वारा तो बुलाया नहीं जा रहा है कि सरकार की तरफ से उनको मजदूरी दी जाय। काम किसका करने के लिये, सरकार का या अपना काम करने के लिये आह्वान किया जायगा कि भाई यह काम करो और मजदूरी दी जाय। सरकार तो केवल यहां पर मदद करने की हैसियत से कि वह ना समझों को, जो कि समझते नहीं है कि इससे समाज का नुकसान होगा, समझाये। सरकार यहां पर प्रत्यक्ष होती है कि मदद करे समझाने में और यही सरकार का काम है। थोड़ी देर के लिये मान लीजिये कि यहां एक गरीब बुढ़िया का खेत है और उसके गेहूं के खेत में गेरुई लग गई। तो आप वह अपाहिज या बुढ़िया तो उस खेत से गेरुई नहीं निकाल सकती और पड़ोसी का खेत जो है वह भी अपनी जगह पर निश्चय है कि बरबाद होगा, क्योंकि उसका प्रभाव दूसरे खेतों पर पड़ेगा, लेकिन पड़ोस के खेत वाले समझते नहीं हैं ऐसी अवस्था में यह राज्य सरकार का काम है कि वह बीच में आवे और बाध्य करे कि तुम्हारे हित के लिये जरूरी है कि तुम चलकर इस बुढ़िया के खेत के कीटाणुओं को दूर करो। ऐसी बात के लिये मजदूरी मांगना यह कोई रचनात्मक विरोध नहीं है और ऐसी बात के लिये इस प्रकार के लांछन लगाना कि यह सरकार बेगार की प्रथा को मानती या उसको प्रोत्साहन देती है मैं समझता हूं कि यह कोई मतलब नहीं रखता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो यह विधेयक जो है वह ऐसी अवस्था के लिये है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दोस्त से पूछना चाहता हूं कि क्या वह समझते हैं कि सरकारी अफसर छोटे से गेहूं के खेत के कीड़ों

को दूर करने के लिये सारे जिले के लोगों को इकट्ठा कर लेगा कोई कलेक्टर। मैं समझता हूं कि अगर कोई पागलपन करे तो राज्य सरकार है। तो यह विधेयक जो है वह जो काम नहीं कर सकते हैं जो नहीं समझते उनको बाध्य करने के लिये ही, उनको सहायता करने के लिये हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि इसमें मजदूरी की क्या जरूरत है अपना काम करने के लिये मजदूरी की व्यवस्था क्या? अब थोड़े दिनों में माननीय राज नारायण जी और मेरे दोस्त जिन्होंने संशोधन रखा है यह तो शायद अब उनके साथ नहीं जायेंगे, लेकिन सम्भव है कि बहकावे में आ ही जावें, बहरहाल कहने लगेंगे कि हैजे का टीका पांच मिनट रुककर लगवाना पड़ा है और समय खराब हुआ है, इसलिये हिसाब लगा करके एक पैसा दो, प्लेग का टीका लगवाने के लिये रुकना पड़ा, इसलिये हमें ५ मिनट या १० मिनट की मजदूरी दी जाय। ऐसी भावना समाज के लिये कल्याणकारी भावना नहीं है और रचनात्मक भावना नहीं है और जब तक आप इस सरकार की नीतियों में, उसके कार्यों में, उसके सोचने के ढंग में हमारे विरोधी दल के सदस्य नहीं घुसेंगे तब तक वे उसके रचनात्मक दृष्टिकोण को नहीं समझ पायेंगे। मैं आपके द्वारा बड़े अदब से आगे प्रार्थना करूंगा कि वह व्यक्ति जो राजनारायण जी की जगह विरोध करते-करते पहुंच जाता है उसे उन संकीर्ण भावनाओं का त्याग करना होगा तभी समाज, देश और सरकार का कल्याण होगा और तभी समाजवाद की स्थापना होगी। जिसके लिये जवाहर लाल जी इस देश में सबसे अधिक प्रयत्नशील हैं। मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन का घोर विरोध करता हूं।

श्री शिव नारायण—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद २३ की ओर आकर्षित करूंगा जो इस प्रकार है:—"Nothing in this article shall prevent the state from imposing compulsory service for public purposes....," कम्पलसरी सर्विस तो इम्पोज कर सकते हैं लेकिन फ्री कम्पलसरी सर्विस नहीं इम्पोज की जा सकती। इस लिहाज से जो यह बिल इस सदन में पेश है यह अनियमित है। इसे नहीं पास होना चाहिये। इसलिये मैं इस पूरे बिल को अपोज करता हूं और यह जो अमेंडमेंट दिया हुआ है कि कुछ मजदूरी निश्चित कर दी जाय यह ठीक है। मेरे मित्र ने कहा कि कीड़ा लग गया है। मैं कहता हूं कि राज्य के छोटे छोटे कर्मचारी .....

श्री अध्यक्ष—आप दो सवाल एक साथ न कीजिये।

श्री शिव नारायण—तो इसी पर आप व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष—माननीय कृषि मंत्री, आपको कुछ कहना है?

श्री हुकुम सिंह—अव्वल तो मेरा एतराज यह है कि जिस वक्त यह विधेयक इस सदन में आया और जनरल डिस्कशन हुआ विचार करने के प्रस्ताव पर, इस सदन ने अपना निर्णय दिया तो उसी वक्त हमारे मित्र को चाहिये था कि वे यह एतराज करते कि यह विधान के खिलाफ बात है और विधेयक पर विचार नहीं किया जा सकता। तो ऐसा एतराज सदन के सामने आया नहीं और न श्रीमान् जी के सामने ही आया। सदन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अगर कोई एतराज था भी तो आपने उसे वेव कर दिया। लिहाजा इस मौके पर ऐसा सवाल उठाया नहीं जा सकता।

दूसरी बात यह है कि जो आर्टिकिल कांस्टिट्यूशन का अभी पढ़ा गया है २३ के नीचे जो एक्सेप्शन दिय हुआ है, सब क्लाज २ में, उससे किसी तरह से इस विधेयक पर कोई कानूनी असर नहीं पड़ता और न उसकी रू से यह अवैध करार दिया जा सकता है। ऐसी सूरत में मैं अर्ज करूंगा कि इस सदन ने इसे वेलिड मान कर ही इस पर कार्यवाही शुरू की है और इस पर कार्यवाही बदस्तूर जारी रहनी चाहिये। यही मुझे कहना है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन् यह मानते हुए भी कि माननीय शिव नारायण जी ने जो समय पर अवैधानिक प्रश्न नहीं उठाया, मैं इस सम्बन्ध में इतना अवश्य कहना चाहूंगा. . . .

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जब उपाध्यक्ष महोदय, बैठे थे तो यह सवाल रक्खा गया था । उन्होंने अपनी रूलिंग दे दी कि इस पर गौर किया जा सकता है और यह अवैध नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—जिसे रूलिंग कहना चाहिये वह रूलिंग नहीं दी । मैं यह कह रहा था कि इस विधेयक पर एतराज नहीं होना चाहिये, लेकिन इस धारा ४ पर जो इस समय है उस पर एतराज अवश्य हो सकता है, यह अवैधानिक है । मैं श्रीमान का ध्यान खंड ४ के उपखंड (ख) की ओर दिलाऊंगा, धारा ३ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर अथवा उसके पश्चात् जिला मैजिस्ट्रेट नोटिस द्वारा—

किसी पुरुष को, जिसकी आयु १८ वर्ष से कम न हो, और जो उक्त क्षेत्र में रहता हो, आदेश कर सकता है कि वह खंड (क) में अभिदिष्ट उपायों को सम्पन्न करने में सहायता करे ।"आदेश कर सकता है" इसका एक प्रतिबन्ध है जिसमें रामेश्वर लाल जी का संशोधन है ।

अब यह देखना है कि आया यह खंड ४ का उपखंड (ख) विधान के आर्टिकिल २३ (२) के अनुसार आता है या नहीं । श्रीमन्, इसमें कम्पलसरी सर्विस शब्द का इस्तेमाल किया गया है । अर्थात् कोई भी राज्य सरकार विधान के अनुसार पब्लिक परपज के लिये कम्पलसरी सर्विस किसी भी नागरिक से ले सकती है । लेकिन प्रश्न यह है कि क्या वह कम्पलसरी सर्विस फ्री हो सकती है, यानी बिना मजदूरी दिये हुए, मुफ्त में ली जा सकती है । यह प्रश्न यहां पर है । लेकिन शिव नारायण जी या सदन के बहुत से सदस्यों का पर्याय है कि इस प्रकार की फ्री सर्विस मुफ्त में नहीं ली जा सकती है, बेगार के रूप में नहीं ली जा सकती है । अगर बेगार लेने का अभिप्राय इस विधान का होता तो बेगार शब्द का इस्तेमाल होता । आर्टिकिल २३ (१) में "बेगार" शब्द का इस्तेमाल किया गया है । लेकिन २३ (२) में बेगार का इस्तेमाल नहीं किया है । इसमें कम्पलसरी सर्विस का इस्तेमाल है । बेगार का मतलब यही है कि बिना मजदूरी के कार्य कराया जाय । इसलिए बेगार और कम्पलसरी सर्विस दोनों भिन्न हैं । कम्पलसरी सर्विस का अर्थ यह है कि मजदूरी के साथ सर्विस । इसलिए मैं अवश्य निवेदन करूंगा कि आप कृपा करके विचार करें कि आया खंड ४ को उपखंड (ख) अपने प्रतिबन्ध के साथ जिस पर यह संशोधन है विधान के आर्टिकिल २३ (२) के अनुसार वैधानिक है अथवा नहीं ।

***श्री केशभान राय** (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, संविधान में जो प्रश्न प्रस्तुत है वह गम्भीरतापूर्वक विचार करने के योग्य है । २३वें अनुच्छेद के पहले खंड पर भी हमें विचार करना चाहिए । हमें यह निर्णय करना पड़ेगा कि कौन सी बेगार है और कौन सी फोर्स्ड सर्विस है और कौन स्वयं अपनी सर्विस है । मैं एक उदाहरण देता हूं । मान लीजिये कोई व्यक्ति है उसका कर्त्तव्य है कि अपने मकान की सफाई करें, अपने दरवाजे को साफ करे । लेकिन वह अपने दरवाजे को साफ नहीं करता, बहुत गंदा रखता है, जिससे पास-पड़ोस के लोगों के स्वास्थ्य पर क्षति पहुंचती है, पास-पड़ोस के लोगों के अलावा स्वयं उसके ऊपर उसका कुप्रभाव पड़ता है । ऐसी स्थिति में मैं यह समझता हूं कि जो वह वहां गंदगी करता है उस मकान मालिक का भी यह कर्त्तव्य है कि उस गंदगी को दूर करे । उसका कर्त्तव्य किसी दूसरे से पहले उसी के प्रति स्वयं है । ऐसी स्थिति में यदि हम यह देखते हैं कि वह व्यक्ति अपने प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करता और हम उसे विवश करते हैं कि अपने कर्त्तव्य का वह पालन करे तो यह फोर्स्ड सर्विस नहीं होगी, न यह बेगार होगी । अब प्रश्न यह पैदा होता है कि जो दूसरे भाग में कम्पलसरी सर्विस की चर्चा आयी है वह क्या है ? हमारे दूसरे पक्ष की ओर से यह कहा जा रहा है कम्पलसरी फ्री सर्विस के शब्द नहीं इस्तेमाल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किये गये हैं। मैं यह बतलाऊंगा कि कम्पलसरी फ्री सर्विस की कोई आवश्यकता नहीं है। कम्पलसरी सर्विस का मतलब यह है कि पब्लिक परपज वहां पर रखा गया है। सार्वजनिक कार्य के लिए कम्पलसरी सर्विस ली जा सकती है। यह तो सभी लोग मानते हैं। उनका कहना यह है कि कम्पलसरी सर्विस ली जा सकती है, लेकिन उसके लिए पारिश्रमिक देना होगा। जैसे मान लीजिये थोड़ी देर के लिये कि जैसे कहीं पर आग लग गयी और ऐसी लगी जिससे एक ही नहीं पचासों मकान जल जाने वाले हैं। वहां के स्थानीय निवासी इतने नहीं हैं जिससे वह बुझायी जा सके और दूसरे स्थान पर ऐसे लोग हैं जिनसे सर्विस ली जा सकती है तो उनसे अनिवार्य रूप से सर्विस ली जा सकती है। उसके लिए हमें पारिश्रमिक देना पड़ेगा। तो हमें यह विचार करना होगा कि अगर हम जिस कार्य के लिये कम्पलसरी सर्विस ले रहे हैं, उसका फल वह नहीं भोगता है जिससे हम वह सेवा ले रहे हैं, बल्कि दूसरे भोगते हैं, तो वहां पर पारिश्रमिक देना अनिवार्य हो सकता है। किन्तु जहां पर जो सेवा ली जा रही हो उस सेवा का फल स्वयं सेवा करने वाला ही भोगता हो वहां पर सार्वजनिक का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो ऐसी स्थिति में हमें यह विचार करना होगा कि यह जो विधेयक आया है उसमें जिनसे सेवा लेने का प्रस्ताव है उस सेवा का फल वही भोगते हैं या दूसरे कोई। जहां तक मैं समझता हूं कि यह जो कृषि संबंधी कीटाणु हैं उनका फल जिनको भोगना है, उनसे जिनको नुकसान होने वाला है, जिनकी उनसे रक्षा करनी है, उनसे ही यह सेवा ली जा रही है। आगे जो संशोधन है उसमें मतभेद हो सकता है कि जिनको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, जैसे कोई बनिया है या कोई मास्टर है उससे क्यों सेवा ली जाय, केवल किसान से जिनको क्षति पहुंचने वाली है उनसे ही सेवा ली जाय.....

श्री अध्यक्ष—आप वैधानिक प्रश्न पर ही अपने को सीमित रखें।

श्री केशभान राय—तो इस स्थिति में मैं समझता हूं कि वह खेती से सम्बन्ध रखने वाले हैं। जो कीटाणु हैं उनका संबंध न केवल किसानों से ही है बल्कि जो भी खाद्यान्न लेने वाले हैं उनसे भी होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को जो उस क्षेत्र में रहने वाला हो उसका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उन कीटाणुओं से खेती की रक्षा करे, जिसका फल उसको भोगना है। इस दृष्टिकोण को रखकर मैं समझता हूं कि कम्पलसरी सर्विस ली जा सकती है उन लोगों से जिन्हें स्वयं उस सर्विस का फल भोगना हो।

श्री अध्यक्ष—मैं इसके ऊपर पहले फैसला दे दूंगा। मैं जहां तक वैधानिक यह प्रश्न उठाया गया है, इस संबंध में और भी मौकों के ऊपर अपना फैसला दे चुका हूं। वह यह था कि इस विधान सभा को वैधानिक दृष्टि से विचार तो करना चाहिए, लेकिन अगर किसी बात में मतभेद हो कि संविधान के अनुकूल है या प्रतिकूल है और उसके लिये जो जिम्मेदार सरकार है वह इस बात की जिम्मेदारी लेती हो कि उसने कानूनी सलाह ले ली है और वह इस मत की है कि यह बात वैधानिक है तो मैं सदन का अधिकार उस पर विचार करने का नहीं छीनूंगा। उसे सदन के निर्णय के लिये सदन के सामने रख दूंगा। यानी इसका मतलब यह है कि मैं अपने अधिकार से इस विधेयक के ऊपर विचार करने से सदन को नहीं रोकूंगा। यह सब बहस सुनने के बाद अगर कुछ सदस्य यहां के समझते हैं कि झगड़ा हमको आगे जाकर तकलीफ देगा या कोर्ट में जाने के बाद यह नहीं चल सकेगा और अवैधानिक करार दिया जायगा तो वह इसको पास न होने दें। मैं यह देख रहा हूं कि इसके पहले जो मेरे निर्णय इस किस्म के हो चुके हैं उनके अनुसार मैं इसमें भी निर्णय दे रहा हूं, क्योंकि वैधानिकता के बारे में मतभेद है। कुछ कहते हैं कि २३वीं धारा के अनुसार कंपल्सरी सर्विस और लेबर ली जा सकती है, लेकिन फ्री नहीं ली जा सकती है और कुछ लोग कहते हैं कि ली जा सकती है। इसमें भी थोड़ी सी बारीकी यह है कि कंपल्सरी सर्विस फ्री किसे कहें और किसको नहीं? इस पर केशभान राय जी ने अभी एनालिसेज करके दिखाया। यह सब चीजें हैं, लेकिन एक बात हमको स्पष्ट प्रतीत होती है कि कंपल्सरी सर्विस तो पब्लिक परपजेज के लिये ली

[श्री अध्यक्ष]

जा सकती है और २३वीं धारा में यह कहीं नहीं दिया है कि वह सर्विस फ्री नहीं ली जा सकती, या कैसे ली जा सकती है, यह स्पष्ट नहीं है। यदि इसका अर्थ यह किया जाय कि फ्री नहीं ली जा सकती है तो यह तो प्रस्तुत कानून बन जाने के बाद भी उसमें कहीं यह नहीं दिया हुआ है कि वह फ्री करे। लोगों को काम करने का आदेश दिया जावेगा और वे काम करेंगे और संविधान की रू से यदि यह अर्थ है कि मजदूरी मिलनी चाहिये तो जो काम करने की मजदूरी चाहेगा वह दावा कर देगा और मजदूरी मिल जायेगी। सर्विस तो उसको करनी पड़ेगी और चूंकि इसमें कहीं यह नहीं दिया है कि वह मजदूरी मांग नहीं सकता और अगर यह भी होता तो भी अगर संविधान के खिलाफ होता तो कानूनन इस सभा का कानून संविधान के खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिये वह अदालत में पा ही लेगा और उस हद तक यह धारा बेकार सी हो जायगी। इन सब बातों पर माननीय सदस्य स्वयं विचार कर लें। लेकिन मैं उनका अधिकार विचार करने का अपनी रूलिंग के द्वारा नहीं छीन सकता। इन सब बातों पर वे स्वयं विचार कर लें और इस धारा को स्वीकार करना चाहें तो स्वीकार करें या न करें।

जहां तक प्रश्न उठाने का सवाल है पूरे विधेयक के खिलाफ अगर उठाना था तो शुरू में उठाना था। लेकिन किसी धारा के विषय में अगर आपत्ति किसी को है तो उसी वक्त उठानी चाहिये जब धारा सामने आवे और कोई माननीय सदस्य यह कह सकता है कि यह धारा उठानी चाहिये। तो शिव नारायण जी ने जो प्रश्न उठाया वह ठीक समय पर उठाया। वह इसी धारा से संबंधित हो सकता है, पूरे विधेयक से नहीं। और इस विधान सभा को यह अधिकार है कि यह भी विचार में वह ले लेवे कि यह संविधान के विरुद्ध पड़ता है या नहीं और तब इस धारा के संबंध में फैसला करे। लेकिन इस धारा पर विचार करने को मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि मतभेद इसमें स्पष्ट है और दो मत हैं। ऐसी अवस्था में मैं विधान सभा को पूर्ण अधिकारी समझता हूं कि इसके ऊपर वह विचार करे और फैसला वह खुद करे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह धारा कल के लिये मुल्तवी कर दी जाय तो सरकार अपने कानूनदां लोगों से मशविरा कर लेती।

श्री अध्यक्ष--यह सरकार पर मैं छोड़ता हूं। अगर वह चाहे तो करे, मैं छोड़ने को तैयार हूं। यह धारा स्वीकार भी नहीं हो सकती इतनी जल्दी, मैं समझता हूं कि उनको तो मौका मिल ही जायगा, क्योंकि अब समय भी कम है और धारा पर आज विचार समाप्त भी नहीं हो सकता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमान्, आप यह जानते हैं कि कभी-कभी कोर्ट्स किसी विधान धारा का इंटरप्रीटेशन कर लेते हैं। नये-नये इंटरप्रीटेशन्स निकलते हैं, एक चिताली का निकला है। तो कल इस पर कोई रूलिंग दी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष--मैं तो रूलिंग नहीं दूंगा, मैंने निर्णय दे दिया। अगर सरकार और पूरी विधान सभा इस मत की हो जाय कि यह संविधान के खिलाफ है तो मैं अवश्य निर्णय दूंगा कि उस पर विचार नहीं होगा। यदि सरकार अपने कानूनदां अधिकारियों से राय लेकर इस निश्चय पर आती है और जिम्मेदारी लेती है कि हम इस कानून को चला ले जायेंगे तो उनकी जिम्मेदारी है और सदन ही अपना फैसला देकर निर्णय कर दे।

श्री हुकुम सिंह--हम जिद नहीं करते। कल इसे ले लिया जायगा।

श्री शिव नारायण--अध्यक्ष महोदय, यह जो अमेंडमेंट सदन के सामने उपस्थित हुआ है और मैंने जो आर्टिकिल २३ कांस्टीट्यूशन का पेश किया था उसी के अनुसार हमने सरकार का ध्यान दिलाया कि कोई भी काम स्टेट के अन्दर कम्पलसेरिली सरकार नहीं ले सकती, बेजेज देनी होगी कुछ न कुछ। चाहे ४ आना हो, एक रुपया हो, ५ रुपया हो, इसकी

कोई लिमिट हम नहीं बनाते हैं और रामेश्वर लाल जी ने प्रस्ताव किया है उसमें यह है कि उनको कुछ दिया जाय, यह बहुत लोनियेंट है और इसमें कोई दबाव नहीं है। यह सरकार पर छूट है। अध्यक्ष महोदय, जो ग्रामों की आज दशा है मैं कहता हूं कि हमारे एक लायक मित्र ने अभी कहा कि घुन लग गया। मैं कहता हूं कि घुन सरकार की उस नीचे वाली मशीनरी में चल रहा है। मैंने खुद देखा है कि अपनी कांस्टीट्यूएन्सी में जहां पर हमने सरकार से १५ लाख रुपया दिलाया, कम्युनिटी प्रोजेक्ट खुला है, वहां पर सड़ा चावल मिल रहा है। लड़कों ने कहा कि मास्टर साहब इसको खाकर जाइये। उसके बाद से आज तक मैं वहां गया नहीं, उनके कैम्प पर। यह आज हालत है हमारे जो लायक अफसरान हैं नीचे के उनकी। गवर्नमेंट तो देती है यहां से, मैंने गत वर्षों में भी कहा था अध्यक्ष महोदय, और आज भी कहता हूं कि सरकार सुने और कान खोलकर सुने कि ऐसी चीज न बनायी जाय जो कि हमारे ही विरुद्ध पड़ जाय। आपने जैसा अपनी रूलिंग में कहा था अध्यक्ष महोदय, कि कहीं हाई कोर्ट से यह उलटा न हो जाय तो वकालत खाने में जाने पर अध्यक्ष महोदय, नाना प्रकार के क्रिटिसिज्म सुनने पड़ते हैं, हमारे भाई लोग जो यहां पर मिनिस्टर हैं, वह भी वकील हैं और उन्हीं के भाई वकील लोग इसकी वहां धुरियां उड़ाते हैं और कहते हैं कि वहां तो ज्यादातर एम० एल० एज० हाथ उठाना जानते हैं और कुछ वे समझते ही नहीं। लेकिन मैं उन वकील साहबान से भी कहना चाहता हूं कि हम भी पढ़ते हैं और समझते हैं और गफलत की नींद में नहीं रहते हैं। आज किसानों की क्या हालत है? आज भी नंगा नाच गांवों में हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, कहीं भी जाकर देख लिया जाय, हर काम जितना भी हुआ है, चाहे जन सेवा का काम हो चाहे श्रमदान का हो लेकिन उसे कौन करता है, वही नंगे भूखे, चमार, पासी, भिखमंगे, जो गांवों में बसते हैं, वही उसे करते हैं। ये सफेदपोश लोग एक भी खांची मिट्टी उठाकर नहीं फेंकते। मैं आपसे सही बताता हूं, लाल टोपी हो, या काली टोपी हो न राज नारायण सिंह जी मिट्टी फेंकते हैं न माननीय गेंदा सिंह जी फेंकते हैं, वही बेचारे गरीब मजदूर यह सब कुछ करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बिलकुल सही कहता हूं कि आज केवल फोटो खिचवाया जाता है, जब कोई डिप्टी मिनिस्टर या कोई पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जाते हैं तो वहां के अफसरान ने झट एक स्नैप लिया और ....

श्री अध्यक्ष—आप अभी भाषण खत्म करेंगे या जारी रखेंगे?

श्री शिवनारायण—नहीं अध्यक्ष महोदय, अभी जारी रहेगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२२ अगस्त, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१४ पर)

प्रश्न संख्या ९ से संबंधित सूची

गांवों के नाम

१--बुआ

२--बेला

३--शिरजेपुर

४--शेरपुर

५--खेड़ी खुर्द

६--खेडी कलां

७--बसवा

८--वसवी

९--मानपुर

१०--हादीपुर

११--मनोहरपुर

१२--लालपुर

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१८ पर)

बिलौन क्षेत्र नदीगांव के मवाजयात की भूमि की श्रेणियों के सर्किल रेट का ब्योरा

तहसील कोंच, जिला जालौन

भूमि की श्रेणी का विवरण

सर्किल क्रम-संख्या						
१						
२	आबी	कछियाना.	८/१२/०	८/६/०	८/०/०	६/६/०
	खाकी		८/०/०	७/१०/०	६/६/०	..
३	आबी	गोहान	८/०/०	७/१०/०	७/४/०	५/८/०
	खाकी		७/४/०	६/४/०	..	..
४	तीर अव्वल		७/०/०	५/१२/०	..	..
५	तीर दोयम		५/४/०	४/४/०	..	..
६	आबी	कावर अव्वल	५/१०/०	..	..	..
	खाकी		५/४/०	..	..	..
७	काबर अव्वल काबिल आबी		५/४/०	..	..	..
८	काबर	दोयम	४/१४/०	..	..	..
	आबी	साकी	५/४/०	४/१२/०	३/१२/०	..
९	काबर दोयम काबिल आबी		४/८/०	..	..	..
१०	काबर	अव्वल	५/१०	५/६/०	..	..
	आबी	खाकी	५/८/०	४/४/०	..	..
११	काबर दोयम खाकी		४/८/०	३/१२/०	३/८/०	..
१२	आबी	मार	७/०/०	५/६/०	..	..
	खाकी	अव्वल	५/१०/०	४/१४/०	..	..
१३	मार अव्वल काबिल आबी		६/४/०	५/६/०	..	..
१४	आबी	मार	५/१०/०	५/६/०	..	..
	खाकी	दोयम	४/१४/०	..	..	..
१५	मार दोयम आबिल आबी		५/४/०	४/१४/०	..	..
१६	पड़ुवा	अव्वल	६/२/०	४/१४/०	४/८/०	..
	आबी	खाकी	५/४/०	३/१२/०	३/४/०	..
१७	पड़ुवा यम काबिल आबी		३/८/०	..	..	..
१८	आबी	पड़ुवा	४/१२/०	४/४/०	..	..
	खाकी	दोयम	३/१०/०	३/४/०	३/२/०	..
१९	पड़ुवा अव्वल खाकी		२/८/०	..	..	..
२०	पड़ुवा दोयम खाकी		१/१४/०	..	..	..
२१	पड़ुवा दोयम माइनस खाकी		१/१०/०	१/४/०	..	..
२२	पड़ुवा सोयम		१/१०/०	१/६/०	१/४/०	१/०/०
२३	राकड़ दोयम		१/०/०	..	..	..
२४	राकड़ सोयम		०/१०/०	..	..	..
२५	पड़वा अव्वल काविल आबी		४/८/०	३/१२/०	..	..
२६	विशेष विवरण					

विलीन क्षेत्र नदीगांव के मवाजयात के अतिरिक्त शेष तहसील के अन्तर्गत भूमि की श्रेणियों के सर्किल रेट का व्योरा तहसील कोंच, जिला जालौन

क्रम-संख्या	भूमि की श्रेणी का विवरण										विशेष विवरण
	गोहान	मार		काबर		गोहानी	पड़ुवा		राकड़	कछार	
		अव्वल	दोयम	अव्वल	दोयम		अव्वल	दोयम	मोटी	परती	
सर्किल											
१	२	३		४		५	६		७	८	९
१—अ	..	७—०—०	६—४—०	५—४—०	४—१२—०	..	..	४—२—०	..	..	१—१०—०	..
१—ब	..	६—८—०	५—४—०	४—८—०	४—४—०	३—८—०	..	३—१२—०	३—०—०	२—४—०	१—६—०	..
२	..	६—०—०	४—१२—०	४—२—०	४-१२-०	३—८—०	२-१२-०		..	२—४—०	१—१०—०	..
					आबी/ खाकी	आबी /खाकी		आबी	/खाकी			
					४-०-०	४—०—०		४—४—०	३-०-०			
३	..	५—८—०	४—८—०	४—०—०	३—१२—०	२—१२—०	४—०—०	३—०—०	२—८—०	२—४—०	१—१०—०	४—०—०
४	..	५—०—०	४—२—०	..	३—४—०	२—६—०	४—०—०	३—०—०	२—४—०	..	१—८—०	४—०—०
५	..	६—०—०	३—१२—०	..	३—४—०	२—१२—०	४—४—०	३—४—०	२—१२—०	२—४—०	१—१०—०	४—०—०
बेतवा कछार	..	भरसूंड़ा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	७—०—०
ग्राम	..	रूखना	..	..	..	..	३—४—०	..	...	..	१—१०—०	५—०—०

अनुवाद विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१९ पर)

क्रम-संख्या	पद	चुने गये व्यक्तियों की संख्या	हरिजन व्यक्तियों की संख्या
१	अमीन	२१७	०
२	लिपिक	२६	२
३	मोटर ड्राइवर	१	०
४	चपरासी, डाक रनर तथा अन्य निम्न श्रेणी के कर्मचारी	९५	१९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२३ पर)

भूमि आपरीक्षण तथा कृषि अध्यन योजना के अन्तर्गत किये हुए कार्य का विवरण

उक्त योजना के अन्तर्गत कार्य संगठन के लिये प्रदेश पांच क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। प्रत्येक क्षेत्र में एक-एक जिले में कार्य प्रारम्भ किया जाता है, वहां काम समाप्त होने पर दूसरे जिलों में काम शुरू किया जाता है। जांच के पश्चात् मिट्टी का वर्गीकरण किया जाता है। हर प्रकार की मिट्टी के लिये खाद की आवश्यकता पर अनुसन्धान किया जाता है। इसके पश्चात् इस प्रकार अपरीक्षित क्षेत्र का भूमि मान चित्र बनाया जाता है। ये मानचित्र दो प्रकार के होते हैं। एक संक्षिप्त तथा दूसरा विस्तृत। संक्षिप्त मानचित्रों में केवल विशाल क्षेत्रों से प्राप्त भूमियों का साधारण विवरण दिया जाता है। ऐसे मानचित्र जिला स्तर पर बनाये जाते हैं। विस्तृत मानचित्र तहसील स्तर पर बनाये जाते हैं और उनमें और सूक्ष्म विवरण रहते हैं। अभी तक निम्नलिखित जिलों के संक्षिप्त मानचित्र तैयार किये जा चुके हैं—

अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, कानपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, बनारस, मिर्जापुर, गाजीपुर, झांसी, जालौन, बरेली, उन्नाव तथा गोरखपुर।

निम्नलिखित तहसीलों के विस्तृत मानचित्र भी तैयार किये जा चुके हैं—

तहसील	जिला
कोयल	अलीगढ़
अलीगंज	एटा
भोगांव	मैनपुरी
कानपुर	कानपुर
कायमगंज तथा छिबरामऊ	फर्रुखाबाद
दूधी	मिर्जापुर
मोठ, मऊरानीपुर तथा गरोठा	झांसी
आंवला	बरेली

इनके अतिरिक्त नैनीताल (तराई) के तीनों राजकीय प्रक्षेत्रों के भी विस्तृत भूमि मानचित्र तैयार किये जा चुके हैं।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२४ पर)

अपेन्डिक्स (ए)

१९४९–५० से १९५३–५४ के बीच संयुक्त मधुकर मंडलों, मधु के उत्पादन तथा प्रशिक्षित किये गये व्यक्तियों की संख्या

		१९४९–५०	१९५०–५१	१९५१–५२	१९५२–५३	१९५३–५४	विशेष विवरण
१	मधुकर मंडलों की संख्या	अ ४९ ब ४१	अ ५७ ब ८५	अ ८० ब १०२	अ ११० ब १७८	अ १०५ —— ——	
	कुल ..	९०	१४२	१८२	२८८	१०५	
२	उत्पादित मधु ..	अ ३८२ पौं० ब ७६ पौं०	अ ४७५ पौं० ब २५८ पौं०	अ ४८४ पौं० ब ५८० पौं०	अ ५३९ पौं० १० औंस ब १९३ पौं० १० औंस–ब	अ० ४९० पौं० १० औंस ——	
	कुल	४५८ पौं०	७२३ पौं०	१०६४ पौं०	७३३ पौं० ४ औंस०	४९० पौं० १० औंस	
३	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या ..	अ ३ नियमित शिक्षार्थी १६ आकस्मिक शिक्षार्थी ब १६	अ ७ नियमित शिक्षार्थी ७ आकस्मिक शिक्षार्थी ब २२	अ ४ नियमित शिक्षार्थी ८ आकस्मिक शिक्षार्थी ब १६	अ २ नियमित शिक्षार्थी ६ आकस्मिक शिक्षार्थी १३ लघु पाठ चर्या शिक्षार्थी २९ विशेष वर्ग ब	अ १४ नियमित शिक्षार्थी ६ आकस्मिक शिक्षार्थी २२ लघु पाठ चर्या शिक्षार्थी ६ विशेष वर्ग ११५ (जी० एल० डब्लू) और पी० एल डब्लू जे। ब	अ––प्रान्तीय रक्षक दल एवं पंचायत राज के कार्यकर्ताओं के लिए भी मताल में दो दिन के लिए विशेष वर्ग का आयोजन।
	कुल ..	३५	३६	२८	५०	१६३	

टिप्पणी : अ––के सामने दी हुई संख्या नैनीताल जिला (पहाड़ी जिले) ज्योलीकोट स्थित राजकीय मीनपालन केन्द्र से सम्बन्धित है।
ब––के सामने दी हुई संख्या १९४७ में चालू की गई तथा १९५३ में समाप्त कर दी गई मैदानी भागों में मीन पालन योजना से सम्बन्धित है।

अपेन्डिक्स (बी)

राजकीय मीन पालन के कर्मचारियों की सहायता तथा औद्योगिक सहायता प्राप्त वैयक्तिक मीन पालकों के मधुकर मंडलों के आधुनिक मधुछत्तों की संख्या

	१९४९–५०	१९५०–५१	१९५१–५२	१९५२–५३	१९५३–५४
१—मधुकर मंडलों की संख्या (पहाड़ी जिलों) नैनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाल में स्थित	५५७	७३६	८६२	८३०	८५८
२—मैदानी जिलों में स्थित ..	६२	५०	११२	१७०	..
..	६१९	७८६	९७४	१,०००	८५८

टिप्पणी : १९५३–५४ के वर्ष में मैदान में चालू की गई मीन पालन योजना समाप्त कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२५ पर)

देवरिया जिले में वर्तमान वैभागिक मोटर गाड़ियों की संख्या तथा उनके व्यय का विवरण बाबत सन् १९५२-५३—१९५३-५४

अफसर का नाम जिनके पास सरकारी गाड़ी है,	गाड़ियों की संख्या	गाड़ी की रजिस्ट्रेशन संख्या	वार्षिक व्यय १९५२–५३ पेट्रोल इत्यादि पर			ड्राइवरों के वेतन पर			मरम्मत पर			वार्षिक व्यय १९५३–५४ पेट्रोल इत्यादि पर			ड्राइवरों के वेतन पर			मरम्मत पर			विशेष विवरण
१	२	३	४			५			६			७			८			९			१०
			रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	
जिलाधीश देवरिया	३	यू० पी० क्यू० १०६	२३८१	९	९	९०७	८	०	७४८	१०	०	१६६३	१३	३	८२६	०	०	४,२४०	३	०	प्रशासन कार्य के लिये।
,, ,,		यू० एस० जे० ७३७०	६६४	१०	६	६८२	१	०	८१	१	०	४१६	४	३	३५३	९	०	३९	०	०	अकाल व बाढ़ के कार्यों के लिये।
,, ,,		यू० एस० जे० ७४२६	९९५	२	६	५३	१५	०	३८६	२	०	६०५	१३	३	..			१,४५८	५	०	,, ,,
सुपरिंटेंडेंट पुलिस, देवरिया	६	यू० पी० क्यू० १९१	१,७१०	०	०	६०८	०	०	८४	०	०	१,८७८	१५	०	७२०	०	०	२२३	१२	०	जीप।
		यू० पी० क्यू० २९७	..			..			..			१,११४	६	०	९४८	०	०	४७	६	०	पिकअप गाड़ी १९५३-५४ में मिली।
		यू० पी० क्यू० ७४	४१७	०	०	..			३३०	०	०	५६	६	०	..			..			ड्राइवर नहीं दिया गया था।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अफसर का नाम जिनके पास सरकारी गाड़ी है।	गाड़ियों की संख्या	गाड़ी की रजिस्ट्रेशन संख्या	वार्षिक व्यय १९५२–५३ वार्षिक व्यय पेट्रोल इत्यादि पर			वार्षिक व्यय १९५२–५३ ड्राइवरों के वेतन पर			मरम्मत पर			वार्षिक व्यय १९५३–५४ वार्षिक व्यय पेट्रोल इत्यादि पर			वार्षिक व्यय १९५३–५४ ड्राइवरों के वेतन पर			मरम्मत मपर			विशेष विवरण
१	२	३	४			५			६			७			८			९			१०
			रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	
सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, देवरिया		यू० एस० जे० ५१५४	१,१७०	०	०	२९०	०	०	११	०	०	११	८	०	..			..			ड्राइवर ५ माह के लिये मिला
		यू० पी० सी० २०९८	१,२००	०	०	४०६	०	०	..			१,९०७	१०	०	७०८	०	०	२६४	१	०	ट्रक
		यू० पी० एल० ८८२	..			..			..			६७९	०	०	·३४२	०	०	१६४	०	०	ट्रकगाड़ी ५३-५४ में मिली
डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर, देवरिया	१	यू० पी० क्यू० ३०३	११९	८	०	..			३०	१२	३	१,९५६	११	३	७६६	८	०	२६६	७	९	पिक अप
डिप्टी प्रोजेक्ट एक्जीक्यूटिव आफिसर, सलेमपुर	१	यू० पी० क्यू० ३२३	..			..			..			१,१३०	९	०	३९०	०	०	६२८	१	०	जीपगाड़ी ५३-५४ में मिली
डिप्टी प्रोजेक्ट एक्जीक्यूटिव अफसर, कसिया	१	यू० पी० क्यू० ३०१	७५७	१३	६	५७९	१३	०	१२७	१३	९	२,५८०	१५	०	८३६	१३	०	२२४	६	०	

सत्यमेव जयते विधान सभा

जिला स्वास्थ्य अधिकारी, देवरिया	१	यू० एस० जे० ५१८५	१,२९५	१३	३	१,५१५	८	०	३८२	२	०	१,४७५	६	९	१,५४५	८	०	१७५	६	०	
जिला सूचना अधिकारी, देवरिया	१	यू० पी० क्यू० १०८	६१५	१२	६	८०२	०	०	४,१४७	०	०	८७८	९	९	३९६	४	०	४,६२८	०	०	
सहायक अभियन्ता, द्वितीय मेकेनिकल सब-डिवीजन, देवरिया	४	यू० एस० बी० १३७८	२७९३	०	०	१,३६८	०	०	२,८४४	०	०	६,०५१	०	०	१,३६८	०	०	६,९६७	०	०	
		यू० एस० बी० १३७३	२,०९५	०	०	१,३६८	०	०	३,५४०	०	०	३,९५०	०	०	१,३६८	०	०	५,४५२	०	०	
		यू० एस० बी० १०२९	२,७९३	०	०	१,३६८	०	०	२,८४२	०	०	..			..			..			सन् १९५३-५४ से यह गाड़ी खराब पड़ी है।
		यू० एस० बी० १३३०	१३०	०	०	११४	०	०	१३८	०	०	३,९२७	०	०	१,३६८	०	०	६,०४७	०	०	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अफसर का नाम जिनके पास सरकारी गाड़ी है	गाड़ियों की संख्या	गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन संख्या	वार्षिक व्यय १९५२–५३			वार्षिक व्यय १९५३–५४			विशेष विवरण
			पेट्रोल इत्यादि पर	ड्राइवरों के वेतन पर	मरम्मत पर	पेट्रोल इत्यादि पर	ड्राइवरों के वेतन पर	मरम्मत पर	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
			रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	
सहायक अभियन्ता, द्वितीय सिविल सब-डिवीजन, देवरिया	१ यू० एस० क्यू० १५९६	..	..	..	१,३३१ ० ०	९०० ० ०	१,६९७ ० ०		गाड़ी १९५३–५४ से मिली।
जिला खाद्य अफसर, देवरिया	२ यू० पी० एक्स० ३४५ यू० पी०पी० ५७८	२,४२५ ० ०	१,५९४ ० ०	२२० ५ ०	१,४५० १५ ०	१,६२२ ० ०	१६७८ ६ ९		यह आंकड़े खाद्य विभाग के एक सरकारी गाड़ी व एक ट्रक के सम्बन्ध में हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देवरिया	८	..	२६,८४५	११	७,५२३	१	०	३,१७७	४	०	१६४८६	७	०	५,५०६	७	०	१,७२५	१	०	१९५२-५३ को ट्रक गाड़ियों के नम्बर : यू० पी० एम० ८२३, ७९१ यू० एस० ए० २७७ यू० एस० जे० ३७९३ यू० एस० एल० १४११ यू० पी० सी० २९१९ यू० पी० एक्स० २२३ और यू० पी० एल० २५७६।

१९५३-५४ के ट्रकों के नम्बर : यू० पी० सी० १५४०, १५४१, १५४३ १५४४ यू० एस० बी० ८१९, यू० पी० आर० १९००, १९०३, यू० एस० जे० ३८००

नोटिस

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ५५ एल० ए०--१९५५--७९६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा